खण्ड-297, अंक-1
शुक्रवार, 1 वैशाख, शक संवत् 1894
(21 अप्रैल, 1972 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 297 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९७२

---

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य--३५७

अजबसिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुरहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधश कुमार, श्री
अवधश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप, सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैंया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए०सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उफ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के०एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजद्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह जूदेव, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितद्र पाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह, 'कृष्ण' श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धमवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमउद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री

135267
H
U.P.L.A
Vol. 297
1972

बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
मोती प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री

मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
राम चरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री

रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन श्री (जिला आजमगढ़)
(रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव , श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री

विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शकीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
सुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छम्मू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा

श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हन्सराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

## शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९७२

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों के तकावी लिपिकों की सेवाओं की समाप्ति

**१—श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों में कार्यरत कई हजार तकावी लिपिकों की सेवायें समाप्त करने की नोटिसें राजस्व विभाग ने दी है? यदि हां, तो कब से? क्या सरकार उन्हें तत्काल कोई नया काम देने की योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

राजस्व विभाग के अधीन इन जिलों में किसी भी कार्यरत तकावी लिपिक को सेवा समाप्ति की नोटिस नहीं दी गई है ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि क्या यह सही है कि सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर में एक बड़ी मात्रा में इन तीन जिलों तथा कुछ अन्य जिलों में अस्थायी रूप से काम करने वाले तकावी लिपिकों को सेवा से अलग कर दिया गया है?

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, क्या ये दूसरे कर्मचारियों के बारे में पूछ रहे हैं या तकावी अमीनों के बारे में ही पूछ रहे हैं ?

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, इसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में मैं पूछ रहा हूं कि जो बहुत से लिपिक और अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, मुझे ज्ञात हुआ है, कि नोटिसें दे दी गई हैं और उनको सेवा से अलग कर दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने तो तकावी लिपिकों के बारे में पूछा है ?

श्री रामगोपाल संड—

जी हां, उन्हीं से मेरा सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसका तो जवाब उन्होंने दे दिया है कि उनको नोटिसें नहीं दी गई हैं।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, उत्तर आने दें ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, अक्तूबर–नवम्बर में किसी तकावी लिपिक को नोटिस नहीं दी गई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, अक्तूबर-नवम्बर में न निकाले गये हैं तो क्या किसी और वक्त निकाले गये हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी हां, किसी और वक्त निकाले गये हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन, मैं यह जानना चाहता हूं कि कब निकाले गये हैं और कितने लोग निकाले गये हैं तथा साथ ही जिन लोगों को निकाला गया है उनकी नई नियुक्ति के समय उनको प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

ये तकावी अमीन, सन् १९६५ में रखे गये थे और सन् १९६९ में निकाले गये हैं। उनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कि अभी उनकी आवश्यकता थी इसलिये वे नहीं निकाले गये थे।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, मुझे बड़ा हर्ष है कि माननीय मन्त्री जी ने हमारी बात को स्वीकार किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कार्य किया था और अब जो अप्रैल–मई में नई नियुक्तियां हो रही हैं, यदि वे प्रार्थना-पत्र देंगे तो उन्हें ही नियुक्त करने में सरकार प्राथमिकता देगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर, यह शासन की निर्धारित नीति है कि जब नई नियुक्तियां की जाती हैं तो निकाले हुये कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाती है।

## कृषकों को बिजली से थ्रेशर चलाने की अनुमति

**२—श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के रबी उत्पादकों को गत वर्ष की भांति असामयिक वर्षा से नष्ट होने से बचने के लिये विद्युत् विभाग ग्रामीण बिजली के नलकूपों के उपभोक्ताओं को थ्रेशर चलाने के लिये आम इजाजत देने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

कृषकों द्वारा अपने निजी नलकूपों के लिये स्वीकृत विद्युत् भार से अन्य कृषि कार्यों तथा औद्योगिक कार्यों पर विद्युत् प्रयोग की पूरी छूट शासन द्वारा ७ जून, १९६८ के आदेश द्वारा पहले ही दी जा चुकी है।

श्री शिवराज सिंह—

क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी आम जनता की जानकारी के लिये उत्तरगत आदेश देने की कृपा करके उसे सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे और क्या यह सही है कि ऐसे आदेश के बावजूद परिपाटी यह रही है कि जब तक निजी नलकूप स्वयं थ्रेशर चलाने के लिये जिलाधीश से इजाजत प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक विभाग उसको बिजली देने की व्यवस्था नहीं करता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस पर शासन को कोई आपत्ति नहीं है कि इसका प्रचार भी करवा दिया जाय और पत्र-पत्रिकाओं में इसको प्रकाशित करवा दिया जाय। नलकूप का होना जरूरी है और उसके यन्त्रों को भी लगाने हेतु आदेश पारित हो गये हैं। इसका प्रचार भी करवा दिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो काश्तकार थ्रेशर के लिये ही केवल अपना गेहूं मांड़ने के लिये टेम्पोरेरी कनेक्शन लेना चाहता है और जिसका अधिकार जिलाधीश को दिया गया है तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात के आदेश भी भेजने की कृपा करेंगे कि अविलम्ब इसको पारित करें और प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर ही उनको टेम्परेरी कनेक्शन दे दिया करें?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस बात पर जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी कि जिन्होंने टेम्पोरेरी कनेक्शन मांगा है उनको जल्दी से जल्दी दे दिया जाय।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

मंत्री जी ने बताया कि ऐसे आदेश दे दिये गये हैं कि थ्रेशर अपना लगा सकते हैं तो मेरी इस सूचना को सही मान कर कि कानपुर जिले के उन क्षेत्रों में जहां थ्रेशर लगे थे आपके विभाग के लोगों ने उनको डिसकनेक्ट कर दिया, किसानों को अपनी फसल मांड़ने नहीं दिया, उनके विरुद्ध कोई कायवाही करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

नल-कूपों के साथ ऐसे लगे हुये थ्रेशरों के संबंध में यदि ऐसी कार्यवाही हुयी है और इसकी सूचना देंगे तो निश्चित कार्यवाही की जायगी ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी ऐसे आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि जिनकी दरख्वास्तें टैम्पोरेरी थ्रेशर के कनेक्शंस की लगी हुयी हैं उनको २५ अप्रैल से पहले पहले हर कीमत के ऊपर कनेक्शन दे दिया जायगा ताकि थ्रेशर २६ तारीख को चल पड़ें । आज २१ तारीख है, क्या ऐसे तुरन्त आदेश सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को दिये जायेंगे कि जिनकी दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुयी हैं उनको निश्चित ३ दिन के अन्दर आदेश दे दें और २५ तारीख को कनेक्शन होकर २६ तारीख को थ्रेशर चल सकें ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इन आवेदन-पत्रों की संख्या भी प्रमुख विचारणीय कारण सामने है । प्रयास यही है कि ये सीजनल मांगें है, इनको प्राथमिकता दी जाय और उसके आदेश भी दे दिये गये हैं और प्रयास किया जायगा, लेकिन कितनी अधिक संख्या है मैटीरियल उपलब्ध है या नहीं, कौन से ऐसे कारण हैं जो बाधक हो जाते हैं ये भी समस्या सामने आती है ।

श्री शिवराज सिंह ---

यह देखते हुये कि थ्रेशरों की इतनी अहमियत है और दिल बहलाने वाले बादल जब इकट्ठा हो जाते हैं तो किसान के दिल पर क्या गुजरती है, क्या मंत्री जी इस सदन को आश्वासन दे सकते हैं कि इन थ्रेशरों को चलाने के लिये निरन्तर बिजली दी जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, प्रयास किया जायगा, निश्चित तरीके से आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जब नलकूप के साथ थ्रेशर चलते हैं तो जिलाधिकारी उनसे एग्रीमेंट कराते हैं और अगर नहीं करते हैं तो डिस-कनेक्ट कर देते हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

नलकूप के साथ थ्रेशर लगाने में कोई रुकावट नहीं है, ऐसे आदेश जा चुके हैं । लेकिन यह सूचना तो होनी ही चाहिये कि वह नल-कूप के साथ लगे हुये हैं । इसकी सूचना निश्चित होनी चाहिये और उसका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिये कि हमने ये यंत्र लगा रखे हैं ।

श्री रियासत हुसैन---

मंत्री जी ने "प्रयास किया जायगा," "प्रायोरिटी दी जायगी" ऐसी बातें कहीं हैं । उनसे ही लफ्ज मुकामी अफसरान और कर्मचारियों के लिये गड़बड़ घोटाला करने का बहाना बन जाते हैं कि प्रायोरिटी किस को दें या किसको न दें । थ्रेशर की अप्लीकेशंस जगह-जगह पड़ी हैं और लाजमी चीज है कि जिसने दरख्वास्त दी है उसने जरूर रुपया खर्च करके थ्रेशर लगाया होगा, तो क्या मंत्री जी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स को आदेश जारी करेंगे कि उनके डिवीजन्स में जितनी भी दरख्वास्तें हैं वह २५ तारीख से पहले स्वीकृत होकर किसान के पास खबर पहुंच जायगी और यह प्रायोरिटी के लफ्ज निकाल देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण ---

कितनी संख्या है, कौनसी वहां सुविधायें उपलब्ध हैं, वह कैसे उसको पूरा कर पायेंगे इन सब समस्याओं को देखते हुये एक निश्चित आश्वासन देने में कैसे कोई समर्थ हो सकता है ।

श्री महातमप्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में धुधली टु मेहनीपर वाया पर्काड़यार जो लाइन दो साल से खड़ी है उसमें थ्रेशर लगाने के लिये व्यवस्था करेंगे और करेंगे तो कब करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह ब्योरे का सवाल है।

श्री धीरेंद्र वर्मा---

मान्यवर, ग्रीष्म ऋतु में जब पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है तो कृषि उत्पादन के हित में क्या मंत्री जी इस प्रकार के निश्चित आदेश देंगे कि कृषकों के नलकूप कम से कम २५ जून तक २४ घंटे निरंतर चलते रहें?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, विद्युत परिषद् के अध्यक्ष और मुख्य अभियंता को बुला कर के आदेश दे दिये गये हैं कि जो रोस्टरिंग हो और जो कटौती हो उसकी निश्चित सूचना काश्तकारों को दे दी जाय और प्रयास किया जाय कि एक तरह से पावर सप्लाई होती रहे जिससे उनको असुविधा न हो । नलकूप २४ घंटे चल सकें । इतना निश्चित आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, मंत्री जी ने दो सप्ताह के लिये थ्रेशर्स चलाने के लिये पावर देने में अपनी असमर्थता प्रगट की है तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि थ्रेशर्स चलाने के लिये टाप प्रायोरिटी दी जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

अवश्य माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायेगा और निश्चित प्रयास किया जायेगा।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

### गांव वत्ना, जिला आगरा में अग्निकांड से पीड़ित परिवारों को सहायता

*१---श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगरा)---

क्या सरकार को मालूम है कि तारीख १२ मार्च, १९७२ को गांव वत्ना, जिला आगरा में भीषण अग्निकांड के फलस्वरूप एक स्त्री की मृत्यु हो गई और इसी परिवार की एक महिला की हालत जल जाने के कारण अभी भी चिन्ताजनक है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही आर्थिक सहायता तथा दवा व उचित इलाज का प्रबन्ध करेगी? जिससे उसकी प्राण रक्षा हो सके ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद––

जी हां । अग्निकांड से १ स्त्री की मृत्यु हो गई तथा १ पुरुष और १ स्त्री झुलस गये । उन्हें प्राथमिक चिकित्सा केंद्र फतेहाबाद में उपचार हेतु भरती कराया गया । पीड़ित परिवारों को १,१०० रुपये निःशुल्क सहायता तथा ३,३०० रुपये आपदा तकावी के रूप में वितरित किया जा चुका है।

श्री हुकुमसिंह परिहार––

मान्यवर, जिनका सब कुछ जल गया है उनको केवल २५ रुपये की सहायता दी गई है, यह अंग्रेजी काल की है और अब २० गुने भाव बढ़ गये हैं तो इनको देखते हुए मंत्री जी इस सहायता में वृद्धि करने की कृपा करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा––

मान्यवर, अंग्रेजी काल की नियमावली तो बदल दी गई है । लेकिन यह सही है कि यह सम्भव नहीं होता है कि ऐसी आपत्ति के समय में जितनी क्षति होती है उसकी पूर्ति की जा सके । केवल उस समय जो आपत्ति आती है उसको टाइड ओवर करने के लिये जितनी सहायता हो सकती है, दी जाती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी––

क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे काल में १०० रुपये तक सहायता दी गई है तो इसमें क्यों नहीं दी जा रही है?

श्री उदितनारायण शर्मा––

जो वहां अधिकारी रहे होंगे उन्होंने परिस्थिति को देखकर यह सहायता दी होगी।

*२––श्री जयराम यादव––

[निरस्त]

## गढ़वाल जिले के राठ क्षेत्र में भुखमरी

*३––श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गढ़वाल जिले के राठ क्षेत्र में पिछले दो वर्ष से कोई फसल नहीं हुयी और गत पांच मास से वहां पूर्णतः भुखमरी फल चुकी है ? यदि हां, तो वहां के लोगों की जीवन रक्षा के लिये सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये ह ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद––

जी नहीं, गत दो वर्षों म फसल सामान्य थी । भुखमरी की स्थिति नहीं है । अति-वृष्टि से ५ गांवों में कुछ मकानों को क्षति होने के कारण कुछ लोग कठिनाई में अवश्य पड़े गये थे । उन्हें १,९५० रुपये का अनुदान दिया जा चुका ह । सस्ते गल्ले की दुकानें भी क्षेत्र म खोली जा रही ह ।

श्री शिवानन्द नौटियाल––

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों के एम०एल० एज० ने भुखमरी के बारे में लिखा है और एक विधायक ने तो भूख हड़ताल करने को लिखा है तो क्या मंत्री जी इसकी पुनः जांच करायगे और उनको उचित मदद देने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा––

श्रीमन्, माननीय सदस्य लिख कर दे दें जरूर करायेंगे।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि पूरे पर्वतीय जिलों में और खास कर चमोली और टेहरी गढ़वाल के जौनपुर परगने में भयंकर भुखमरी फैली हुयी है ? यदि उनको सूचना नहीं है ? क्या वे राज्य मंत्री भंडारी जी से सूचना एकत्रित करके जनता को राहत दिलायेंगे ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

कुछ सूचना हमें मिली है और उसके मुताबिक कुछ काम भी किया गया है। माननीय भंडारी जी का भी एक पत्र हमें मिला था और उसके अनुसार वहां पर टेस्ट वर्क खोलने के लिये लिख दिया गया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भुखमरी में पड़े हुये लोगों की संख्या क्या है और इसके लिये वहां के लोगों को क्या-क्या निश्चित राहतें दी गयी हैं ? क्या उनको राहत देने के लिये सरकार लंगर भी खुलवा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

हमारी सूचना के अनुसार भुखमरी की हालत नहीं है । वहां के कुछ सदस्यों ने कहा था कि वहां मजदूरी के रूप में लोगों को कुछ पैसा मिलने की जरूरत है, टैस्ट वर्क्स खोल दिये गये हैं । उनके लिये सस्ते गल्ले की दूकानें भी खोली जा रही हैं । १०-१२ ट्रकों को परमिट भी दे दिये गये हैं कि वे गल्ला ऊपर पहुंचायें । एक गाड़ी ऐसी है जिसको निश्चित रूप से वहीं के लिये दे दिया गया है कि वहां के लिये गल्ला ढोती रहा करे ।

श्री रामबिलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि वहां के जिलाधीश ने ढाई लाख रुपया की मांग की है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस इलाके में भुखमरी है टैस्ट वर्क खोले जायं ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

मुझे यह जानकारी नहीं है कि उन्होंने ढाई लाख की मांग की है लेकिन एक पर्वतीय जिले से टेस्ट वर्क की मांग आयी थी, उसको हमने स्वीकार कर लिया ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि सस्ते गल्ले की दूकानों के बजाय वहां पर गोदाम खोल दिये जायेंगे?

श्री उदितनारायण शर्मा---

उसका हम प्रयास कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब इसकी सूचना दी गयी थी तो मैंने कहा था कि इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लिया जाय और अगर मैं आवश्यक समझूंगा तो उस पर चर्चा का समय दे दूंगा । इस बारे में आप लिख कर दे दें, मैं चर्चा का समय दे दूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच उच्चस्तरीय करायेंगे कि वहां पर भयंकर भुखमरी है या नहीं है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

उसकी जांच हम करा रहे हैं । अगर निम्न स्तरीय जांच से हमें यह मालूम हो जायगा कि वहां पर और भी अधिक सहायता की आवश्यकता है तो हम उसको देंगे । उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता नहीं समझते, माननीय विधायकों की बात ही हम मान लेंगे ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)--

पर्वतीय क्षेत्रों की भांति मैदानी क्षेत्रों में भुखमरी की सी हालत है, क्या सरकार वहां भी टेस्ट वर्क खुलायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

पूर्वी जिलों से भी, जहां-जहां से ऐसी रिपोर्ट आयी है वहां टेस्ट वर्क खोले गये हैं और भी कहीं अगर जरूरत होगी और विधायक बतायेंगे, हम टेस्ट वर्क जरूर खोलेंगे।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)--

मैंने जो प्रश्न दिया था वह पिथौरागढ़ चमोली आदि के बारे में था, उस पर भी चर्चा करा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लिख कर दे दीजिये।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

मैंने आज १० बजे आपको लिख कर दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप लिख कर दे दीजिये, देख लिया जायगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

## अलीगढ़ जिले के हरिजन तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति

*१--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग से जो छात्रवृत्तियां हरिजन तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को माह फरवरी सन् १९७२ तक नहीं मिली है, इसका दोष किस अधिकारी पर है ? क्या उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही सरकार करेगी ?

सूचना उप-मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

अलीगढ़ जिले में वर्ष १९७१-७२ में २९ फरवरी, १९७२ तक स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:--

| | दशमोत्तर | पूर्वदशम |
|---|---|---|
| (१) अनुसूचित जातियां .. .. .. | १९९० | १७०६ |
| (२) विमुक्त जातियां .. .. .. | ४ | -- |
| (३) अन्य पिछड़ी जातियां .. .. | १५ | ३५४ |
| (४) न्यून आय के आधार पर पिछड़े वर्ग .. | १५ | -- |

इनके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा मार्च, १९७२ में अन्य पिछड़ी जातियों के लिये 4 छात्र-वृत्तियां तथा न्यून आय के आधार पर पिछले वर्गों के लिये भी ४ छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गईं ।

उपरोक्त स्वीकृत छात्रवृत्तियों से संबंधित जितनी-जितनी धनराशियों के बिल क्रमशः फरवरी तथा मार्च के महीनों में जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये गये उनका ब्योरा संलग्न सूची में दिया हुआ है ।

स्वीकृत छात्रवृत्तियों की सूचना संबंधी विद्यालयों में प्राप्त होने पर उनके संबंध में बिल बनाने तथा स्थानीय जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर भुगतान करने की जिम्मेदारी संबंधित प्रधानाध्यापकों पर है । प्रश्नगत मामले में बिलम्ब किस स्तर पर हुआ और कौन अधिकारी दोषी था इसके विषय में जांच की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९१ पर)

श्री रामप्रसाद देशमुख--

यह वजीफे साल भर में न देकर फरवरी मार्च में दिये गये और हम ने उस की शिकायत की लेकिन यह जिम्मेदारी उन अधिकारियों की है, इस में प्रिंसिपल का कोई दोष नहीं है, अधिकारी तो मार्च में भी लिस्ट नहीं देते और परचियां देते रहते है, उनको दोषी क्यों नहीं ठहराया गया जबकि मैं भी कई मास से बराबर लिख रहा हूं और आज यह कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, आजतक उन को दोषी क्यों नहीं ठहराया गया जबकि आप मानते है कि इतनी देर में फरवरी मार्च तक वह टालते रहे ?

वन मंत्री (श्री अजीतप्रताप सिंह)--

जांच अभी जारी है और वह जैसे ही खत्म हो जायगी और आरोप सही पाये जायेंगे तो उनको सजा दी जायगी। आप सूचना दे दें, आप की ही शिकायत पर उन का तबादला अलीगढ़ से कर दिया है।

श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

जो छात्र वृत्तियां स्वीकार की गई वे किस तारीख से की गई और प्रिंसिपल के कार्यालय में उन को किस तारीख को भेजा गया?

श्री गुलाबसिंह--

२९ फरवरी को स्वीकार किया गया।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

जुलाई में शिक्षा संस्थायें चालू हो जाती हैं और २९ फरवरी या मार्च में अनुदान या छात्रवृत्तियां भेजी तो इतने बिलम्ब का क्या कारण है और जुलाई नहीं तो अगस्त सितम्बर में न भेज सकने में क्या कठिनाई थी ?

श्री गुलाबसिंह--

यह जो प्रार्थना पत्र हैं इनकी तारीख ३१ अगस्त तक रखी गई है, जब यह पहुंच जाती हैं उसके बाद ३१ तक उसको प्रिंसिपल जमा करते है फिर वह समाज कल्याण अधिकारी के पास जाती हैं और फिर एक मास जांच में लगता है कि और उसके बाद त्रैमासिक छात्र वृत्ति स्वीकृत होती हैं और उसके आधार पर वे दी जाती हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

प्रार्थना पत्र पाने की तारीख आप ने ३१ अगस्त तय कर दी लेकिन यह तय नहीं किया कि जब ३१ अगस्त को प्रार्थना पत्र आ जायं तो किस तिथि तक छात्रवृत्तियां तय हो जानी चाहिये ?

यह अब फरवरी और मार्च तक दी गयी है। हमने सुझाव दिया था कि क्या सरकार इस बारे में परिपत्र जारी करेगी कि अगर दिसम्बर, तक कोई भी अधिकारी छात्रवृत्ति वितरण नहीं करेगा तो उसे अनुशासनहीनता मानी जायगी । और क्या माननीय मंत्री जी यह भी आश्वासन देंगे कि यह फिर से परिपत्र जारी किया जायगा ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

इस साल छात्रवृत्तियों के वितरण में काफी कमियां और गड़बड़ियां पायी गयी हैं । इस साल विचार है कि ये गड़बड़ियां आइंदा न हो सकें । शासन बहुत गम्भीरता से विचार कर रहा है और जो कुछ गड़बड़ियां थीं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद देशमुख---

आज तक भी वजीफे नहीं दिये गये हैं और जिस अधिकारी के बारे में कहा गया है वह जाते जाते भी रुपया नहीं बंटवा गये ह और वह लप्स भी हो गया है। तो फिर भी उस अधिकारी को दोषी क्यों नहीं माना जाता है ? आज भी वह रुपया सुपरवाइजरों के पास है । अगर आज भी किसी अधिकारी को भेज कर जांच करवा लें तो सब बातें मालूम हो जायंगी ?

श्री गुलाब सिंह---

निदेशालय के किसी अधिकारी को भेज कर और जांच करा ली जायगी । वैसे जांच तो हो ही रही है।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, यह शिकायत अलीगढ़ तक ही सीमित नहीं है । पूरे प्रदेश में छात्रवृत्तियों के वितरण में अनियमिततायें बरती जा रही हैं और भ्रष्टाचार व्याप्त है । क्या आप अधीनस्थ अधिकारियों को यह आदेश देंगे कि अधिकाधिक दशहरे की छुट्टियों में छात्रवृत्तियां मिल जाया करें ?

श्री गुलाबसिंह---

वैसे तो अक्तूबर में मिल जाने के बात है, साधारणतया लेकिन उसके बाद भी प्रार्थना पत्र आते रहते हैं । इसलिये यह कह देना कि अक्तूबर में ही छात्रवृत्ति दे दी जाय मुश्किल बात है। हमारे पास फरवरी में भी आयेंगे तो उनको भी देंगे। इसलिये निश्चित तारीख तय करना बड़ा मुश्किल है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आप एक्सैप्शन चाहे जो कर दें लेकिन सामान्य नियम बना दें कि लेटेस्ट दहशरे की छुट्टियों तक मिल जाया करें?

श्री गुलाबसिंह---

सामान्यतया तो यह रूल है ही।

श्री शिवराज सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई के अन्त तक जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो जायेंगे, उनको छात्रवृत्ति निश्चित समय पर अर्थात् अक्तूबर से मिलनी आरम्भ हो जायगी ?

श्री गुलाबसिंह---

जैसा मैंने पहले भी कहा जो प्रार्थनापत्र अगस्त तक भी आ जाते है, कुछ देर में भी अगर आयें तो निश्चित रूप से एक माह के बाद छात्रवृत्तियां बंट जाती हैं ।

श्री रामप्रसाद देशमुख---

श्रीमन्, मैं आज भी कहने को तैयार हूं और माननीय मंत्री जी मेरी दलील को मान लें कि आज भी सुपरवाइजर्स, उस अधिकारी के कहने से, रुपया निकाल रहे हैं और उसे वितरण नहीं किया जा रहा है जब तक कि उनकी प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो मेरी प्रार्थना है, माननीय मंत्री जी से, कि वे किसी अधिकारी को भेजकर यह चेक अप करालें और उस अधिकारी के कारनामों को दिखला लें। उसे बचाने के लिये क्यों कोशिश की जा रही है ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है भिजवाकर जांच करा ली जायेगी और दोषी व्यक्ति को सजा दी जायेगी।

## देवरिया जिले में गृह-निर्माण अनुदान

*२---श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के बाढ जल प्लावन एवं अतिवृष्टि के कारण जिनके घर इस वर्ष गिरे है उनको शासन की ओर से कोई अनुदान दिया या है? यदि हां, तो कितना ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

जी हां। १८,५१,८५० रुपये गृह निर्मण अनुदान के रूप में वितरित किया गया।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की की कृपा करेंगे कि यह यह धन जो वितरित हुआ है वह किस तारीख से किस तारीख तक वितरित हुआ है और यह वितरण की सूची कब बनी, क्या प्रश्न आ जाने के बाद बनी?

श्री उपाध्यक्ष---

यह ब्योरे का प्रश्न है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

मान्यवर बांटने में गड़बड़ी हुयी है। आप कृपया इतना ही उत्तर दिलवा दें कि किस तारीख स किस तारीख तक बंटा?

श्री उदितनारायण शर्मा---

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में कम से कम कितना रुपया दिया गया और सबसे अधिक कितना रुपया दिया गया और शासन की इस संबंध में क्या घोषित नीति थी रुपया देने में ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

कच्चे मकान के लिये २०० रु० और पकके मकान के लिये ३०० रु० थी। सबसे कम कितना दिया गया, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन् क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में किन-किन तहसीलों में कितना-कितना रुपया बटा है और सलीमपुर तथा पडरौना तहसीलों में किन-किन तारीखों में रुपया बंटा है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह भी व्योरे का सवाल है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

तहसीलवाइज ही बता दें ।

श्री उदितनारायण शर्मा---

मान्यवर, इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि कि यह जो १८ लाख रुपया गिरे हुये मकानों की सहायता के लिये वितरण करने की व्यवस्था की गई थी तो क्या मंत्री जी को यह इत्मीनान हो गया है कि यह सब रुपया बंट गया है या कुछ बंटने से रह गया हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

यह १८ लाख की रकम वह रकम है जो बांट दी गई है।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)---

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कच्चे मकानों के लिये २०० रु० तथा पक्के मकानों के लिये ३०० रु० दिया गया है तो क्या मेरी इस बात को सही मानकर कि पडरौना तहसील में ५० रु० प्रति व्यक्ति से अधिक किसी आदमी को नहीं मिला है जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

यह सही हो सकता है इसकी जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण गांवों में जो मकान विनष्ट हो गये हैं उनमेंसे कुछ गांव को पैसा नहीं मिला है, तो क्या मंत्री जी बाकी गांवों को पैसा दिलाने की व्यवस्था करेंगे जैसे महू में नरकटिया वगैरा है। क्योंकि जहां कम बरबादी हुयी है वहां पैसा दिया गया है और जहां ज्यादा बरबादी हुई है, वहां नहीं दिया गया है ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

यह जो पैसा बांटा गया है इसमें व्यवस्था की गड़बड़ी का प्रश्न है। यदि कोई अव्यवस्था हुयी हो तो उनके कहने पर जांच करवा लेंगे । यह मुझे बता दिया जाय कि कहां नुकसान हुआ है वहां रुपया नहीं बांटा गया ।

श्री शीतलाप्रसाद सिंह (जिला गोंडा)---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को सत्य मान कर यह बताने की कृपा करेंगे. . . .

श्री बांकेलाल---

हाट तहसील में कितना रुपया वितरण किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

तहसीलवाइज हिसाब नहीं है। आप लिखकर दे दें तो उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री शीतला प्रसाद सिंह—

गृह अनुदान के वितरण में बहुत ही गड़बड़ी हुयी है और वह बहुत ही अव्यवस्थित रूप से किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का पैसा बंटा है। जो गड़बड़ियां हुई हैं क्या उसकी जानकारी मंत्री जी करवायेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

हमारे पास जो आंकड़े हैं वे यह हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में जो रुपया बांटा गया है वह तो सब मालूम है । पूर्वी जिलों में बहुत बड़ी तादाद में नुक्सान हुआ था और वहां पर रुपया बांटने की चेष्टा की गई । वहां पर इसके वितरण में गड़बड़ियां हुई हैं इसकी भी शिकायत है । मुख्य मंत्री जी से इस पर कार्यवाही करने के लिये मैंने आदेश प्राप्त किये हैं ।

श्री बांकेलाल—

जो गड़बड़ियां हुई हैं क्या उनकी सूची नहीं तैयार करवाई हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

यह निर्णय लिया गया है कि इन तीन-चार जिलों में सबसे अधिक नुक्सान हुआ है और यहीं पर सबसे अधिक रुपया बांटा गया है जिसकी शिकायतें भी हुई हैं । वहां पर सी०आई० डी० की इन्क्वायरी करवाई जायेगी दोनों चीजों के लिये जो ऋण दिया गया है और अहेतुक सहायता दी गई है ।

श्री बांकेलाल—

रुपया बांटते समय क्या-क्या गड़बड़ियां हुयी हैं इसको बताइये ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रूपनाथसिंह यादव—

पूर्वी जिले जैसे कि देवरिया, आजमगढ़ या बस्ती अथवा गोंडा आदि में बाढ़ के कारण जो मकान गिरे वहां के जो गरीब लोग उनको तो किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली और जो सम्पन्न और धनी व्यक्ति थे उनको सहायता प्राप्त हुई। दूसरी चीज यह है कि देवरिया में तकावी में कितना धन बांटा गया और सबसे अधिक कितने की सहायता दी गई?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इन दोनों चीजों की जांच करवाई जायेगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

१८ लाख रुपया बांटा है ४ तहसीलों में। इनमें कितने घर हैं और कितने लोगों को यह धन बांटा गया है। मेरी जानकारी यह है कि वहां पर किसी व्यक्ति को १०, १५ रुपये से अधिक नहीं दिया गया । इसमें से भी वहां के कारिन्दे और लेखपाल आधा खा गये।

श्री उदितनारायण शर्मा—

३८,३५४ मकान क्षतिग्रस्त हुये थे । यह तो संभव नहीं है कि सभी को दिया जाय। जिनको जरूरत थी उन्हीं को दिया गया । अब आप यह कह रहे ह तो इसकी जांच करवा लेंगे ।

श्री रामकरनसिंह—

मंत्री जी ने कहा कि तीन-चार जिले हैं जहां सबसे अधिक क्षति हुयी है । पूर्वी जिलों में तो बस्ती, देवरिया, गोंडा आदि सभी जिले हैं । क्या कोई ऐसा भी प्रोफार्मा है जिसमें यदि वे विधायकों से सहायता लेना चाहें तो वे उनसे भी सहायता ले सकते हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जहां तक कि माननीय विधायकों की सहायता का प्रश्न है वह तो उनसे अपेक्षा की ही जाती है । जहां पर इसकी जांच कारवाई जायेगी वे जिले हैं देवरिया, गोरखपुर, गाजीपुर और गोंडा ।

(कई सस्दयों के एक साथ खड़े होने पर )

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

मैं बैठा जाता हूं, अन्य सदस्य ही बोल लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जिस सदस्य से कहा जाय वही प्रश्न करें । सबका एक साथ खड़ा हो जाना और बोलने लगना अनुचित है । आप आसन ग्रहण करें और मेरी व्यवस्था सुन लें तब अपनी व्यवस्था की बात कहें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

मंत्री जी ने बतलाया कि अधिक से अधिक २०० रुपया दिये गये हैं और कम से कम की जानकारी नहीं है, तो शासन के क्या आदेश थे कि कम से कम कितना रुपया होना चाहिये ।

श्री उदितनारायण शर्मा—

शासन की ओर से कम से कम रुपया देने के आदेश नहीं गये हैं ज्यादा से ज्यादा के गये हैं जो कि २०० रुपये तक के थे ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि कम की जानकारी नहीं है लेकिन अधिक से अधिक २०० रुपया मिलन चाहिये थे । जब सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि २०० रुपये की जगह ५० रुपये से ज्यादा किसी को नहीं मिले हैं, तो इसको देखते हुए क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिनको रुपया नहीं मिला है और घर गिर गया है, उनके लिये फिर रुपये की व्यवस्था की जावेगी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मान्यवर यह जो सहायता दी जाती है वह आपत्ति का समय निकालने के लिये दी जाती है और जब वह निकल जाता है तो उसके बाद उसमें जो गड़बड़ी होती है और व्यवस्था खराब होती है उसकी जांच करते हैं, लेकिन उसके बाद सहायता नहीं मिलती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं जानना चाहता हूं कि यह गड़बड़ी किसी एक जिले की बात नहीं है, जगह जगह ऐसा होता है तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अतिवृष्टि के समय जो रुपया बंटता है उसमें तहसीलदार और नीचे के कर्मचारी बड़ी गड़बड़ी करते हैं उसमें क्या ऐसी व्यवस्था करेगी जिसमें यह रुपया पूरा का पूरा किसान को मिल सके ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

माननीय नित्यानन्द जी अगर कोई सुझाव देंगे तो हम विचार करेंगे ।

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था उठाने का समय नहीं है।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

सबसे पहले भ्रष्टाचार के बारे में मैंने राजस्व मंत्री जी को लिखकर दिया था और उस पर मुझे बतलाया गया था कि सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन सुल्तानपुर का नाम ५ जिलों में नहीं हैं जिनके कि नाम गिनाये गये हैं, तो क्या सी० आई० डी० की इन्क्वायरी के कारण इसको निकाल दिया गया है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

यदि मेरा खयाल गलत नहीं है तो सुल्तानपुर के लिये कुछ आदेश पहले ही हो चुके हैं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री जी को जानकारी है कि देवरिया जिले में कई सौ प्रार्थना पत्र पड़े रहे और ८ लाख से ज्यादा रुपया वापस कर दिया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं सही तादाद तो नहीं बतला सकता हूं लेकिन यह सही है कि रुपया वापस किय गया है।

[२१ अप्रैल, १९७२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

## नैनीताल जिले में वन विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा एवं ग्राम चापड़ का लीसा

*१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ६ जुलाई, १९७१ को उन्होंने नैनीताल जिले के किन-किन स्थानों का भ्रमण किया और कहां-कहां वन विभाग की भूमि नाजायज कब्जे में पाया तथा नाजायज कब्जा करने वालों पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री गुलाब सिंह—

६ जुलाई, १९७१ को वन मंत्री ने नैनीताल जिले के काशीपुर के पास आम पोखरा ब्लाक में एक वन क्षेत्र का निरीक्षण किया। वन मंत्री ने किसी नाजायज कब्जे वाली भूमि का निरीक्षण नहीं किया अतः किसी वन भूमि का नाजायज कब्जे में पाये जाने तथा नाजायज कब्जा करने वालों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल वन खंड के अन्तर्गत रेंज नथुवाखान में ग्राम चापड़ की नाप भूमि में चीड़ के खड़े वृक्षों का लीसा कितने वर्षों से वन विभाग निकाल रहा है और इसकी कितनी धनराशि ग्रामवासियों को दी गई है ? यदि नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई?

श्री गुलाबसिंह—

नैनीताल वन खण्ड के अन्तर्गत रेंज नथुवाखान में ग्राम चापड़ की नाप भूमि में चीड़ के खड़े वृक्षों का लीसा वन विभाग द्वारा नहीं निकाला जा रहा है। अतः वन बिभाग द्वारा इसकी कोई धनराशि ग्रामवासियों को देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वे ६ जुलाई, १९७१ को काशीपुर से गदरपुर के दोराहे से नयागांव गये तो क्या उनके साथ वित्त मंत्री जी भी उपस्थित थे ?

श्री गुलाबसिंह—

जी हां, वित्त मंत्री जी थे ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नयागांव में जिस आदमी के यहां वित्त मंत्री जी ने दावत खाई, उसी आदमी ने नाजायज कब्जा कर रखा है ?

श्री अजीतप्रतापसिंह—

दावत वहां किसी ने भी नहीं खाई ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जिस व्यक्ति ने नाजायज कब्जा कर रखा है, क्या उसकी बेदखली के आदेश गये है, यह बात सही है ? आपने वे कागजात देखें होंगे ?

श्री गुलाबसिंह—

नाजायज कब्जा था ही नहीं इसलिये कागज-पत्र देखने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सूबेदारसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके भ्रमण के समय किन्हीं व्यक्तियों ने इस बात की शिकायत उनसे की थी कुछ लोगों ने भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है । यदि हां, तो क्या मंत्री जी ने उस पर कुछ गौर किया ?

श्री अजीतप्रतापसिंह—

क्या-क्या बातें हुईं, इस वक्त ठीक याद नहीं ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

हाउस के अन्दर कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने वहां नाजायज कब्जा कर रखा है । तो इस बात को देखते हुये मंत्री जी जांच करवायेंगे कि किन लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाबसिंह—

जैसा मैंने पहले कहा है, कोई नाजायज कब्जा नहीं किया गया है । लेकिन अगर माननीय सदस्यों को पता है तो लिखकर दे दें, जांच करवा लेंगे ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा था कि काशीपुर से गदरपुर जाने वाले दोराहे पर नया गांव है । वहां पर सरदार हंशा सिंह हैं, जिन्होंने लगभग पांच हजार एकड़ भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है । हाई कोर्ट में उनकी अपील नामंजूर हो गयी है १९६९ में । सरकार के द्वारा बंगलात विभाग से इस कब्जे को दूर करने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं । ६ जुलाई, १९७१ को उन्हीं हंशासिंह जी के यहां वित्त मंत्री जी आदि ने जलपान किया । तो जब यह बात उन्हें मालूम है, तो उन नाजायज कब्जे को दूर करने के लिये कदम उठाये गये ?

श्री अजीतप्रतापसिंह—

यदि वह नाजायज कब्जा है और वे कोर्ट से हार गये हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

माननीय मंत्री जी से एक निश्चित प्रश्न करना चाहता हूं कि जब सरदार हंशा सिंह ने कई हजार एकड़ भूमि पर, जैसाकि माननीय सदस्यों ने बताया, कब्जा कर रखा है, सेक्रेटेरियट में फाइल चल रही है इसकी, हाई कोर्ट से उनके खिलाफ निर्णय हो चुका है तो उनकी बेदखली क्यों नहीं हो सकी ?

श्री अजीतप्रतापसिंह---

मैंने कहा है अभी कि कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी---

क्या मंत्री जी को मालूम है कि ये सरदार हंशा सिंह आपके विभाग के कर्मचारियों से बड़ा मेल जोल रखते हैं ?

श्री गुलाबसिंह---

इस बात की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री सूबेदारसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरदार हंशासिंह के विरुद्ध जब हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उसके बाद सरकार ने क्या कार्यवाही उनके खिलाफ की ?

श्री अजीतप्रताप सिंह---

ठीक सूचना नहीं है । लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय उनके खिलाफ हो गया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

*३---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ]

*४---श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह---

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित ]

## निर्वाचन निदेशालय को बलिया लेखपाल संघ द्वारा भेजा गया तार

*५---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें बलिया लेखपाल संघ द्वारा भेजा गया एक तार जिसमें शिकायत की गई है कि लेखपालों द्वारा लोक सभा के मध्यावधि चुनाव में जो अस्थायी बूथ बनाने में व्यय किया गया उसका भुगतान उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है और रकम अन्य द्वारा नाजायज ढंग से ले ली गई है दिनांक २६ मार्च, १९७१ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसकी जांच किसने की और जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद---

जी हां, एक तार इस आशय का निर्वाचन निदेशालय में प्राप्त हुआ था। उसमें लिखी गयी शिकायत की जांच तहसीलदार, बलिया ने की और यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह आरोप सही नहीं है कि धनराशि अन्य द्वारा नाजायज ढंग से ले ली गयी है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या मंत्री जी को मालूम है कि जिले का अधिकारी कलेक्टर होता है। सहायक चुनाव अधिकारी, या तो डिप्टी कलेक्टर, सदर, होता है या जो सीनियर हो, वह होता है। यह जो

शिकायत थी लेखपालों की, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच तहसीलदार द्वारा कराये जाने का क्या आधार है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

मान्यवर यह जांच लेखपालों से संबंधित थी। संबंधित लेखपालों का तार आया था कि कुछ लोगों को रुपया नहीं मिला। इसलिये इसकी जांच तहसीलदार से कराना उचित था। अगर जिलाधिकारी के खिलाफ होती तो तहसीलदार से जांच न करवाई जाती।

श्री मैनेजरसिंह--

मान्यवर, इसमें रुपया कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर हड़प कर गये और जांच तहसीलदार द्वारा करायी गयी, इसका क्या औचित्य है ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

केवल ३ लेखपाल ही ऐसे थे जिन्होंने जो अग्रिम धनराशि दी जा रही थी उसको लेने से इंकार कर दिया था। उनमें से २ ने यह कहा था कि जब उनको पूरा रुपया दिया जायेगा तभी वे लेंगे और तीसरे ने यह कहा था कि यह हमारी ड्यूटी में नहीं है इसलिए न रुपया ही लेंगे और न वह कार्य ही करेंगे। लेखपाल संघ के सेक्रेटरी का तार भी आया था। यह उनकी गलती थी और वह उनकी ड्यूटी थी। चुनाव के काम के लिए अग्रिम धनराशि जिलाधीश के पास रख दी जाती है और हर लेखपाल को अग्रिम धनराशि के रूप में थोड़ा-थोड़ा रुपया दे देते हैं। अगर ज्यादा रुपया खर्च हो जाता है तो बाद में वह शासन से ले लिया जाता है और उसके बाद उसका वितरण होता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी लेखपाल संघ के तार को पढ़ दें। उससे पता चल जायेगा कि शिकायत किसके खिलाफ थी ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

वह तार लेखपाल संघ के सेक्रेटरी का था कि वह रुपया नहीं दिया गया है। अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि इन तीन के अलावा कोई चौथा आदमी भी था तो वे कृपया उसका नाम बता दें। हम उसकी जांच करायेंगे।

श्री मैनेजरसिंह--

इस विषय में बेईमानी और भ्रष्टाचार हुआ है। क्या मंत्री जी इस मामले की जांच सतर्कता आयोग के द्वारा करायेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

सतर्कता विभाग से जांच कभी भी कराई जा सकती है। जब शासन के सामने प्राइमा फेसी केस होता है तभी सतर्कता विभाग के द्वारा जांच हो सकती है। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि इस मामले में कोई तथ्य नहीं है। ३,००० रु० की अग्रिम धनराशि भेजी गई थी जिसमें से २,९७४ रु० बंट गये थे। इन तीन लेखपालों ने रुपया नहीं लिया। मैं फिर निवेदन करता हूं कि ३-४ नाम बता दें कि जिन लेखपालों को रुपया नहीं दिया गया तब मैं जांच कराने के विषय में सोचूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, बात यह है कि जिन आदमियों को रुपया मिलना चाहिये था उन्हें नहीं मिला बल्कि दूसरे लोगों ने गबन कर लिया है। जिन लोगों ने वह रुपया निकाला है क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्री उदितनारायण शर्मा–

उनके नाम का पैसा किसी ने नहीं निकाला है। जिनका पैसा था उन्हीं को दिया गया है। केवल ३ ही लेखपाल ऐसे थे जिन्होंने पैसा लेने से इंकार किया था।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जिलाधीश ही चुनाव अधिकारी होते हैं और उन्हीं के मातहत लेखपाल होते हैं। उन्होंने इस पत्र को छिपाया है। क्या इस केस की जांच सी० आई० डी० के द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जब तक प्राइमाफेसी केस बन कर नहीं आएगा तब तक हम सी० आई० डी० से इन्क्वायरी नहीं करायेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मंत्री जी खुद बताते है कि ३ लेखपालों ने पैसा लेने से इंकार किया। जो पैसा उनको मिलने वाला था वह किसने निकाला या निकलवाया। जिसने वह पैसा निकाला उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

अगर किसी ने निकाला है तो निश्चित गलत है, लेकिन किसी ने नहीं निकाला है।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राग्दर्शन में यदि कुछ मालूम हो तो वे कार्यवाही करा सकते हैं। मान्यवर, माननीय विधायक कह रहे है, आपके लेखपाल भी कह रहे है, फिर और क्या आप प्राग्दर्शन में चाहते हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

अब किसी एक मामले को लेकर यह कैसे समझा जाय सभी जगह ऐसा हुआ है और सभी में प्राग्दर्शन कैसे हो जायेगा ? (व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह—

मेरी शिकायत अगर गलत साबित हो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं .....

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

श्रीमन्, सारा पैसा खा गये (शोर)

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, आप व्यवस्था दें। जब हर माननीय सदस्य कह रहा है कि भ्रष्टाचार है और मंत्री जी चोर से ही पूछते हैं कि क्या तुमने चोरी की है तो क्या यह सही तरीका है ?

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, माननीय मैनेजर सिंह जी ने बड़ी गम्भीरता पूर्वक ऐसा आरोप लगाया है और इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को उच्च स्तरीय जांच अवश्य कराना चाहिये.....

(व्यवधान)

(श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री बांके लाल तथा दो अन्य सदस्य एक साथ काफी जोर से बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष—

जब एक साथ कई माननीय सदस्य इस तरह से चिल्ला कर और जोर-जोर से बोलेंगे तो कैसे आपकी बात समझ में आयेगी और कैसे उसका उत्तर आपको मिल सकेगा ?

## ग्राम सभा कथरिया और बधेवा, जिला बलिया का भूमिहीनों को भूमि पट्टे पर उठाने से सम्बन्धित प्रस्ताव

*६—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री को मालूम है कि बलिया जिले की गांव सभा कथरिया और बधेवा में सरकारी आदेशानुसार भूमिहीनों को भूमि पट्टे पर उठाने का प्रस्ताव पास करके सम्बन्धित परगनाधीश को सन् १९७० में प्रेषित कर दिया गया था किन्तु अभी तक उन प्रार्थना-पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इतना विलम्ब होने का कारण क्या है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

गांव सभा कथरिया का प्रस्ताव १९७० का नहीं है बल्कि दिनांक १५-६-७१ को पारित हुआ । जिस पर जांच कराई गई और प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण पाया गया । अतः २५-११-७१ को परगनाधिकारी के अदेशानुसार भूमि प्रबन्धक समिति को त्रुटियों की सूचना भेजने का आदेश हुआ, जिसकी सूचना प्रधान को दे दी गई । त्रुटियां दूर करके संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । यद्यपि प्रधान को इस संबंध में पुनः स्मरण कराया जा चुका है ।

गत वर्ष की अभूतपूर्व बाढ़ के कारण अधिकारी और कर्मचारी कई महीनों तक सहायता कार्य में रात-दिन व्यस्त रहे । इसलिये जांच की रिपोर्ट भेजने में विलम्ब हुआ ।

गांव सभा बधेवा का प्रस्ताव दिनांक २८-६-७० को पारित हुआ । इस प्रस्ताव के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ । जांच के बाद प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण पाया गया । अतः नियमानुसार भूमि आवंटन का प्रस्ताव भेजने, अन्यथा अनियमित प्रस्ताव के लिये कारण बताने हेतु परगनाधिकारी द्वारा दिनांक १७-११-७१ को आदेश पारित किया गया, जिसकी सूचना प्रधान को दी जा चुकी है । त्रुटियां दूर करके संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, यद्यपि प्रधान को इस सम्बन्ध में पुनः स्मरण कराया जा चुका है ।

गांव सभा के इस प्रस्ताव के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संदर्भ में भूमि आवंटन के लिये निर्धारित नियमों के आधार पर प्रस्ताव की छान-बीन अभी चल रही थी कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० लागू हो गया, जिसमें भूमिहीन की परिभाषा में व्यापक परिवर्तन हो गया और इस अध्यादेश के प्राविधानों के अनुसार पुनः नये सिरे से छानबीन करनी पड़ी । जांच में कुछ देर तो इस कारण हुई । वर्ष १९७१ में कई मास तक अधिकारी और कर्मचारी रात-दिन बाढ़ सहायता कार्य में व्यस्त रहे, जिससे प्रस्तावों की छान-बीन का कार्य जल्दी नहीं हो सका । फलस्वरूप प्रस्ताव पर आदेश पारित किये जाने में विलम्ब हुआ ।

---

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

## ग्राम बसानपुर, जिला गोरखपुर की बंजर भूमि पर नाजायज कब्जा

*७—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम बसानपुर, परगना मोबापार, तहसील बांस गांव, जिला गोरखपुर के पूर्व व पश्चिम की ओर दो बड़े तालाब थे जो अब सूख गये है और उनसे निकली हुई जमीन पर तथा अन्य बंजर भूमि पर उक्त ग्राम के कुछ निवासियों ने नाजायाज कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या राजस्व मंत्री इस नाजायज कब्जे को हटा कर उक्त जमीन को उसी ग्राम के निवासी भूमिहीन हरिजनों तथा धोबियों को देने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। ग्राम बसानपुर की आबादी के पूर्व व पश्चिम में स्थित २ तालाबों का अधिकांश भाग पट गया है और उस पर कुछ व्यक्ति अनधिकृत रूप से आवाद हो गये हैं। इसके अतिरिक्त गांव की अन्य बंजर भूमि पर कोई नाजायज कब्जा नहीं है। उक्त ग्राम मई, १९७१ से चकबन्दी योजना में लिया गया है। अतः उक्त योजना के अन्तर्गत स्वत्व निर्धारण के उपरान्त ही बेदखली की कार्यवाही सम्भव होगी।

## जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बरेली के संचालकों एंव अध्यक्ष को मनोनीत किया जाना

*८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारी संस्थाओं में संचालकों एवं अध्यक्ष को मनोनीत करने के सम्बन्ध में दिनांक २४ नवम्बर, १९७१ को गजट में प्रकाशित अध्यादेश के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बरेली के अध्यक्ष को मनोनीत किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—

उ० प्र० सहकारी समिति अध्यादेश जो १३ नवम्बर, १९७१ के गजट में (२४-११-७१ में नहीं) प्रकाशित हुआ था। उ० प्र० सहकारी समिति (संशोधक) अधिनियम, १९७१ के पारित हो जाने पर निरस्त हो गया है। अतः अध्यादेश के अंतर्गत अध्यक्ष मनोनीत करने का प्रश्न नहीं उठता।

*९-१०—श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री भगेलू सिंह—

[पी० सी० यू० के अन्तर्गत होने के कारण निरस्त]

## लीसा तपान के नीलाम की पद्धति में परिवर्तन

*११—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या वन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार लीसा तपान के नीलाम की पद्धति में परिवतन करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं।

## बलिया के बाढ़ सेवा हेतु प्राप्त गृह अनुदान का धन नसबन्दी में न व्यय करने का निदश

*१२—श्री मैनेजरसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया के विधायक के शिकायत पर उन्होंने बलिया के जिलाधिकारी को कोई पत्र लिख कर बाढ़ सेवा हेतु प्राप्त गृह अनुदान का धन नसबन्दी में न

व्यय करने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो क्या उस निर्देश की अवहेलना की शिकायत पत्र किसी विधायक का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जी नहीं, शासन को ऐसी कोई शिकायत का प्राप्त होना नहीं पाया जाता और न ही जिलाधिकारी को ऐसा कोई निदेश दिया गया लेकिन जिला स्तर पर जिलाधिकारों ने इस प्रकार की शिकायत की जांच की। जांच से बाढ़ हेतु प्राप्त गृह अनुदान का धन परिवार नियोजन के किसी कार्य पर व्यय होना नहीं पाया गया।

## आदि जन जातियां एवं खाना बदोशों को स्थायी रूप से बसाने की योजना

*१३—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी ऐसी आदि जन-जातियां हैं जो स्थाई निवास करती है और कितनी ऐसी आदि जन जातियां है जो खानाबदोश जीवन बिताती है तथा इनके नाम क्या -क्या हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

भारत सरकार की विज्ञप्ति सं० जी० एस० आर० ९६०, दिनांक २४-६-१९६७ के अनुसार इस प्रदेश में निम्नलिखित अनुसूचित जातियां हैं :—

१—भोटिया, २—बोक्सा, ३—जौनसारी, ४—राजी, ५—थारू।

यह सभी जन-जातियां स्थाई निवास करती है तथा खानाबदोश जीवन नहीं बितातीं।

*१४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाना बदोश प्रकार का जीवन बिताने वाली जातियों को सरकार ने स्थाई रूप से बसाने की कोई योजना चालू की है अथवा आगामी वित्तीय वर्ष में बनाई है ? यदि हां, तो यह कहां-कहां बसाई जावेंगी और आज तक इनमें से कितने लोग बसायें जा चुके हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

खानाबदोश प्रकार का जीवन बिताने वाली जितनी जातियां हैं, वह विमुक्त जातियों की परिधि में आती हैं तथा उनके नाम संलग्नक में दिए हुए हैं। वर्ष १९७१-७२ में विमुक्त जातियों के ८९ परिवारों को निम्नलिखित जिलों में बसाने हेतु आवश्यक धनराशियां स्वीकृत की गई हैं:—

| | परिवार | | परिवार |
|---|---|---|---|
| १—सहारनपुर | १८ | २—मुरादाबाद | १५ |
| ३—कानपुर | १६ | ४—लखनऊ | १० |
| ५—बांदा | १० | ६—इलाहाबाद | १५ |
| ७—गाजीपुर | ५ | | |

इनके पुनर्वासन सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है जिसके पूर्ण होने पर ही यह बताना सम्भव होगा कि कितने लोग बसाये गये। वर्ष १९७२-७३ में जिलों की मांगों के आधार पर धनराशियां स्वीकृत की जायेंगी।

(देखिय नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९२ पर)

*१५—श्री राम सिंह खन्ना—

[६ ठे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## अल्मोड़ा जिले की चम्पावन तहसील को पिथौरागढ़ जिले में सम्मिलित करने का निर्णय

*१६—श्री डूंगरसिंह विष्ट (जिला नैनीताल)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने जिला अल्मोड़ा की चम्पावन तहसील को पिथौरागढ़ जिले में मिलाने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो प्रशासनिक रूप से कब से यह पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा बन जावेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। शासन ने यह निर्णय ले लिया है कि जिला अल्मोड़ा की तहसील चम्पावत को उक्त जिले से निकाल कर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से पिथौरागढ़ जिले में सम्मिलित कर दिया जाय। इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना शीघ्र प्रकाशित की जावेगी।

## तत्कालीन वन उपमन्त्री की अध्यक्षता में देहरादून की वन सम्बन्धी समस्याओं की मीटिंग

*१७—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २० व २२ जून, १९७० को तत्कालीन वन उप मंत्री की अध्यक्षता में देहरादून में वन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये कोई बैठकें हुई थीं ? यदि हां, तो उन बैठकों में कौन-कौन व्यक्ति उपस्थित थे तथा उसमें क्या निर्णय लिये गये और उन पर क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री अजीतप्रतापसिंह—

दिनांक २१ और २२ जनवरी, १९७० को देहरादून में टेहरी तथा उत्तरकाशी जिलों की वन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए तत्कालीन वन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उक्त बैठक में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक १ में है तथा उक्त बैठक द्वारा की गयी संस्तुतियां और उन पर की गयी कार्यवाही का† विवरण संलग्न २ में है।

## आजमगढ़ जिले के फूलपुर तथा सगड़ी तहसीलों में चकबन्दी जोत अधिनियम के अन्तर्गत जमीन की कटौती

*१८—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी जोत अधिनियम के अन्तर्गत हरिजनों को आबादी धूर, खलिहान, कब्रगाह इत्यादि के लिये कटौती करके जमीन देने के सम्बन्ध में इस समय चकबन्दी के दौरान जिला आजमगढ़ के तहसील फूलपुर और तहसील सगड़ी में उसका परिपालन हो रहा है ? यदि हां, तो कटौती का प्रतिशत क्या है और यदि कम है तो इसका स्पष्ट कारण क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। कटौती का प्रतिशत साधारणतया ३ से ५ प्रतिशत तक होता है जो कम नहीं है।

---

†छापा नहीं गया।

*१९—श्री मोहन लाल कपूर—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२०—श्री राम लगन दुबे—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

## गोरखपुर जिले के भुन्नरप्रसाद इण्टर कालेज में जनजाति क्षात्रावास का भवन निर्माण

*२१—श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वान्चल के जनपद गोरखपुर के तराई क्षेत्र में जन जाति (थारू) प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा चलाये जाने वाले भुन्नरप्रसाद इण्टर कालेज, बरगदवा के जनजाति छात्रावास भवन निर्माण के सहायतार्थ मांग-पत्र विभाग के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अजीत प्रसाद सिंह—

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित आवेदन पत्र हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश में २२ दिसम्बर, १९७० को प्राप्त हुआ था।

अनुसूचित जन जातियों के छात्रावासों हेतु भवन निर्माण के लिये अनुदान सम्बन्धी केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत केवल छात्राओं के छात्रावास भवन बनाने के लिये अनुदान दिया जा सकता है। अतः उपर्युक्त आवेदन-पत्र स्वीकृत करना सम्भव नहीं था और उसे दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

## अशोकपुरी सहकारी समिति लिमिटेड अच्छल्या का निरीक्षण

*२२—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के सहकारिता विभाग द्वारा निरीक्षित तथा संरक्षित आशोकपुरी सहकारी समिति लिमिटेड, अच्छल्या के अब तक सीनियर फार्मिग इन्सपेक्टर द्वारा कितने निरीक्षण पिछले ५ वर्ष में किये गये हैं ? इन निरीक्षणों में क्या अनियमितताये पाई गईं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२३–२४—श्री मोतीलाल देहलवी—

[६ठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८४–८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## कानपुर जिले के दुआरी कृषि सहकारी फार्म के रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने के सम्बन्ध में पत्र

*२५—श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि कानपुर के परगना अकबरपुर स्थित दुआरी कृषि सहकारी फार्म के रजिस्ट्रेशन को निरस्त किये जाने के हेतु जिलाधिकारी कानपुर द्वारा वर्ष १९७०-७१ में सहकारिता विभाग को कोई पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

जी हां, ऐसा एक पत्र परगनाधिकारी, अकबरपुर, जिला कानपुर ने सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, कानपुर को २०-८-७० को लिखा था । तदनुसार वैधानिक कार्यवाही करके सम्बन्धित समिति के समापन हेतु आदेश प्रसारित करके परिसमापक नियुक्त कर दिया गया है ।

## गंगा नदी की धारा में परिवर्तन से प्रभावित अलीगढ़ तथा फतेहपुर जिले के ग्राम

*२६---श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला अलीगढ़ तथा फतेहपुर के अन्तर्गत तहसील अतरौला के हारनपुर कलांकिरतोली तथा फतेहपुर गंग नामक ग्रामों की कितनी-कितनी भूमि तथा उनकी आबादी गंगा से कट चुकी है ? क्या सरकार उपरोक्त तीनों ग्रामों की जो भूमि गंगा की धारा से कटकर उत्तर दिशा में पानी से बाहर जिला बदायूं की सीमा की ओर निकल आई है उसे उक्त ग्रामों के उन कृषकों को जिसकी भूमि गंगा की धारा में कट चुकी है देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

जिला अलीगढ़ की तहसील अतरौली में स्थित हारनपुर कलां, हारनपुर गैर अहतमाली किरतौली एवं फतेहपुर गंग ग्रामों की क्रमशः ११२,२४९,५७६ तथा २०४ एकड़ भूमि गंगा नदी की धारा में परिवर्तन होने के कारण १९६९ के बाद नदी के दूसरी ओर चली गई है। इन ग्रामों की आबादी भी कट गई थी और ग्रामीणों को दूसरी जगह बसाया गया है।

जिला अलीगढ़ और जिला बदायूं के बीच राजस्व अधिकार क्षेत्र के लिये सीमा स्थायी है और नदी की धारा के साथ परिवर्तनशील नहीं है। नदी की धारा बदल जाने से इन जिलों के अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और दूसरी ओर निकली हुई भूमि अलीगढ़ जिले की ही अधिकार क्षेत्र में है । नियमानुसार इस भूमि पर अब भी उन्हीं कृषकों का अधिकार होना चाहिये जिनके खाते में यह धारा परिवर्तन के पूर्व सम्मिलित थी और इस परिस्थिति में इस भूमि को नये सिरे से किसी को देने का प्रश्न नहीं उठता।

*२७---श्री कल्याण सिंह---

[९वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## जिला सहकारी बैंक की शाखाओं में भूमि विकास बैंक का खाता खोला जाना

*२८---श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सहकारिता मन्त्री इस बात पर विचार करेंगे कि जिला सहकारी बैंक की शाखायें जिन स्थानों में हैं उनमें भूमि विकास बैंक का भी खाता खोला जाय ताकि किसानों को बैंक शाखा में ही भूमि विकास बैंक से ऋण लेने को सुविधा हो ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक आदेश देगी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि० की प्रत्येक शाखा का एक लोन एकाउन्ट (ऋण खाता) वहीं पर स्थित जिला सहकारी बैंक/उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के मुख्यालय अथवा उसकी शाखा में खुला हुआ है जहां से काश्तकारों को ऋण दिया जाता है।

## आजमगढ़ जिले के साधन सहकारी समितियों में धन का अपहरण

*२९—श्री लालसा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६७-६८ के आडिट इन्सपेक्शन में जिला आजमगढ़ के साधन सहकारी समिति वरिखापुर, ब्लाक दोहरीघाट साधन सहकारी समिति पवई, ब्लाक फूलपुर तथा केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार, आजमगढ़ में अलग-अलग कुल कितनी-कितनी धनराशि का अपहरण मिला है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

वर्ष १९६७-६८ के आडिट एवं निरीक्षण नोट के आधार पर सहकारी समिति वरिखापुर, ब्लाक दोहरी घाट में रु० २२,८५७.४० पैसे की धनराशि का अपहरण एकाउन्टेंट द्वारा किया गया है जिनके विरुद्ध दिनांक १९ अगस्त १९६९ को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

वर्ष १९६७-६८ में साधन सहकारी समिति पवई, ब्लाक फूलपुर में रु०१८,५४५.३९ पैसे की अनियमितता के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। विभागीय जांच के फलस्वरूप एकाउन्टेंट तथा खजांची के विरुद्ध दिसम्बर, १९७१ में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, आजमगढ़ के आडिट नोट वर्ष १९६७-६८ में किसी प्रकार के अपहरण एवं अनियमितता की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

## जिलाधीश, मैनपुरी द्वारा की गई कर्मचारियों की नियुक्तियों में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का अनुपात

*३०—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद के वर्तमान जिलाधीश महोदय ने अपने कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से २५ फरवरी, १९७२ ई० तक तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों की नियुक्तियां कीं? इनमें हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का पृथक-पृथक क्या अनुपात है?

श्री उदितनारायण शर्मा—

वर्तमान जिलाधिकारी मैनपुरी ने २३ जून, १९७० को अपने पद ग्रहण करने की तिथि से २५ फरवरी, १९७२ तक कलेक्ट्रेट अधिष्ठान के अन्तर्गत तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की निम्नलिखित नियुक्तियां समय समय पर कीं, जिनमें हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के लोगों का पृथक पृथक अनुपात उनके सामने अंकित है—

| | तृतीय श्रेणी | अनुपात | चतुर्थ श्रेणी | अनुपात |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रतिशत | | प्रतिशत |
| कुल नियुक्तियां .. | ३० | .. | ३३ | .. |
| हरिजन .. | ३ | १०.० | ३ | ९.०० |
| पिछड़े वर्ग .. | ५ | १६.७ | २८ | ८४.६ |

## इलाहाबाद कमिश्नरी में सुपरवाइजर कानूनगो के प्रशिक्षण हेतु भेजे गये लेखपालों में हरिजन लेखपाल

*३१—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि कमिश्नरी इलाहाबाद में सुपरवाइजर कानूनगो के प्रशिक्षण हेतु लेखपालों की वरिष्ठता की सूची १९७१ में तैयार हुई थी तथा वरीयता एवं योग्यता के आधार पर वर्ष १९६८ से १९७१ तक इस सूची में से कितने हरिजन एवं अन्य लेखपालों को सुपरवाइजर कानूनगो के प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस प्रकार की कोई सूची १९७१ में तैयार नहीं की गई । अतएव १९७१ की इस सूची से किसी लेखपाल को प्रशिक्षण हेतु भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

## लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय बाल एवं युवक समारोह हेतु अनुदान

*३२—श्री मोहन लाल कपूर (जिल मेरठ), श्री हिम्मत सिंह तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दिसम्बर १९७१ में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय बाल एवं युवक समारोह के लिये कितना अनुदान किस निमित्त दिया गया था कि और क्या शासन ने दिये गये अनुदान के व्यय विवरण की कोई जांच पड़ताल की है ? यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वास्तविक स्थिति यह है कि सर्वोदय सेवा संस्थान लखनऊ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय समाज सेवकों के सम्मेलन हेतु शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा १०,००० रु० का अनावर्तक अनुदान इस शर्त के साथ स्वीकृति किया गया था कि संस्था उक्त अनुदान के सम्बन्ध में यू० पी० ग्रान्ट्स टु सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशनन्स ऐण्ड आरगेनाइजेशन्स रूल्स, १९६० का अनुपालन करेंगी । उक्त नियमावली के नियम संख्या ८ के अनुसार अनुदान से सम्बन्धित व्यय का विवरण इत्यादि संस्था द्वारा ३१ अगस्त, १९७२ तक निदेशक, हरिजन तथा समाज कणयाण, उत्तर प्रदेश को भेजा जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*३३–३४—श्री दल सिंगार यादव—

[५वें गुरुवार में प्रश्न संख्या ५०–५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## जोत एवं शहरी सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारण हेतु विधेयक

*३५—श्री मोती लाल यादव (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण हेतु सरकार बजट सत्र १९७२-७३ में कोई विधेयक सदन के पटल पर रख रही है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने एकड़ तक की भूमि सीमा निर्धारण करने का निर्णय किया गया है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जैसा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में संकेत किया जा चुका है कि इस विषय में विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत करने का विचार है। विधेयक में ही जोत की अधिकतम सीमा भी प्रस्तावित की जावेगी। माननीय सदस्य उसके लिये कुछ और प्रतीक्षा कर लें।

*३६—श्री मोती लाल यादव—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरी सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारण करने हेतु बजट सत्र १९७२-७३ में कोई विधेयक सरकार सदन के पटल पर रखने जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने लाख रुपये तथा शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारण करने हेतु विधेयक को वर्तमान सत्र में ही पुरः स्थापित करने का विचार है इस विषय से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का अध्ययन करने के लिये मन्त्रि परिषद् की एक उप समिति गठित कर दी गई है जो अभी इस विषय पर विचार कर रही है।

## सीलिंग ऐक्ट के अधीन लखीमपुर जिले में बिड़ला बन्धुओं से प्राप्त भूमि एवं अधिकतम जोत सीमा

*३७—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि लखीमपुर जिले में बिड़ला के पिपरा फार्म से ४,२०० एकड़ भूमि फालतू सीलिंग ऐक्ट के अधीन सरकार को प्राप्त हुई और इस भूमि को हरिजन खेतिहर भूमिहीनों में वितरित किया गया? यदि हां, तो क्यों बिड़ला बन्धुओं से सरकार को अब तक कितना लाभ इस भूमि को पुनः पट्टे पर देने से हुआ?

श्री उदित नारायण शर्मा— 135269

बिड़ला बन्धुओं की अवध शूगर मिल्स, हरगांव (सीतापुर) के पिपरा फार्म की जिला लखीमपुर खीरी में ३,३५२ एकड़ भूमि तथा जिला सीतापुर में ४७२.६२ एकड़ भूमि, कुल ३,८२५.३७ एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन सरकार को प्राप्त हुई है। अभी तक इस भूमि को हरिजन खेतिहर भूमिहीनों में वितरित नहीं किया गया है। न ही यह भूमि मिल्स को अन्तरिम रूप से पट्टे पर उठाई गई है, अतः बिड़ला बन्धुओं से सरकार को लाभ होने का प्रश्न नहीं उठता।

*३८—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार ने मुख्य मन्त्री को यह लिखा है कि अधिकतम जोत सीमा १० से १८ एकड़ होनी चाहिये? यदि हां, तो सरकार कब इस पर ठोस कदम उठायेगी और विधेयक लाने का विचार इस सत्र में कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिश जो प्राप्त की गई थी उसमें परिवार के लिये अधिकतम जोत सीमा सिंचित या दो फसल उगाने के लिये सरकारी सूत्रों से सिंचित भूमि की १० से १८ एकड़ किये जाने की सिफारिश की गई है। शासन इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये अधिकतम जोत सीमा के निर्धारण के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है और इससे सम्बन्धित विधेयक को विधान मन्डल में इसी सत्र में पुरः स्थापति करने का विचार है।

## ग्राम समाजों द्वारा किये गये पट्टों की जांच

*३९—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या शासन की ओर से ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि ग्राम समाजों द्वारा १९६८ से अब तक किये गये सभी पट्टों की जांच की जाय? यदि हां, तो क्या उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

## भारत-पाक युद्ध में घायल, लापता एवं वीरगति प्राप्त हुये जवानों के परिवारों को दी जाने वाली सुविधायें

*४०—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के जिलेवार कितने जवान पिछले भारत-पाक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये तथा कितने घायल हुये एवं लापता हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त सैनिकों के परिवार हेतु क्या-क्या योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जहां तक प्रदेश सरकार की जानकारी है गत दिसम्बर, १९७१ में भारत–पाक युद्ध में सुरक्षा सेनाओं के जो सेनानी वीरगति को प्राप्त हुये हैं या खो गये हैं, उनकी जिलेवार सूची संलग्नक सूची १ में दी गई है। अपंग हुये सैनिकों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

उक्त सैनिकों व उनके परिवारों को जो सुविधायें प्रदान की जा रही हैं वह संलग्न सूची २ में दी गई हैं।

[देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३ पर]

*४१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[राज्य सरकार से सम्बन्धित न होने के कारण निरस्त]

*४२—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी तथा श्री रियासत हुसैन—

[६वें गुरुवार में प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## आयुक्त सहायता तथा पुनर्वासन कार्यालय के लेखाकार के पद पर नियुक्ति

*४३—श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त सहायता तथा पुनर्वासन कार्यालय के लेखा अनुभाग में लेखाकार के पद पर पदोन्नति अभी तक ज्येष्ठता के आधार पर होती रही है? यदि हां, तो १९७२ में अब तक (२१-३-७२ तक) कितने लेखाकारों के पदों पर पदोन्नतियां की गयीं और क्या यह पदोन्नतियां ज्येष्ठता के आधार पर ही की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? यह सही है कि २२ वर्ष से अधिक हो जाने के बाद भी इस विभाग के कर्मचारी अभी तक अस्थायी ही हैं? यदि हां, तो उन्हें स्थायी करने की कार्यवाही कब तक की जायगी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। सहायता तथा पुनर्वास आयुक्त के कार्यालय का लेखा अनुभाग पुनर्वास संगठन का एक अंग है। लेखाकार के पद पर नियुक्ति का आधार केवल संगठन के कर्मचारियों की ज्येष्ठता ही नहीं बल्कि कर्मचारी की योग्यता, कार्यकुशलता एवं लेखा कार्य करने की क्षमता भी आंकी जाती है। इसके अतिरिक्त नियुक्तियां बाहर से भर्ती करके एवं अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर भी की जाती हैं। इसी आधार पर १९७२ में लेखाकार के चार पदों पर नियुक्ति के लिये चुनाव किया गया।

जी हां।

सहायता तथा पुनर्वास विभाग पूर्णतया अस्थायी है जिस का सारा व्यय भारत सरकार वहन करती है और प्रदेशीय सरकार केवल उनके एजेंट की तरह काम करती है इसलिये यहां कर्मचारियों को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता है।

*४४—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*४५—श्री बांके लाल—

[५वें गुरुवार के लिये प्र० सं० ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४६-४७—श्री शिवदास तिवारी—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*४८—श्री बांके लाल—

[५वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

*४९—श्री राम गोपाल सण्ड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## अतारांकित प्रश्न

### कानपुर जिले में वितरित तकावी एवं अनुदान का आधार

१—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की तहसीलों में इस वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षति में अलग-अलग कितना रुपया अनुदान तथा तकावी में बांटा गया और रुपया दिये जाने का आधार क्या था?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रदत्त अनुदान एवं तकावी का तहसीलवार विवरण संलग्न है। अनुदान का विवरण पीड़ितों को हुई क्षति एवं उनकी आर्थिक दशा को देखते हुये किया गया और तकावी का वितरण प्रार्थियों की हैसियत के भी आधार पर।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९७ पर)

२—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मन्त्री यह भी बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में इस वर्ष बाढ़ में अतिवृष्टि से हुई क्षति में कुल कितना रुपया मकानों के लिये तथा कितना रुपया भुखमरी सहायता के लिए अनुदान के रूप में दिया गया और यह रुपया कितने गांवों में और कितने व्यक्तियों

को दिया गया तथा तकावी का कितना रुपया था और कितने गांवों के कितने व्यक्तियों को दिया गया और क्या सरकार इस रुपये को बांटने में की गई मनमानी की जांच करायेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

गृह निर्माण अनुदान के रूप में २५,००० रुपये ९४ गांवों के ४९९ पीड़ित व्यक्तियों को दिये गये और अहेतुक सहायता के रूप में ५,००० रुपये २८ ग्रामों के १७० व्यक्तियों को इसके अलावा २६२ ग्रामों के १,६०५ व्यक्तियों को १,०८,००० रुपये तकावी बांटी गई। अनुदान एवं तकावी का वितरण नियमानुसार हुआ। अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं पैदा होता ।

## बुलन्दशहर के सहकारी विभाग में चयन किये गये कुर्क अमीनों में हरिजनों की संख्या

३—श्री त्रिलोक चन्द—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में माह फरवरी, १९७२ में सहकारी विभाग में कुर्क अमीनों का चयन किया गया था ? यदि हां, तो उनके नाम तथा संख्या क्या हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## लखनऊ नगर की बाढ़ में प्रयोग की गई नावों के किराये का भुगतान

४—श्री रामसागर (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन की ओर गत बाढ़ के समय (सितम्बर, १९७२) लखनऊ नगर में कुल कितनी नाव लगी थी और उनमें से कितनों के किराये का भुगतान अभी तक शेष है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

लखनऊ नगर में सितम्बर, १९७१ को बाढ़ के समय कुल २५० देशी नावें तथा १५ मोटर वोट लगी थीं जिसमें १६३ देशी नावें किराये की थी। सभी किराये पर ली गई नावों के किराया का भुगतान किया जा चुका है।

## प्रश्नों के सही उत्तर न देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय मैनेजर सिंह ने इस हद तक कह दिया कि अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे। तो क्या इतने पर भी सरकार तैयार नहीं है कि सारे मामले की उच्चस्तरीय जांच करा दी जाये। यदि जांच नहीं कराते तो मैं समझता हूं कि सरकार का पक्ष कमजोर है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह जवाब देने तो खड़े हुये थे.....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह तो अधिकारियों को डिफेंड करने खड़े हुये थे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

एक एक करके सदस्य बोलें । बांकेलाल जी बोलें ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

मैं यह चाहता हूं कि जो सवाल पूछा जाता है उसका सही जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे हैं, इसलिये हम लोग चाहते हैं कि उसकी जांच हो जाये । उसके लिये यह तैयार नहीं होते हैं । यह कबूल करते हैं कि गड़बड़ी हुई । गब गड़बड़ी हुयी तो उनको जांच कर कराने में क्या दिक्कत है । जो बाढ़ वाला पैसा बांटा गया है, उस वक्त बिना रसीद के अल्प बचत योजना में आधा पैसा ले लिया गया है । किसान बेचारा तड़पता हुआ चला गया है । घर लोगों के बरबाद हो गये हैं उसकी सहायता के लिये यहां से धन भेजा जाता है, मुख्यमंत्री जी कृपा करते हैं, लेकिन वहां पर अल्प बचत योजना में बिना रसीद के पैसा काट लिया जाता है। यह हालत देवरिया जिले के हर गांव में आज है। इस तरह से हम लोगों की मर्यादा कैसे कायम रहेगी । हमें ऐसी सदस्यता नहीं चाहिये हम इस्तीफा दे देंगे ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

यह बात ठीक है--मंत्री जी ने माना है कि चन्द जिलों में जो सहायता गई है उसमें गबन या व्यतिक्रम हुआ है । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराने में क्या गड़बड़ी --क्या आपत्ति हो सकती है । आप कहते हैं प्राइमाफेशी केस नहीं बन रहा है....

श्री उपाध्यक्ष --

अब आप मंत्री जी को सुनना चाहते हैं या नहीं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

पूर्वी जिलों से संबंधित यह सवाल है और वहां के मेम्बरों में बड़ा यहां असंतोष है । मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुये हैं वह मुख्तसर में जवाब दे देंगे तो उन्हें संतोष हो जायेगा, यह हमें आशा है । वह जवाब दे दें ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मंत्री जी का उत्तर सही नहीं है, यह भ्रष्ट अधिकारियों की वकालत करते हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने भी शिकायतें आई हैं दोनों पक्षों के लोगों की तरफ से । मुख्य मंत्री जी बलिया गये थे तो वहां भी विभिन्न दल के लोगों ने उनसे शिकायत की थी । श्री जगन्नाथ शास्त्री ने भी उनको लिखा था और उनके पत्र पर उन्होंने राजस्व मंत्री जी को लिखा था कि सख्त कार्यवाही होनी चाहिये । लेकिन हमको जहां तक सूचना है मुख्य मंत्री जी के लिखने के बावजूद भी वह शीतगृह में पड़ी हुई है और मंत्री जी उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं--(व्यवधान) आप इस सदन की भावना से मुख्य मंत्री जी को अवगत करायें । मंत्री जी से राजस्व विभाग लेकर उन्हें कोई दूसरा विभाग दे दिया जाये, इनसे राजस्व विभाग ले लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले मेरा आग्रह है कि आप मंत्री जी को सुनें, उससे संतोष न हो तो देखा जायेगा । मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, होगा, धैर्य रखें ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, बराबर यहां सदन में कहा जाता है कि माननीय सदस्य यदि अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कुछ देंगे तो उसकी जांच करा ली जायेगी । लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है । जब हम कहते हैं कि जो यहां मकान के लिये भेजा गया है एक आदमी को

६० हजार रुपया दिया गया, एक आदमी को साढ़े बारह हजार मिलना चाहिये। किसी तहसील में कायदे से रुपया नहीं बांटा गया । एक घंटे में जिले के वकील और व्यवसायी अपने परिवार के ५–५ सदस्यों को मेम्बर बनाकर ले लिया है।

कहा जाता है कि माननीय सदस्य कोई सूचना दें तो हम जांच करवा दें । जब यह कहा जाता है कि जितना रुपया १८ लाख देवरिया में दिया गया क्या सब लोग पा सके तो कहा जाता है कि सब रुपया बट गया । लेकिन जब कहा जाता है कि ८ हजार रुपया वापस हो गया तो कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि यह पूर्वी जिलों की गरीबी के साथ खिलवाड़ न किया जाय। अगर लेखपाल की हिफाजत कलेक्टर नहीं करेगा तो निर्वाचन अधिकारी निकम्मा माना जायगा। उससे आप जवाब मांगते हैं । आप क्यों नहीं सी० आई० डी० की जांच करवाते है ? क्या आपको इसमें परेशानी है ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)––

मान्यवर,....

श्री बांकेलाल––

हम इनकी कोई बात नहीं सुनेंगे।

श्री मैनेजर सिंह––

माननीय राजस्व मंत्री बोलेंगे तो झंझट बढ़ेगा। आप माननीय मुख्य मंत्री से कहलवाइये वह कहना चाहते हैं । वह हम लोगों को आश्वासन दें कार्यवाही करने के लिये । कौन कार्यवाही माननीय मुख्य मंत्री करवाना चाहते हैं, माननीय मुख्य मंत्री से कहलवाइये। इनको बैठा दीजिये।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)––

एक लेखपाल श्री निवास तिवारी तहसील हांडा का है। चार बूथ बनाने के लिये ३६ रुपये तय हुये । जब ३६ रुपया मांगे गये तो १५ रुपये की रसीद लिखवायी गयी और १० रुपये दिये गये। यह तहसील हांडा का मामला है। लेखपाल श्रीनिवास तिवारी हैं। इस मामले में जांच होनी चाहिये। कहते हैं कि जांच हो तो कह रहे हैं कि देख रहे हैं । जिन लोगों ने काम किया उनको पूरा पैसा मिलना चाहिये।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)––

मान्यवर, मेरी तो समझ में नहीं आया कि विरोध कहां पैदा हो गया । एक लेखपालों का कुछ मामला है। पूछा गया कि उनको रुपया बांटा गया या नहीं । राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया कि इनको रुपया बांटा गया केवल तीन ने इनकार किया । तीनों का उल्लेख कर दिया। अब इस मामले में दूसरे और प्रश्न उठा दिये गये, मकान का मामला बाढ़ का जो पैसा बटा है, उसका मामला, ऋण का मामला, नसबन्दी का मामला ये सारे मामले उठा दिये गये। मैं नहीं समझता कि जब कोई माननीय सदस्य कुछ सुनना नहीं चाहेंगे उत्तर तो फिर किस बात का उत्तर दिया जाय। अगर वह कहते हैं कि हम को सूचना मिलेगी हम जांच करवा लेंगे, अगर किसी बात की जानकारी नहीं है और आपके द्वारा सरकार सूचना मांग ले और जांच कराने को कहे तो अनुचित बात नहीं है। सूचना दे देंगे तो जानकारी कर ली जायगी । जांच उन्होंने कराई। चार जिलों का नाम लिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि पूर्वी इलाके में जो पैसा बटा है उसके संबंध में काफी शिकायतें आयी हैं। हमने जांच किया है कि चार जिलों में सी० आई० डी० की इनक्वायरी करा ली जाय । माननीय मैनेजर सिंह बलिया को शामिल करवाना चाहते हैं । मैं उनकी बात स्वीकार करता हूं बलिया में करेंगे और दो एक जिले बताते हैं (व्यवधान) सारे प्रदेश की इनक्वायरी कराने में साल भर लग जायगा । (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मेरे जिले में फूलपुर के नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया गया, उसको बहाल कर दिया गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं, जो कार्यवाही की गयी है, किसी को सस्पेंड किया गया, बहाल कर दिया गया, लिख कर भेज दीजिये तो हमारे सामने कुछ सूचना हो जायगी। उसके ऊपर इनक्वायरी करा लेंगे। आप चाहते हैं कि बलिया में इनक्वायरी करा ली जाय। मैं राजस्व विभाग से कहूंगा कि बलिया में इनक्वायरी करा लें। (व्यवधान) .... बहुत अच्छा आजमगढ़ की भी ।

श्री बांकेलाल—

देवरिया भी ले लीजिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

देवरिया का नाम पहले ही बतलाया जा चुका है ।

श्री बांकेलाल—

नसबन्दी कराई गयी तब घर गिराई का पैसा दिया गया ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिस जिले के लिये कहा जायगा हम वहां भी इंक्वायरी करा लेंगे, इंक्वायरी कराने के हम खिलाफ नहीं हैं । चार जिले के नाम दिये गये। अब आजमगढ़ का नाम लिया गया । वहां भी करा लेंगे और आगे जिसके लिये कहा जायगा वहां भी करा लेंगे । सी०आई० डी० की इंक्वायरी में देर लगती है । ५,६ जिलों की इंक्वायरी में ही एक आध महीना लग जायगा । स्पेसिफिक केसेज की इंक्वायरी तत्काल हो जायगी । राजस्व मंत्री की ओर से कोई इंकार नहीं किया जा रहा था । माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह सरकारी पक्ष की बात पहले सुन लिया करें फिर तो उनको प्रश्न करने का अधिकार है ही ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देवरिया में जांच कराई जायगी बलिया में जांच का आर्डर पहले ही हो चुका है । आजमगढ़ की जांच भी स्वयं करा रहा हूं । एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिस पर कार्यवाही न हो रही हो । शासन का निर्णय बतला दिया गया था कि जितने पूर्वी जिले हैं जिनमें गड़बड़ियां हुई हैं उनकी जांच कराई जा रही है । उसके बाद जो बातें कही गयीं वे किसी मानी में पैदा नहीं होती थीं और म यहां कही जा सकती थीं जिनमें कि इस सदन का इतना समय लिया गया जब कि उनको पहले ही मान लिया गया था और उनका जवाब दे दिया गया था ।

श्री मैनेजर सिंह—

लेखपाल को पैसा नहीं मिला । अधिकारी गये । हम लोग कह रहे ह कि जांच करा-इये । सतर्कता विभाग आपके मातहत है लेकिन आप कहते हैं कि प्रागदर्शन में देखने के बाद जांच होगी । सारी गड़बड़ी इस तरह से आप पैदा करते हैं और इस तरह से न आप सुनना चाहते हैं और न मानना चाहते हैं ।

# श्री रूपनाथ सिंह यादव द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ६३ के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री रूपनाथ सिंह यादव ने उठाने की सूचना दी है । श्री रूपनाथ सिंह यादव को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं ।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

आज विधान सभा की कार्य सूची में मेरे दो प्रश्न थे ३७ व ३८ नम्बर पर जिनका उत्तर इस प्रकार दिया गया है:—

३७—बिड़ला बन्धुओं की अवध शुगर मिल्स, हरगांव (सीतापुर) के पिपरा फार्म की जिला लखीमपुर खीरी में ३३५२ एकड़ भूमि तथा जिला सीतापुर में ४७२.६२ एकड़ भूमि कुल ३८२५.३७ एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन सरकार को प्राप्त हुयी है । अभी तक इस भूमि को हरिजन खेतिहर भूमिहीनों में वितरित नहीं किया गया है । न ही यह भूमि मिल्स को अन्तरिम या पट्टे पर उठाई गई है । अतः बिड़ला बंधुओं को लाभ होने का प्रश्न नहीं उठता ।

३८—जी हां, केंद्रीय सरकार से केंद्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों जो प्राप्त की गईं थीं उसमें परिवार के लिये अधिकतम जोत सीमा सिंचित या दो फसल उगाने के लिये सरकारी सूबों से सिंचित भूमि की १० से १८ एकड़ भूमि किये जाने की सिफारिश की गई है । शासन इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम जोत सीमा के निर्धारण के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है और उससे संबंधित विधेयक को विधान मंडल में इसी सत्र में पुरःस्थापित करने का विचार है ।

माननीय, मेरा यह निवेदन है कि माननीय राजस्व मंत्री ने इस सदन में यह बयान किया था कि सीलिंग से प्राप्त जमीन को जून और दिसम्बर, १९७१ में बांट देंगे । सीतापुर और लखीमपुर में बिड़ला बन्धुओं के फार्म से लगभग ४ हजार एकड़ जमीन प्राप्त हो गयी है । यह नहीं बताया गया कि यह जमीन क्यों नहीं बांटी गयी । हमारा यह चार्ज था कि चुनावों में बिड़ला बन्धुओं से रुपया लेकर चुनाव लड़े गये और इसके एवज में दस वर्ष तक जमीन से उनको मुनाफा खाने दिया गया और आज तक सदन को यह नहीं बताया गया कि १० वर्ष तक यह जमीन किस के कब्जे में रही ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह बतायें कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

विशेषाधिकार का प्रश्न दो कारणों से उठता है । एक तो सदन को मंत्री जी ने गुमराह किया और दूसरे गलत बनायी की । पहले कहा था कि लखीमपुर और सीतापुर में जून और दिसम्बर, १९७१ तक बांट देंगे । आज कहते है कि ४ हजार एकड़ जमीन प्राप्त हो गयी है लेकिन बांटी नहीं गयी । कोई कारण नहीं बताया कि क्यों नहीं बांटी गयी । किसके कब्जे में यह जमीन रही ? क्या कलेक्टर के कब्जे में है या बिड़ला बन्धुओं ने खुद अपने कब्जे में रखा ? अपने कब्जे में रखा तो क्यों रखा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप प्रश्न कर सकते हैं लेकिन आप यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न कैसे बनता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आप अगर टेक्निकली किसी चीज को देखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है लेकिन आप खुद गौर करें कि लगातार प्रश्नों के जो उत्तर मिलते हैं उसमें जो मूल विषय होता है उसको छिपाने की कोशिश की जाती है । अगर हम लोग आपसे नहीं? कहेंगे कि तो किस के माध्यम से कहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहिये मगर कैसे विशेषाधिकार की अवहेलना हुयी है]?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसमें इसलिये हो गयी कि जो निश्चित प्रश्न किया गया उसका निश्चित उत्तर आना चाहिये था....

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आपने भी नहीं समझा है कि माननीय रूपनाथ सिंह जी ने क्या पूछा है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

वह तो सदन में जवाब आ गया । और जब सदन में जवाब आ गया तो वह हर माननीय सदस्य की सम्पत्ति हो गयी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जो लिख कर रूपनाथ जी ने दिया है कृपा कर के अगर उसको पढ़ दिया जाय तो लोगों की समझ में आ जायगा और शायद बहस नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

बात यह है कि हमारे पढ़ देने के बाद भी माननीय सदस्य भी कहते हैं तो वह दोहराना हो जाता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

लेकिन पूरी बात सदन के सामने आ नहीं पायी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आपने भी नहीं देखा है तो हम इसको आज स्थगित करते हैं और कल इस पर निर्णय देंगे क्योंकि अभी आपने भी नहीं पढ़ा है ।

## इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षा के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

आज तीन दिन से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगातार कापियां फाड़ी जा रही हैं और यह एक नमूना है (फटी हुयी कापी दिखा कर) २० तारीख की कल की बी०एस-सी० की कापी फाड़ी गयी है और बड़ा भीषण असंतोष है कि वहां पर पर्चा आउट हुआ है.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो लिख कर दिया नहीं है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

जी नहीं। यह बड़े महत्व का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य-सूची से सम्बद्ध कोई विषय पर कहें।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

यह बहुत महत्वपूर्ण था इसलिये ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने कह दिया।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

यूनिवर्सिटी का इम्तहान बिल्कुल फालतू हो गया है.....

श्री उपाध्यक्ष—

पांडेय जी नियम जानते है। लिखकर हमको भेज दें। कल १० बजे तक पहुंचना चाहिये। अगर नियमानुसार आयेगा तभी तो उस पर विचार करेंगे।

## बलिया जनपद में बिहार के सरहदी स्थायी सीमा निर्धारण के फलस्वरूप भूमि की अदला बदली वाले क्षेत्र में रबी की कटाई बिहार के लोगों द्वारा डोकटी दियारा, जिला बलिया के काश्तकारों की फसल को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उप मंत्री, (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)—

बलिया जनपद की सीमा निर्धारण के बाद बलिया की कुछ जमीन बिहार प्रदेश में चली गई तथा बिहार प्रदेश की कुछ जमीन बलिया में आ गई। दिनांक २८-३-७२ को द्वारिका सिंह, निवासी डोकटी, थाना बैरिया, जिला बलिया गांव के कुछ अन्य साथियों के साथ डोकटी दियारा, जिला बलिया में नीलाम की हुई अपनी भूमि की फसल की रखवाली कर रहे थे। करीब ४ बजे शाम को उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा पर स्थित पिलर नं० २/१४ के करीब उन लोगों ने देखा कि परमेश्वर सिंह, निवासी ग्राम सोहरा, जिला शाहाबाद (बिहार) लगभग २००-३०० व्यक्तियों के साथ जो हथियार लिये हुये थे उनकी नीलाम ली हुई जमीन की फसल को कटवा रहे थे। द्वारिका सिंह ने इस क्षेत्र में फसल की सुरक्षा के लिये तैनात पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस पार्टी तथा द्वारिका सिंह आदि बिहार के लोगों को फसल काटने से रोकने के लिये आगे बढ़े। इस पर परमेश्वर सिंह आदि पुलिस पार्टी की ओर बन्दूक से फायर करने लगे। आत्म सुरक्षा में उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी। उत्तर प्रदेश की पुलिस के गोली चलाने पर बिहार के लोग कटी फसल को छोड़ कर नदी पार कर बिहार प्रदेश की सीमा में भाग गये। श्री द्वारिका सिंह ने इस घटना की सूचना थाना बैरिया पर अंकित कराई। इस सूचना के आधार पर थाना बैरिया पर भारतीय दण्ड विधान की धारा १४७/१४८/३७९/३०७ के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। इस घटना के समय बिहार के लोगों के साथ बिहार की पी०ए०सी० नहीं थी तथा बिहार और उत्तर प्रदेश की पी०ए०सी० के बीच गोली चलने की कोई घटना नहीं घटी। २ अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे गये। शेष नामांकित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये जिला शाहाबाद की पुलिस को तहरीर भेजी गई है।

[श्री राम कृष्ण द्विवेदी]

उत्तर प्रदेश की सीमा में बलिया के लोगों की भूमि की फसल की सुरक्षा के लिये समुचित प्रबन्ध है । सीमा के इलाकों पर पुलिस तथा पी० ए० सी० तैनात है तथा पुलिस और माल के अधिकारी उन इलाकों का दौरा करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सीमा में पड़ने वाली भूमि की फसल की सुरक्षा के सम्बन्ध में बलिया के लोगों में कोई भय व्याप्त नहीं है ।

दिनांक ३१-३-७२ को मौजा खवासपुर, जो सीमांकन के बाद बिहार में पड़ता है, में बलिया के काश्तकारों की फसल को हथियार से लैस बिहार के ३००-४०० लोगों द्वारा शाहाबाद के एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में काट लिये जाने की सूचना प्राप्त हुई है । बिहार राज्य की की सीमा में घटित इस घटना से बिहार प्रदेश की सरकार सम्बन्धित है। बिहार राज्य में बलिया के किसानों के प्रति अन्याय न हो इस के लिये बिहार प्रदेश के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप स्वयं यह गौर करें कि जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि द्वारिका सिंह वगैरह फसल की रखवाली कर रहे थे और फिर जबाव देते हैं कि नीलाम ली हुई जमीन की फसल को कटवा रहे थे। तो जब ये रखवाली कर रहे थे तो बिहार वाले कैसे फसल को कटवा रहे थे जबकि यह होना चाहिये था कि जब रखवाली कर रहे थे तो उस समय जबरदस्ती फसल को काटने लगे। तो इस वक्तव्य में विरोधाभास है। उपाध्यक्ष जी, आप तो भाषा के विद्वान हैं आप जानते है कि उसकी भाषा कैसी है। इसलिये आप उनसे यह पूछें कि यह जो वक्तव्य दिया गया है वह किस अधिकारी ने उनके यहां भेजा है और इसमें विरोधाभास क्यों है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

माननीय सदस्य तो बलिया के हैं, उन्हें तो इस विषय की पूरी जानकारी होगी। रखवाली एक आदमी कर रहा था और पहले से कर रहा था। एकाएक बिहार वाले लोग आ गये और फसल काटने लगे। तो इसमें विरोधाभास कहां है। मैं समझता हूं कि यह तो तत्सम चल रहा है ।

श्री मैनेजर सिंह---

उपाध्यक्ष जी, इसमें जो रखवाली कर रहे थे, उसमें केवल द्वारिका सिंह ही नहीं थे । वे अन्य साथियों के साथ रखवाली कर रहे थे। मैं समझता हूं कि खाली ध्यान आकृष्ट करके यह वक्तव्य बनवा दिया है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

जो बयान है उससे स्पष्ट है कि बिहार के लोग नदी पार करके इस पार आये। वहां आपकी पुलिस भी थी । दोनों ओर से गोली चली। कहीं नहीं है कि पुलिस ने पीछा किया । अब यह कहते हैं कि वे सतर्क हैं। अगर सतर्क होते तो मुठभेड़ होने पर दो, चार, 10, 20 गिरफ्तारियां हुई होतीं। दो जो गिरफ्तार किये गये हैं वह घटना के बाद किये गये। तो पुलिस निष्क्रय रही, पीछा नहीं किया, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी---

बहुत स्पष्ट है कि हमारी पुलिस की और उनकी दो टुकड़ियों में मुठभेड़ नहीं हुई । वहां से कोई पुलिस नहीं आयी थी। बिहार से लोग खेत काटने की नीयत से आये थे हमारी पुलिस ने पीछा किया। वहां नदी है और वे लोग नदी पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं। माननीय चौधरी साहब इससे अधिक परिचित हैं। हमारी पुलिस के पास नाव नहीं थी, ऐसी स्थिति

में उसके लिये संभव नहीं था कि नदी पार करके वहां जाकर उन्हें पकड़ सकती। यह भी स्पष्ट है कि सतर्कता बरती गयी। दो व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और वे जेल भेजे गये। साथ ही 10 व्यक्तियों के नाम रिपोर्ट दर्ज है ताकि वे अरेस्ट किये जा सकें और हमारे प्रशासन की ओर से रेडियोग्राम भेज कर उनका ध्यान आकृष्ट किया गया है कि वे विशेष सतर्क रहें कि हमारे लोगों के ऊपर अन्याय न किया जा सके।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह जो दियरे हैं बलिया और बिहार के बीच में ये बलिया के गांव हैं या बलिया की जमीन है या बिहार के गांव हैं या बिहार जी की जमीन ह, तथा किसानों में केवल जमीन के बारे में मतभेद नहीं चलता बल्कि यह भी है कि कौन सी पुलिस का जुरिस्डिक्शन पड़ता है---उत्तर प्रदेश का या बिहार का ? ऐसी स्थिति में इस मतभेद को देखते हुए क्या मुख्य मंत्री जी विचार करेंगे कि बिहार गवर्नमेंट और यू० पी० गवनमेंट पुलिस अधिकारी आपस में बैठ करके इस बात को तय कर लें कि इन दियरों के जो कंट्रोवर्शियल गांव हैं वह किस पुलिस के जुरिस्डिक्शन में पड़ते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

माननीय सदस्य को अच्छी तरह से याद होगा कि ये बलिया की सीमा के संबंध में और बिहार की सीमा के संबंध में विवाद आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। अंग्रेजी राज के जमाने से है और इस पर एक कमीशन भी बैठा था जिसने फैसला कर दिया जिसके मुताबिक सीमान्बन्दी होती है, हदबन्दी होती है। बिहार की सरकार और अधिकारियों से कई बार बातचीत हो चुकी है। यह बात ठीक है कि जुरिस्डिक्शन तो अब साफ हो चुका है लेकिन बिहार की पुलिस कुछ बिहार के लोगों की ओर मुरव्वत दिखा देती है और हमारे यहां की पुलिस भी पीछा करती है, गिरफ्तार करती है, उसके उपर मुकदमा भी चलाती है। 10 आदमियों का नाम भेजा गया है, मालूम नहीं कि गिरफ्तार करके हमारे हवाले किये जायेंगे या नहीं। तो इस सम्बन्ध में मैंने खुद बिहार के मुख्य मंत्री जी से मिलकर कहा था कि झगड़े आते रहते हैं--- इसकी सूचना मुझे थी---इनको किसी प्रकार से एक बार बैठ करके निपटारा कर देना चाहिये] और आपकी ओर की पुलिस को रोकना चाहिये कि बिहार के लोग न आने पायें। यह अच्छा नहीं मालूम होता कि वहां से लोग आयें और उत्तर प्रदेश की पुलिस उन पर डंडे और गोली चलावे, उनको गिरफ्तार करें। इससे तो मन मुटाव बढ़ेगा। यह तो वहां की पुलिस और सरकार का काम है कि वहां के लोग को रोकें। जो नहीं रोकेगा और उसके बिरुद्ध कोई कार्यवाही करनी पड़े तो बिहार की सरकार को बुरा नहीं मानना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि हम इस विषय में बात चीत करके फैसला करेंगे।

श्री बंशीधर पान्डेय (जिला वाराणसी)---

क्या मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के संबंध में त्रिवेदी कमीशन बठा था, जैसा कि पंडित जी ने कहा, लेकिन आशंका हो गयी कि पुलिस उधर से काश्तकारों के साथ इधर आती है और फिर जवाब में हमारे काश्तकारों को मेरी पुलिस मदद नहीं करती तो हमारा पक्षहीन होता है ? पंडित जी ने कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति आयेगी तो हम एक्शन लेंगे तो सरकार को बुरा नहीं मानना चाहिये। मेरे मन में शंका पैदा हो गयी कि अगर दोनो तरफ से पुलिस भिड़ जायगी तो अंजाम क्या होगा ? यह कैसे तय होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, यह मैंने नहीं कहा कि पी० ए० सी० भिड़ गयी। जो लोग आये थे उनको हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया और 10 आदमियों के लिये लिख भेजा है उधर की पुलिस नहीं आई

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

इधर की पुलिस ने उनको खदेड़ा और वे गंगा जी पार कर निकल गये। मैंने वहां के मुख्य मंत्री जी से कहा कि यह नामुनासिब बात है कि आपके आदमी इधर जांये और हमारे आदमी गोली चलायें आप ऐसी व्यवस्था कीजिये कि आपके यहां के आदमी जो आकर फसल काटते हैं उनको वहां की पुलिस रोके। अगर नहीं रोकेगी और वे इधर आ जायेंगे तो इधर की पुलिस उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। इससे मन मुटाव बढ़ेगा। इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उधर के आदमी इधर न आयें और अगर आ जायें तो उनके साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिये। जैसा कि अनधिकार चेष्टा करने वालों के साथ किया जाता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, पुलिस की इतनी थोड़ी वहां पर संख्या है कि लोगों की रक्षा नहीं हो पाती है। इतनी लम्बी जो सीमा है उस पर कितनी तैनात है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई लड़ाई नहीं चल रही है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब २००–३०० आदमी आये और खेत काट रहे थे तो इनकी पी० ए० सी० उस समय कहां थी, कितने राउन्ड गोली चली और गिरफ्तारियां कब और कितनी हुईं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, पी० ए० सी० को जब सूचना मिली और उसने फायरिंग किया तो उन लोगों ने भाग कर गंगा जी की शरण ली। दूसरा उनका प्रश्न है कि किस तारीख को गिरफ्तरियां की गई हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि २९–३–७२ को दो आदमी गिरफ्तार हुये उनको जेल भेज दिया गया। अन्य दस व्यक्ति और हैं, उनके लिये तेहरीर भेजी गई है। होम सेक्रेटरी ने लिखा है और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने निवेदन किया कि इस प्रश्न को राजनीतिक स्तर पर हल करना चाहते हैं। इसलिये मुख्य मंत्री जी ने बिहार के मुख्य मंत्री जी से बात की थी कि इसका शीघ्र समाधान हो जाय।

श्री मैनेजर सिंह—

मैंने यह सवाल किया था कि इनकी पुलिस कहां थी उस समय जबकि वह २८ तारीख के पहले से उनकी रक्षा के लिये तैनात थी। जब खेत काटने लगे तो उस समय पुलिस कहां थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये।

## कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५६ के अन्तर्गत ५ सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक माननीय मनोहर लाल जी की है "कानपुर के जनपद के फेथफुलगंज मोहल्ला के अल्प संख्यकों पर थानाध्यक्ष तथा पुलिस का अत्याचार।" यह स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, १७–४–७२ को गुन्डों में झगड़ा हुआ है। एक गुन्डे के ग्रुप को पुलिस संरक्षण देती है। एफ० आई० आर० से पहले ही वहां की पुलिस ने वहां के दुकानदारों, महिलाओं

तथा बच्चों को मारा पीटा है। सारा बाजार बन्द है। वहां के लोग भागे हुये हैं और शहर में दूसरी जगहों पर रह रहे हैं। इतना आतंक छाया हुआ है। माननीय रियासत हुसैन जी ने सियासत अखबार पढ़ा होगा। उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से वहां के मुसलमान परेशान हैं। पूरा मोहल्ला मुसलमानों का है। पुलिस उन पर ज्यादती कर रही है। कल विभिन्न पार्टियों के लोग वहां गये थे और एक मीटिंग की थी उस मीटिंग में पुलिस के खिलाफ मांग की गयी है। लेकिन अभी तक पुलिस उन लोगों पर ज्यादती कर रही है। छोटे-छोटे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ बच्चे कल छूट कर आये थे। औरतों को परेशान व बेइज्जत किया जा रहा है। कुछ गुंडों के कहने के कारण पुलिस यह सब कार्य कर रही है। कानपुर में बड़ा गंदा वातावरण फैला हुआ है। यह बहुत महत्व पूर्ण मामला है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इसको इसलिये अस्वीकार किया है कि इसकी ऐसी शब्दावली है जिससे मालूम पड़ता है कि हिन्दू मुसलमानों में कहीं झगड़ा हो गया है।

श्री मनोहर लाल--

श्रीमन्, आप उसको पढ़ लें। मैं स्वयं ही उसको पढ़ कर सुनाये देता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

आप बराबर यही कह देते हैं। आप उसको पढ़ तो दीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

आप सब बोलते रहेंगे तो फैसला किस तरह से होगा। जितनी तेजी से आप लोग बोल रहे हैं उसके आधे होश के साथ भी आप उसकी भाषा को शुद्ध कर दें तो ठीक हो जाय।

श्री मनोहर लाल---

मैं इसको पढ़े देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। मैं आपको समझाये देता हूं कि आपके लिखने का ढंग इस प्रकार का है कि उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि हिन्दू मुसलमानों में कदाचित झगड़ा हो गया है।

(व्यवधान)

आपको यह कहना चाहिए था कि पुलिस ज्यादती कर रही है, उसमें अल्पसंख्यकों का नाम लिखने की क्या जरूरत थी। मैंने तो स्वयं ही कहा था कि आप इसको ठीक करके दे दीजिये, म इस पर विचार कर लूंगा। लेकिन इससे जो ध्वनि निकल रही है वह अच्छी नहीं है। मैंने अपने कक्ष में ही आपको समझा दिया था। पुलिस की अगर कहीं ज्यादती होती है तो उसको वैसा लिखना चाहिये, अब वह हिन्दू के साथ हो अथवा मुसलमान के साथ हो।

(व्यवधान)

इस तरह से मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं निवेदन करता हूं कि हमारे यहां जो भी चीज आये कायदे से आये।

एक प्रश्न माननीय कल्पनाथ सिंह जी का है "घाघरा पुल" के बारे में, उसको मैंने अस्वीकार किया है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

वह कह रहे हैं कि पुलिस यहां ज्यादती कर रही है फिर उसमें हिन्दू मुसलमान का क्या सवाल होता है ?

श्री मनोहर लाल—

हम इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री मनोहर लाल अपने दल के कुछ सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीया प्रधान मंत्री आगरा में दोहरीघाट पुल का उद्घाटन करने के लिये आ रही हैं। यह पुल तो बहुत पहले ही तैयार हो गया था। पहले से ही उस पर बहुत से आदमी चल फिर रहे थे। रिक्शा, तांगा और ट्रक्स भी आ जा रहे थे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष जी, हमारी पार्टी आपकी व्यवस्था के विरोध में १५ मिनट के लिये सदन का त्याग करती है ।

(श्री शम्भूनाथ चौधरी अपने दल के कुछ सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी नोटिस नहीं लेता। यह सदन का त्याग करना अनुचित है। यह अध्यक्ष, चेयर और सदन का अवमान है। यह सदन त्याग अनुचित है, आप चेयर का इस तरह से अवमान कर रहे हैं। आप तो अवमानना करने पर ही उतारू हैं और चाहते हैं इस मामले को हिन्दू मुसलमानों का विषय बना कर ही बहस करें तो वह मैं नहीं होने दूंगा और न वह उचित है। अल्पसंख्यकों पर ज्यादती का सवाल नहीं है, पुलिस की ज्यादती की बात हो सकती है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

हमने तो कहा कि आप शब्दों पर उसके न जायं आप भाव पर जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

हम भाव में नहीं जायंगे जो शब्द लिखे गये हैं वही हम देखेंगे। आप अपना भाव जोड़ दीजिये ।

श्री रामबिलास पांण्डेय—

श्रीमन्, कल हमारी प्रधान मंत्री जी दोहरी घाट पर बने पुल का उद्घाटन करने आ रही हैं लेकिन उस पुल पर तो लाखों आदमी पिछले दस मास में चल चुके हैं, जितनी ही रिक्शा, ट्रकें, रोडवेज की बसें और गाड़ी तांगे उस पर चल चुके हैं और मैंने संकेत किया है कि जो पहला व्यक्ति उस पुल पर गुजरा होगा उसी ने उसका उद्घाटन कर दिया होगा। इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल भी गोरखपुर से आजमगढ़ उसी सड़क से वापस आये हैं, बचाखुचा उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। मैं चाहूंगी कि यह बात यह प्रदेश की सरकार अगर उन समाजवादी मान्यता वाली देवी को बता दिये होती कि उक्त पुल का उद्घाटन हो चुका है और उस पर लाखों लोग गुजर चुके हैं तो लाखों रुपया जो प्रधान मंत्री जी के आने पर खर्च हो रहा है उस पूर्वी गरीब जिले में वह न होता। अभी वहां राज्य निर्माण मंत्री गये थे और एक सड़क २५ हजार की लागत से उस इलाके में बन चुकी थी लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री जी को धूप लगेगी

इसलिये सड़क का काम बन्द करके मजदूरों को दूसरी जगह लगाया गया। अगर यह उद्घाटन की बात न होती तो यह पैसा खर्च न होता। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार अगर प्रधान मंत्री को बता देते तो...

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री महोदया से निवेदन कर दें कि यह उपहास का विषय होगा कि लाखों आदमी पुल का उद्घाटन कर चुके हैं उसका वह उद्घाटन करें। दूसरे लाखों रुपया उस समारोह के लिये व्यय करने जा रहो है। उस पुल के दोनों तरफ नदी के कटाव पीड़ितों की झोपड़ियों के लिये जगह नहीं है लेकिन दूसरी ओर लाखों रुपया सरकार इस जमाने में व्यय करने जा रही है और वहां पंडाल बनने जा रहा है। ऐसे ड्रामा को आप खत्म करें और मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री से कहें कि यह उद्घाटन अब बेकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न आपने निश्चित नहीं किया। किसने उद्घाटन किया, वैसे तो लाखों काम करने वाले पुल के इधर-उधर आया जाया करते हैं।

श्री राम बिलास पांडेय—

राज्यपाल महोदय ने उद्घाटन कर दिया और फिर भी चाहें तो मुख्य मंत्री जी कर दें, वह कम खर्च में ही हो जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, वह कार्य तो राज्यपाल जी ने पूरा कर दिया।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, उस पुल पर इतने लोग चले होंगे और तमाम सवारियां चल रही हैं बहुत दिनों से तो उसका उद्घाटन तो हो ही चुका है। शायद ऐसा प्रधान मंत्री जी को मालूम नहीं, अगर उन्हें मालूम होता तो उसके उद्घाटन की जरूरत ही नहीं थी। जिनको जरूरत थी वह तो उसका उद्घाटन पहले ही कर चुके ह लेकिन इस के बावजूद भी प्रधान मंत्री जी आयेंगी तो हमारे खजाने का लाखों रुपया खर्च होगा। इसलिये मैं आप के माध्यम से माननोय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उनके दौरे का प्रोग्राम नहो जाय इसलिये वह उन को सूचित कर दें कि पुल का उद्घाटन हो चुका है। लेकिन फिर भी...

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

यहां से वहां तक सारे दल ऐसे हैं....

(श्री रूपनाथ सिंह यादव के बीच में खड़े होकर कुछ कहने पर)

मैं अभी खड़ा हूं अभी चेयर ने मुझे बुलाया है।

मान्यवर, यह तो सारी मंडली ऐसी बैठी है कि जब ये सरकार में थे तो बार-बार यह कोशिश की जाती थी कि प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश में आवें ही नहीं। अब हमारा सौभाग्य है कि अब वे आ रही हैं। आपके आने जाने से उद्घाटन नहीं हो जाता है। उद्घाटन का समारोह होता है। प्रधान मंत्री का दर्शन करने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते ह। यह हमारा सौभाग्य है कि वे आ रही हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

पुल का उद्घाटन हो चुका है। अब क्या नाबदान का उद्घाटन करेंगी ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, शायद हमारे मुख्य मंत्री जी को याद होगा कि आज के जमाने से ज्यादा प्रधान मंत्री ने इस प्रदेश में दौरा किया था जब हमारी पार्टी का शासन था। उस वक्त जितना दौरा उन्होंने किया शायद आपके पूरे जमाने में भी दौरा नही किया, जनवरी ७० और फरवरी के कुछ भाग को लेकर। करीब ४४ जिलों का दौरा किया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे जमाने में दौरा नहीं किया। मैंने केवल यह कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे प्रदेश में आ रही हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन् ४४ जिलों में दौरा किया और हैली पैड भी लगवाये गये थे उदारता के साथ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रधान मंत्री के आने जाने को कभी रोका नहीं जा सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

कोई प्रधान मंत्री होगा या होगी, सरकारी कार्य के लिए आना-जाना तो पड़ेगा और इसके साथ ही साथ अगर कोई संगठन का काम होगा तो वह भी उनको व्यय करना पड़ेगा, लेकिन वह संगठन के खर्चे से होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बहस है, मैं बहस की इजाजत नहीं देता।

श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, कानपुर की पुलिस कितनी निरंकुश है, कितनी ज्यादती निरीह जनता पर की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप लिख कर दें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, नियम ५६ में दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास नहीं है नियम ५६ में।

श्री राम कुमार दीक्षित--

श्रीमन्, मैंने दिया है। यह तो दूसरी घटना थी, इस प्रकार की अनेक घटनाएं होती हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, नियम ५६ में मैंने भी दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

एक माननीय नित्यानन्द स्वामी की सूचना थी। इस पर तो बयान हो चुका है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि सूती मिल मजदूरों की हड़ताल के बारे में कोई मसला हल नहीं हुआ है। कल परसों माननीय मुख्य मंत्री का एक बयान भी हुआ लेकिन आज भी वहां पर वैसा ही संकट चल रहा है। कानपुर बन्द की बात को भी एक दिन के लिए टाल दिया है। श्रीमन्, कानपुर के सूती मिल मजदूरों का मसला है, वे बोनस की मांग कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन भी हुआ है भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में। तो सरकार कम से कम यह तो स्पष्ट कर दे कि वह क्या करने जा रही है। जब यहां पर बहस हुयी थी तो मुख्य मंत्री ने कहा था कि वहां के प्रतिनिधियों को बुलाया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सरकार ने कहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि हम आपके प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे और जो सलाह वे देना चाहते हैं, उनकी सलाह सुनेंगे। मान्यवर आखिर यह हड़ताल कब तक टलती रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर वक्तव्य तो हो चुका है।

[ * * * ]

श्री राम कुमार दीक्षित—

कानपुर में पुलिस का जुल्म इतना बढ़ा हुआ है कि आये दिन वहां महिलाओं को घरों में घुसकर मारपीट, हरिजनों को उत्पीड़ित करने तथा अन्य लोगों को घरों से बुलवाकर उन्हें थाने में बन्द करा देने की निरन्तर घटनाएं होती रहती हैं। हमने अकबरपुर टाउन एरिया की घटना के सम्बन्ध में नियम ५६ में ध्यान आकृष्ट किया है। आपसे कई बार इस सम्बन्ध में कहा, लेकिन आपने कहा देख लेंगे, लेकिन पता नहीं आप की निगाह कहां चली जाती है इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर। पुलिस की ज्यादती इस कदर बढ़ गई है कि वहां के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कहने पर जवाब मिला कि यह हमारा एडमिनिट्रेशन है, इसी प्रकार चलेगा। जिस देश में इस प्रकार की तानाशाही बढ़ रही हो, वहां इसका क्या परिणाम निकलेगा, इससे इस सरकार को कोई चिन्ता नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन लें, जो आपने लिख कर दिया है। आपने लिखा है "कानपुर जनपद की टाउन एरिया" अकबरपुर के मुहल्ला बाडली में एक पाक इमाम् चबूतरा था, वहां से पचासों वर्षों से ताजिया एवं तरबत उठता रहा है। इस चबूतरे को मुहर्रम के कुछ दिन पूर्व अकबरपुर के थानाध्यक्ष श्री श्याम सिंह तोमर की साजिस से रात में खुदवा डाला गया। जानकारी होने पर अकबरपुर के सभी राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं वहां के मुसलमानों के प्रतिनिधियों सहित श्री रामकुमार दीक्षित विधायक तथा श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित विधायक ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रामदुलारे पाण्डेय से भेंट कर मुसलमान भाइयों की धार्मिक भावना को जो ठेस लगी थी उसके 'परिहास' शब्द नहीं है 'परिहार' का निवेदन किया। पुलिस अधीक्षक ने अविलम्ब हस्ताक्षर कर सम्बन्धित भूमि को १४५ में कुर्क करा दिया किन्तु हमें खेद है कि स्थानीय थानाध्यक्ष व तहसीलदार ने परिस्थिति को पुनः बिगाड़ दिया।"

आप इस पर अल्प सूचित प्रश्न कर लें।

---

नोट—[ × × × ] यह अंश श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री राम कुमार दीक्षित--

थानेदार के द्वारा काण्ड हुआ और वहां के सम्भ्रान्त नागरिकों को जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों ही थे पकड़ कर थाने में बन्द कर दिया। १५३-ए की धारा में उनको बन्द कर दिया गया। वहां पर कभी भी हिन्दू और मुसलमानों में टेंशन नहीं रहा। एक दूसरे के त्यौहारों में सम्मिलित होते थे। परन्तु थानेदार ने ही इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी और उसका कारण प्रीजुडिस्ड होना या राजनैतिक नेताओं का स्वार्थ था।

श्री उपाध्यक्ष—

वह प्रश्न अवलम्बनीय नहीं है। आप इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर लें तो आपको स्थिति का ज्ञान हो जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, इस प्रश्न को अल्प सूचना के लिये न कहें। एक वक्तव्य सरकार का ले लें। उस इलाके में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है कि अगर सरकार का वक्तव्य आपके सामने आ जायगा तो स्थिति का पूरी तरह से स्पष्टीकरण हो जायगा। मान्यवर, अच्छा तो यह होगा कि आप ढाई घंटे की चर्चा यहां पर करवा दें। उसमें सरकार नंगी खड़ी हो जायेगी और पुलिस अधिकारियों के क्या-क्या अत्याचार हैं वह भी स्पष्ट हो जायेंगे। आप इसको कम से कम वक्तव्य के लिये अवश्य भेज दें।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

मान्यवर, इस घटना का सम्बन्ध मेरे क्षेत्र से है। मैं सूचना के तौर पर बताना चाहता हूं कि बहां पर हिन्दू और मुसलमानों में टेंशन नाम की कोई चीज नहीं थी लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ और राजनैतिक स्वार्थों के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी या करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक न्यायालय का निर्णय भी हुआ था इसी घटना के सम्बन्ध में। हमारे मुसलमान भाइयों को इस प्रकार से बर्गलाया गया कि उस निर्णय को न मान कर अधिकारियों को मजबूर किया जाय वह कोई ऐसी कार्यवाही करें। हमारे अधिकारियों ने न्यायालय के निर्णय को कायम रखने के लिये ही कार्य किया है और यह प्रयास किया है कि वहां पर ला ऐण्ड आर्डर की स्थिति बनी रहे। अधिकारियों ने न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया है। वहां पर मुहर्रम का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया।

श्री राम कुमार दीक्षित—

यह सत्य नहीं है कि वहां पर मोहर्रम मनाया गया। थानेदार ने अपने पास से पैसे दे कर वहां पर ताजिया बनवाया था और पुलिस के आदमी तथा अन्य दूसरे लोगों के नेतृत्व में मोहर्रम त्योहार मनवाया गया। वास्तविक स्थिति यह है कि वहां पर मोहर्रम का त्योहार आतंक के कारण मनाया ही नहीं गया।

(व्यवधान)।

श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)—

माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

जिस तरह से इसमें पक्ष और विपक्ष की ओर से चर्चा में भाग लिया गया है उसके अनुसार यह मामले लोक महत्व का ही नहीं परन्तु तुरन्त का है। इसमें नियम ५१ से काम नहीं चलेगा नियम ५२ से चर्चा होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसे अस्वीकार किया है, तो फिर दीजियेगा।

श्री बन्शीधर पांडेय---

एक बात प्रकाश में नहीं आई है। मुहर्रम नहीं मनाया गया है और पुलिस ने यह जाल रचा है। एक बात जरूर हुई है कि पुलिस की रिकमन्डेशन पर कुछ लोगों का वहां जाना बंद कर दिया गया है। तो पुलिस की रिकमेंडेशन पर कोर्ट ने जो आदेश दिया कि अमुक-अमुक व्यक्ति वहां विजिट नहीं करेंगे वह गंभीरता की बात है, जबकि वहां टेन्शन नहीं है और न एग्रीहेन्शन आफ ब्रीच आफ पीस है, इसलिये आप जो जायसवाल जी ने कहा है उसको कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

वित्तीय वर्ष १९७२-७३ के आय व्ययक.....

श्री बन्शीधर पांडेय---

इस पर क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह नियम ५६ में स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री बन्शीधर पांडेय---

आप नियम ५२ में कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

लिखकर दें तो विचार करेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)---

मेरा निवेदन सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---

अब नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह---

सदन को गुमराह किया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में निश्चित सूचना देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिखकर दे दें।

श्री राम कुमार दीक्षित---

मैं भी बतलाऊंगा कि मुहर्रम मनाया गया या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप भी लिखकर दे दें।

## १९६१-७२ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १६---खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या ५२---राज्य व्यापार की योजनाएं

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)---

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १६-खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन, के अन्तर्गत होने वाले

परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,५७,३९,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२—राज्य व्यापार की योजनाएं, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७८,५९,९४,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, हमारा जो बजट है, वह बहुत सीधा साधा है । इसमें बहुत बहस की जरूरत नहीं है और न इसमें बहुत ज्यादा कहने की बात है । मान्यवर, इसको पास करना इसलिये जरूरी है कि अगर गेहूं न खरीदेंगे तो आप लोग कहेंगे कि गेहूं का भाव नीचे गिर रहा है। अगर हम शकर का इंतजाम न करेंगे, तो आप कहेंगे शक्कर नहीं मिल रही है और इसी तरह और चीजों का इंतजाम न करें तो कहा जायेगा कि कोई चीज नहीं मिल रही है। हमारा काम तो चीजों की पूर्ति करना है । जो चीज नहीं मिलती है, उनको इकट्ठा कर लेना और उचित भाव पर देना, यही हमारा संगठन है । हम व्यापार भी करते हैं इसलिये हमारे किसानों को उचित दाम मिले और उन चीजों के भाव ज्यादा घट न सकें फसल पर । इसीलिये यह हम करते हैं ।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोबिन्द खेर पीठासीन हुये ।)

अपने विभाग के मुझे उन बाबा जी की लाइनें याद आती हैं । वह कहते हैं:—

"गुरु ने मंगाई है—

कुआं-बावली पास न जाना, लाना तूम्बी भर के,

गांव-निगरिया पास न जाना लाना झोली भर के ।" . . . .

तो यह हमारी स्थिति है

उत्पादक की भी कीमत कम न होने पावे और जो कन्ज्यूमर हैं, उसको भी उचित दाम पर मिल सके । तो हमारे विभाग का काम बड़े संकट का काम है जिसको सम्भालने का काम बहुत मुश्किल काम है। इसीलिये हमारा संगठन बहुत बदनाम है । इस विभाग के लिये मुझको ये लाइनें उपयुक्त मालूम होती है:—

काजल की कोठरी में, कितनो ही सयानों जाय,

एक लीक काजल की लागि है, पर लागि है ।" . . . .

तो ऐसा हमारा विभाग है । तो बहुत सी चीजें जो आसानी से नहीं मिलती हैं, उनका हम बंटवारा भी करते हैं । लेकिन फिर भी कोई कहता है यह कम है, कोई कहता है कि शादी -ब्याह के लिये ज्यादा चाहिये । ऐसी मुश्किल के समय में हम आपको क्या आश्वासन दे सकते हैं, सिवाय इसके कि यदि आप कोई सुझाव दें तो हम उसको लागू करने के लिये तैयार हैं । इस संबंध में हमने डिवीजन की मीटिंग की । उसके जो सुझाव आते हैं उनको लेते हैं । गेहूं के भाव की समस्या हमारे सामने रही है । कहा जाता रहा है कि किसानों को उचित पैसा नहीं मिलता और बीच में लाभ अढ़तिये मार देते हैं । एफ० सी० आई० की भी शिकायत हुई । इसीलिये अबकी दफा हमने उसको इकट्ठा करने की कोशिश की । अगर सप्लाई पूरी नहीं होती है तब भी आपके सामने आयेंगे और पूरी होती है तब भी आपके सामने हम आयेंगे।

जो खरीदारी की स्कीम हम चला रहे हैं उसकी स्कीम हमने बांट दी थी और उसके सिलसिले में हमारे माननीय सदस्यों ने काफी अच्छे सुझाव दिये थे जिनको इनकोरपोरेट करने की और उन पर अमल करने की हम कोशिश कर रहे हैं । मैं नहीं कहता कि हमारी स्कीम फूल-

प्रूफ है या उसके पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे कर्मचारियों के द्वारा कोई त्रुटि होती है तो हम उसको संभालने की कोशिश करेंगे। आप उन त्रुटियों को हमारे नोटिस में लायें, उसके लिये हम आपके बहुत आभारी होंगे। जो कर्मचारी अच्छा काम नहीं करेंगे उनको हम दंडित करेंगे और जो अच्छा काम करेंगे उनको प्रोत्साहन देंगे तथा पारितोषिक भी देंगे।

हम इतने खरीदारी के सेंटर्स खोल रहे हैं ताकि किसान को अपने गांव से ५,७ व ८ मील की दूरी से अधिक न जाना पड़े। किसी सेंटर पर अधिक भीड़ लगने की गुजाइश नहीं है। इस वर्ष हमने एक नया तरीका निकाला है ताकि हम चेक से किसानों का पेमेंट कर सकें। वहीं का वहीं पेमेंट हो जायेगा और कोई बिचोलिया नहीं रहेगा बल्कि सीधी खरीद हो जाएगी। गेंहूं की खरीदारी ३ एजेंसियों के द्वारा होगी एफ० सी० आई०, राज्य सरकार और प्रादेशिक सहकारी संघ। इन तीनों का एक जाल सा बिछा हुआ है। बीज गोदामों तथा लार्ज साइज्ड सोसाइटीज पर भी खरीद होगी। पुरानी मंडियां बड़ी कंजेस्टेड हैं इसलिये उनके बाहर भी खरीदारी होगी। इससे किसान को तकलीफ नहीं होगी।

हमारा एक प्रयास यह भी है कि हम लोगों को रोजगार दे सकें। ३–४ महीने में जो खरीदारी होगी उस दौरान ५,००० आदमियों को रोजगार मिल सकेगा। बजट के सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह कोई बड़ी भारी बात नहीं है और इसमें बहस की बात भी नहीं है। जो खामियां आप हमें बतायेंगे हम उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि आपका सहयोग हमें मिलेगा।

जो स्कीम हमने सब को दी है उसकी ओर सभी सदस्यों ने ज्यादा तवज्जोह नहीं दी है। यह बड़ा मुश्किल काम है। हमारा जो सप्लाई का डिपार्टमेंट है वह पहले तो टेम्पोरेरी था, परन्तु धीरे-धीरे मुस्तकिल हो गया। दूसरा विभाग खरीदारी का है। जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि पेमेंट चेक से होगा और किसान का पैसा इधर से उधर नहीं होगा। गेहूं बेच कर जो आमदनी होगी वह किसान को पूरी की पूरी मिल जायेगी। अगर किसान बैंक में एकाउन्ट खोलना चाहेगा तो उससे उसका रुपया भी सेफ रहेगा और उस पर उसको ब्याज भी मिल सकेगा। इस प्रणाली से किसान बैंक माइंडेड हो सकेगा, ऐसी हमारी आशा है। तीसरा विभाग वेट्स ऐंड मेजर्स का है। अभी तक कहीं कहीं पर सेर ही चल रहा है। कहीं पर कच्ची पसेरी और कहीं पर पक्की पसेरी ही चल रही है। इस विभाग को भी हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी इस ग्रान्ट को मंजूर करें।

आपने रेंट कंट्रोल ऐक्ट पास किया था और उसके कानून कायदे भी बना दिये हैं। इन रूल्स का वितरण भी कर दिया है। उनके बारे में आपकी राय मांगी थी और २१ अप्रैल, १९७२ की तिथि तक आपकी राय आनी है। आज आखिरी दिन है राय आने का। हमने बार असोशियेशन जजेज, पालिटिकल पार्टीज आदि कई संस्थाओं को राय देने के लिये लिखा है। उनके सुझाव आने पर हम उन पर विचार करके जल्दी से जल्दी हम इस कानून को लागू कर देना चाहते हैं। इसके लागू होने से सारा का सारा काम जिलों में चला जायेगा और उसमें सरकार का हस्तक्षेप भी कम हो जायेगा।

मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जितने ज्यादा से ज्यादा सुझाव आप लोगों के हमें मिल जायेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा और लाभ होगा। हम आपका सहयोग चाहते हैं। आप आज बता सकते हैं, कल बता सकते हैं, परसों बता सकते हैं, हमेशा हम आपके सुझावों पर गौर करने के लिये तैयार हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि यह सदन सर्व सम्मति से इस बजट को पास करे ताकि किसान भी यह समझे कि उसकी भलाई के जितने काम हो रहे हैं उनमें यहां सब की एक राय है।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६ के अन्तर्गत अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। अनुदान संख्या ५२ में भी मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--कृषि पदार्थों की खरीद में किसानों को उनकी उत्पादन लागत के आधार पर कृषि पदार्थों की कीमत न तय करने, और सरकार की किसान विरोधी तथा महंगाई बढ़ाने की नीति की आलोचना करना एवं कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिये सुझाव देना। कोयला, तेल, नमक, एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी एवं भ्रष्टाचार की शिकायत करना तथा उसे समाप्त करने के सुझाव देना, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट की बढ़ती हुयी दरों को कम करने का सुझाव देना एवं वर्तमान नीति की आलोचना करना ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का भाषण बहुत कुछ मजबूरियों से भरा हुआ था पेश्तर इसके कि मैं उनकी मजबूरियों की साफगोयी के लिये उन्हें धन्यवाद दूं, मैं अपनी कुछ बातें कहना चाहूंगा। इस मुल्क में खाद्यान के मामले में आत्म निर्भर होने के लिये बराबर प्रयास होता रहा। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब वे प्रधान मंत्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उस जय जवान के नारे से तो इस अनुदान का संबंध नहीं है, मगर जय किसान के नारे के बाद से एक स्वर से किसानों ने उत्पादन बढ़ाने का कार्य किया और उसमें बढ़ोत्तरी होते होते आज हम आत्मनिर्भर हो गये तथा ४८० के पैक्ट के अन्तर्गत गेहूं अमेरिका से मंगाने की जरूरत खत्म हो गयी ।

श्रीमन्, जहां इस बात के लिये इस देश के किसानों को बधाई दी जाये और उनका उत्साह वर्धन किया जाये वहीं हमारे लिये सबसे बड़ी बदकिस्मती का मौका आया जब केंद्र सरकार ने एक ऐसा कृषि मूल्य आयोग गठित किया, जिस कृषि मूल्य आयोग में संभवत: मंत्री जी की आवाज की गुंजाइश नहीं रह गई । कारण उसका क्या था ? हमें क्षमा करेंगे अगर हमारी बात गलत साबित हो और हमारे ज्ञान की वह वृद्धि कर दें कि क्या कृषि मूल्य आयोग में कोई किसान का बेटा रखा गया, जो उनकी वकालत वहां करता। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार एक भी किसान का प्रतिनिधि या किसान का बेटा उस आयोग में नहीं है ।

जिस हिन्दुस्तान में 'जय किसान' का नारा दिया गया, वहां उसकी उत्पादन लागत को तय करने के लिये किसान का बेटा नहीं बल्कि दूसरे लोगों को बिठाया गया। आप देखें कृषि मूल्य आयोग ने क्या किया ? लगातार इस प्रदेश में गेहूं की कीमत बढ़ती गई, जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता गया, वैसे-वैसे गेहूं की कीमत बढ़ती गई । बढ़ते-बढ़ते उस स्तर तक आ गई, कि उसके प्रोत्साहन स्वरूप आज आप गेहूं में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके । और हमारे हरित-क्रांति में भी ज्यादातर गेहूं ने ही स्थान लिया है। हमारी सरकार में पर यह निश्चित चार्ज है कि उसने खाद्यान्न का उत्पादन घटाने के लिये एक दूसरी नीति अख्तियार की है कि गेहूं का मूल्य ही घटाया जाये । कृषि मूल्य आयोग और केंद्र सरकार में एक ड्रामा चला । कृषि मूल्य आयोग ने गेहूं के मूल्य घटाने का फैसला किया । केंद्रीय सरकार ने मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों की एक बैठक इस संबंध में बुलाई और उसमें विचार विमर्श के बाद केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि मूल्य घटाया नहीं जायेगा और उसने इस तरह दोषी बनाया कृषि मूल्य आयोग को । यदि उक्त आयोग अपनी बात पर कायम है, और वह अपने निर्णय में सच्चाई समझती है तो उसको सबसे पहला काम यह करना चाहिये था कि जब खाद्य और मुख्य मंत्रियों की सलाह पर केंद्र सरकार ने उसकी सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिये। लेकिन उसने इस काम को नहीं किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं अपने खाद्य मंत्री जी का शुक्रगुजार होता यदि वह उसको लिखकर भेजते कि वह मेहरबानी करके अपने पद से इस्तीफा देकर हट जाये और दूसरे कृषि मूल्य आयोग को गठित होने दें । यदि वह सही मानों में हमदर्द हैं किसानों के तो ऐसे किसान विरोधी आयोग को पत्र लिखकर केंद्र सरकार को मजबूर करते कि वह इस्तीफा दे दें। यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो उस जगह पर दूसरा आयोग गठित किया जाये । लेकिन न केंद्र सरकार में यह दम है और न प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ निश्चय किया है आज जो हालत है उससे यह मालूम हुआ कि दूसरी तरफ इसी कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सरकार ने विभिन्न प्रकार के टैक्स परोक्ष टैक्स किसानों पर लगा दिये।

आप देखें, श्रीमन्, खाद की कीमत इन्होंने बढ़ाई सर्वाधिक खाद यदि महंगी कहीं मिलती है तो हिन्दुस्तान में और उसका भुक्तभोगी है हिन्दुस्तान का किसान। बिजली के पम्पिंग सेट्स पर सर्वाधिक टैक्स लगाने का प्रयास किसने किया । वहां की सरकार लगातार मूल्य बढ़ाती चली जाय, टैक्स लगाती चली जाय। और बातों को छोड़ दीजिये, पिछले सत्र में इसी सदन में एक सवाल पूछा था उसका उत्तर कृषि मंत्री ने दिया था कि केवल कृषि उपकरणों में ३० से ले कर ३५–३६ फीसदी तक का इजाफा केवल पिछले साल हुआ था । एक तरफ कृषि उपकरणों की कीमत इस प्रकार बढ़ती चली जाय, ट्रैक्टर की कीमत छिपी नहीं है। जो रशन ट्रैक्टर डी०टी० १४ की कीमत १२ हजार कुछ रुपये थे, अब बढ़कर कर १७–१८ हजार कुछ रुपये हो गयी है। वह भी उपलब्धता नहीं रही । इसके पीछे भावना क्या है ? इसके पीछे एक भावना है किसानों को सबसे पहले मारो उनके पास अधिक रुपया इकट्ठा हो गया है उसको खींचो । उसी नीति के तहत में एक दूसरा काम करना शुरू कर दिया ।

जब आप यह दावा करते है कि प्रोत्साहन की नीति के अनुसार, मूल्य संरक्षण की नीति अख्तियार किये हुये हैं और कहना यह है कि हमारी प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस नहीं है, मूल्य संरक्षण नीति के अन्तर्गत है, मूल्य संरक्षण नीति का आधार क्या है चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, कृषि उत्पादन के मूल्यों के संरक्षण के नाम पर एक ऐसी नीति अख्तियार की है, जिसके अन्तर्गत एक तरफ टैक्सों का बोझ डालती है, दूसरी तरफ कृषि उत्पादित चीजों की कीमत घटाती है । हिन्दुस्तान में जो सबसे अधिक कृषि उत्पादन करने वाले प्रदेश हैं उनमें आपका एक स्थान है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सारे देश में अपने विशेष स्थान रखते है ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपका देश और प्रदेश खाद्यान्न के मामले में जहां आत्म निर्भर था, जहां आपने दूसरे प्रदेशों को गेहूं सप्लाई करने की बात सोची है, अपनी नीति से क्या इस प्रदेश को पीछे लें जाना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं किसानों को तबाह करें अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो मेरी एक मांग है, केंद्रीय सरकार कोई पालिसी घोषित करे । आप यहां कहें कि ७६ रुपये के बजाय ८६ रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम इस प्रदेश में दिया जायगा । उसके उस आधार पर प्रदेश में खरीदारी कीजिये । अगर आप दस रुपये प्रति क्विंटल किसानों को संरक्षण नीति के अन्तर्गत देंगे तो किसानों के अन्दर एक ऐसा आत्मबल पैदा होगा कि हम को अधिक उत्पादन करना है। देश के अन्दर जो कहत, भुखमरी छायी हुयी थी उसे घटाने का एक मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, किसान का जो बेटा मारा-मारा फिर रहा है आत्मविश्वास के साथ फिर से कृषि में लगने का फैसला करेगा । अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप एक ऐसी भावना पैदा कर रहे हैं जिससे किसान बाहर निकले और दूसरे काम में लगे और फिर मुल्क वहीं पहुंच जाय जहां कुछ साल पहले पहुंचा हुआ था ।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

मैं एक निवेदन और करूंगा । आप किस आधार पर मूल्य नीति तय करते हैं । आपके एग्रीकल्चरल फार्म्स की बैलेंसशीट मौजूद है, एनिमल हस्बैंडरी की बैलेंसशीट मौजूद है।

आप इन सारी बातों को देखें और फिर आंकड़ों के साथ यह बात कहें कि इन फार्मों से इतनी आमदनी होती है । मैं उन फार्म्स की बात कह रहा हूं जहां पर सिंचाई के साधन तथा खाद की व्यवस्था एश्योर्ड है और इस आधार पर आप कहते कि हां लाभ है और इस लाभ से किसान के ५ सदस्यों वाले परिवार का काम चल जायगा तो मैं कह सकता था कि आप मूल्य संरक्षण नीति की ओर जा रहे हैं । मैंने १० रुपये की बढ़ोत्तरी का सुझाव दिया । मौजूदा रेट में यह पर्याप्त नहीं है। यह केवल संकेत मात्र है आप कृषि को उस आधार पर ले आइये जिस आधार पर उद्योग धंधों में लगे हुये लोग मुनाफा कमा रहे हैं तब यह पर्याप्त है उस लाभ से जो खेतिहर मजदूर है जो किसान के साथ खेत में परिश्रम करता है न तो उसको ही कुछ मिल रहा है और न किसान को मिल रहा है। दोनों अलग-अलग तबाह हो रहे हैं ।

आज जो चावल की खरीदारी का लक्ष्य है उसके बारे में सरकार की क्या नीति है। सरकार ने चावल की खरीदारी में मूल्य संरक्षण की नीति अख्तियार की है और प्रोक्योरमेंट की नीति अख्तियार की है। चावल पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये हैं । चावल तथा धान पर १६ रीजन बांटे हैं। कोई व्यक्ति ट्रक पर लाद कर धान अथवा चावल ले जाय तो सरकार का आदेश बाधक है। बैलगाड़ी से ले जा सकता है। एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने में भी प्रतिबन्ध है । यह प्रतिबन्ध किस लिये लगाये गये हैं ? किसके लिये लगाये हुये हैं । एक तरफ खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता और दूसरी तरफ चावल में आत्मनिर्भरता । यह सब क्या हो रहा है? गोरखपुर और लखनऊ रीजन के ५ जिलों को ले लीजिये । ४० फीसदी सरकार ने लेवी ले ली और ६० फीसदी बनियों को छोड़ दिया । ६० फीसदी पर ४० फीसदी का खामियाजा पूरा होगा । सरकार दावा यह करती है कि उसकी नीति किसान विरोधी नहीं है, किसान के हित में वह बात करती है।

आप इनकी रिपोर्ट देखें । मक्का, ज्वार और बाजरा की पिछले साल कोई खरीदारी नहीं हुयी इसलिये कि मार्केट रेट ऊंचा था और जिस रेट पर ये खरीदना चाहते थे वह नीचा था । किस के लिये आप मूल संरक्षण नीति अख्तियार कर रहे हैं । वही बनियों को लूटने का रास्ता खोल रखा है। आपने वह तरीका नहीं अख्तियार किया जो इस प्रदेश के किसानों के हित में हो सकता था । जब आप यह नहीं कर सकते तो चावल की लेवी लेने का क्या हक है उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाने का क्या हक है। हमारे स्टेट मिनिस्टर साहब बैठे हुये हैं खुश-किस्मती से हमारे जिले से आते हैं । उनके यहां सबसे चावल बाजार लगता है । उसका चावल देवरिया जिले के कप्तानगंज में नहीं जा सकता । देवरिया जिले के किसानों को खाद्यान्न के मामले में जो कठिनाई होती है क्या मंत्री जी को उसका एहसास नहीं है ? खूब अच्छी तरह से जानते हैं । मंत्री जी हैसियत से चाहे न जानते हों लेकिन वहां के नागरिक की हैसियत से वह अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां के लोगों को क्या दिक्कतें हैं ।

ट्रांस-राप्ती के अन्दर अलग बात, गोरखपुर में अलग बात, देवरिया में अलग बात । इनका यह कहना है कि सारा गल्ला बिहार को चला जायगा। लेकिन जब खाद्यान्नों के मामले में आप आत्मनिर्भर हैं तो यह कृत्रिम सीमायें क्यों बना रखी हैं ? सारे हिन्दुस्तान भर में जाने दीजिये । इस प्रदेश के बनियों और मंडियों के आढ़तियों और दूसरे लोगों के निहित स्वार्थ इस सरकार को सही नीति अख्तियार करने नहीं देते। इन्होंने करीब ३ लाख टन चावल की खरीदारी का लक्ष्य रखा था और ३१ जनवरी तक जो खरीदारी इन्होंने की, जो चावल का असली सीजन होता है, क्या वजह है कि गेहूं तो लक्ष्य से ज्यादा खरीदा और चावल

लक्ष्य से कम खरीदा ? अगर कोई कारण बताया गया होता तो मेरी समझ में बात आती लेकिन नहीं, यह सरकार कारण नहीं बता सकती इसलिये कि सरकार की नीति ही किसान विरोधी है।

अब मैं महंगाई का जिक्र करना चाहूंगा । एक तरफ तो सरकार ने यह दावा किया है कि खाद्यान्नों के मामले में हम आत्म-निर्भर हैं । हमारे पास इतना उत्पादन है कि हम न खरीद सकने की स्थिति में हैं और न हमारे पास इतने गोडाउन्स हैं कि हम उसको स्टोर कर सकें । पिछले साल भी मंत्री जी ने यह विवशता जाहिर की थी कि जितना लक्ष्य था उससे अधिक खरीदारी की और हमारे पास गोडाउन्स नहीं हैं कि हम सारा माल स्टोर कर सकें।

एक तरफ खरीदारी के मामले को आपने तीन हिस्सों में बांट दिया है । उसमें एक सरकार खरीदती है, दूसरे कोआपरेटिव फेडरेशन और तीसरे एफ०सी०आई०/एफ०सी०आई० की खरीदारी से आपने कुछ हद तक सबक सीखा और उस हिसाब से आपने प्रयास भी किये हैं। मैं सरकार की इस बात की जरूर तारीफ करूंगा । इससे किसानों की दिक्कतें कुछ हद तक दूर हो सकेंगी । मैं अनायास ही आलोचना नहीं करूंगा । किन्तु एक बात जरूर कहूंगा और वह यह है कि जब आपने बिचौलियों को खत्म करने का प्रयास किया है वहां आपने इस बात का प्रयास नहीं किया है और जैसा कि जो रिपोर्ट आपने हमें पढ़ने के लिये दी है, उसमें जिक्र किया है कि जिसका गेहूं फेयर एवरेज क्वालिटी का नहीं होगा उसका आप क्या करेंगे । उसकी सफाई की व्यवस्था वहीं आप कर देंगे। इससे दूसरी बात पैदा हो जाती है कि जो आदमी अपनी बैलगाड़ी लेकर आयेगा और लोग उसकी बैलगाड़ी के पास आयेंगे । लेकिन एफ०सी०आई० और कोआपरेटिव फेडरेशन पर आपका क्या कंट्रोल है । आज किसान के माल के लिये यह कह दिया जाता है कि तुम्हारे माल में इतनी खराबी है इसलिये इस भाव नहीं लिया जा सकता । किसान बेचारा इस टेक्निकल और तिकड़मी बातों को क्यों जाने । उसको कहेंगे कि इसकी सफाई पर १० किलो कम हो जाता है इसलिये १०० किलो के वजन को केवल ९० किलो ही बताकर उसे खरीद लेते हैं । किसान बेचारा तो छुटकारा पाना चाहता है वह उतने में ही दे भी देता है । उससे खरीदार लोग काफी मुनाफा कमाते हैं । आपको मेहरबानी करके इन बिचौलियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करना चाहिये जिससे जब किसान अपना गल्ला लेकर आता है तो उसे किसी प्रकार का कष्ट न होने पाये और न ही लुटे । अगर यह दृष्टिकोण सामने रहेगा तो मैं निःसंदेह यह कहना चाहूंगा कि यह सदन, यह सरकार और हम सब लोग सब मिलकर थोड़ी बहुत इस प्रदेश की अवश्य सेवा कर सकेंगे ।

मैं एक दूसरा मुद्दा इस मामले में लेना चाहता हूं महंगाई का । खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ता जाता है और महंगाई भी बढ़ती जाती है । एक तरफ महंगाई बढ़ती है और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन सा तरीका, कौन-सी नीति और कौन-सा अर्थशास्त्र है जिसके आधार पर एक तरफ महंगाई बढ़ती है और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ता है या यों कहिये कि उत्पादन का बढ़ना ही महंगाई का कारण बन जाता है। महंगाई और चोरबाजारी तब बढ़ती है जब डिमांड और सप्लाई की थ्योरी में गतिरोध पैदा हो जाय और उत्पादन और पूर्ति में गतिरोध पैदा हो जाय तभी महंगाई का स्वभाविक परिणाम निकालता है । लेकिन ऐसा नहीं है । उत्पादन बढ़ता गया और महंगाई भी बढ़ती गई।

मुझे इस सरकार की नीति का रत्ती भर भी अन्दाज नहीं लग सका कि आखिर ऐसा क्यों। देहात का किसान एक तरफ महंगाई से त्रसित रहेगा और दूसरी तरफ उनके गल्ले का कम दाम देने की नीति से त्रसित रहेगा। इसका नतीजा क्या होगा कि वह रोजमर्रा कौंसिल हाउस के

[श्री कल्पनाथ सिंह]

सामने नारे लगायेगा और मंत्री जी या सरकार के जिन्दाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगायेगा क्योंकि इन दोनों कामों को करने में यह सरकार बड़ी माहिर हो गई है। यह झटपट दोनों काम करा लेती है। लेकिन जब आप महंगाई रोकने का प्रयास नहीं करते हैं तो आपको कहने का क्या हक है कि किसान के उत्पादन की चीजों का दाम घटाया जाय। जब आप मूल्यों को निर्धारित नहीं करेंगे तो समाज को तबाह करने का आपको क्या हक है, चाहे वह कर्मचारी हों, मजदूर हों, व्यापारी हों। आप कहते हैं कि जनता में हमको मैन्डेट दे दिया है कि किसानों के उत्पादन की कीमतों को घटायेंगे और महंगाई बढ़ायेंगे? मैं व्यक्तिगत नीयत पर आक्षेप नहीं करता लेकिन सरकार की सामूहिक नीयत पर, सामूहिक जिम्मेदारी पर और उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार दोनों की एक नीयत पर आक्षेप करना चाहता हूं कि यह सरकार पूंजीवादी नीति के पक्ष में, व्यापारियों के पक्ष में सदैव अपनी नीति निर्धारित करती है और पीड़ित, शोषित और गरीब जनता की उपेक्षा की सीधे सीधे हामी है। इसलिये इस सरकार ने एक तरफ इस देश में उत्पादन बढ़ाया है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ाई है।

खाद्य उत्पादन का एक नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। १९६६-६७ में खरीफ में २६६ हजार एकड़ की खेती हुयी और रबी में हुयी ९१७ हजार एकड़ की टोटल १,१३३ एकड़ की खेती हुयी और १९६९-७० में बढ़ कर खरीफ में १.६५७ हजार एकड़ और रबी में ७,००९ हजार एकड़ और दोनों को मिलाकर ८,६६६ एकरेज हुआ। इसी प्रकार से अगर उत्पादन की बात देखें तो उसी १९६९-७० में ६,३१४ हजार टन गेहूं का उत्पादन हुआ और १९७०-७१ में ७,५४०.७ हजार टन हुआ और टोटल हुआ जितना उससे प्रगट है कि १,२२६.४ हजार टन गेहूं का उत्पादन बढ़ा और महंगाई की बात देखें तो छोड़ दीजिये गेहूं की बात। क्योंकि सब्सिडी पर करीब १२० करोड़ के लगता था, अब यह सौ करोड़ की सब्सिडी पर बात कर रहे हैं। यह भी कहना है कि स्टोरेज आदि पर जो खर्चा होता है वह बढ़कर गेहूं की कीमत ज्यादा आ जाती है। तो मैं तो कहता हूं कि महंगाई बढ़ाने में आप स्वयं सहायक है। आपने क्यों नहीं यह नीति अपनायी कि अगर दूसरी चीजों की महंगाई बढ़े तो खाद्यान्न की भी एक नुक्ते के साथ चले। ऐसा नहीं किया। चाहे चावल या गेहूं जो सरकारी गोदामों से वितरित करते हैं उसमें आप देखें कि उसके मूल्य में बड़ी घपलेबाजी है।

मैं इन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, आप एक-एक करके देख लीजिये। वनस्पति का मूल्य सरकार नियंत्रित करती है डिस्ट्रिब्यूशन तो कभी-कभी करती है। क्या मंत्री जी यह दावा कर सकते हैं कि वनस्पति का वितरण नियंत्रित मूल्य पर लोगों को प्राप्त हुआ है। जबाब मिलेगा "नहीं" ब्लैक मारकेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ी है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी दावा करते हैं कि वनस्पति को वे नियंत्रित मूल्य पर जनता को उपलब्ध करा सकते हैं यदि वे ऐसा दावा करें तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा और आगे इसका जिक्र नहीं करूंगा। आज की तारीख से यदि वनस्पति यदि नियंत्रित मूल्य पर जनता को मिलने लगे तो मैं अपनी शिकायत बन्द कर दूंगा। वनस्पति का भी उत्पादन बढ़ा है इसी के साथ-साथ ब्लैक मारकेटिंग और चोर बाजारी भी बढ़ी है और सही मूल्य पर जनता को उपलब्ध नहीं होता है।

श्रीमन्, जहां वनस्पति की बात कही है वहीं सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अन्य वस्तुयें उचित मूल्य पर जनता को दिलाई जा रही हैं और इसके लिये एक कक्ष बना दिया गया है। क्या आप इस व्यवस्था से संतुष्ट है। आपने जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है क्या यह लोगों की आंखों में धूल झोंकना नहीं है। कोई भी सामान निर्धारित मूल्य पर, चाहे आप एक लाख जवान से कहें, लेकिन प्रयास ऐसा नहीं है कि जीवनोपयोगी वस्तुएं सही मूल्य में खाद्यान्न

के अतिरिक्त लोगों को निर्धारित मूल्य पर मिल सकें। कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और दुगनी तिगुनी बढ गई है । लेकिन अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक कर संतुष्ट कर लेना चाहती है कि वह बहुत बहादुर है।

श्रीमन्, इस 'पुस्तिका के १३ पृष्ठ पर छपा है कि चीनी के दाम हमारे यहां इसलिये बढ़ गये कि हिन्दुस्तान के ऊपर पाकिस्तान का हमला हो गया । केंद्रीय सरकार कहती है और यह सरकार भी कहती है कि गन्ने का उत्पादन घटा और मिलें जल्दी चलनी बन्द हो गई, इसलिये चीनी का उत्पादन कम हुआ । मैं नहीं जानता कि इनमें कौन सी बात सही है । मैं आपको आपकी पुस्तिका सुना रहा हूं जो आपने लिखा है कि पकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण चीनी के मूल्य में वृद्धि हुयी है । अतः इस पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से और उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार ने १-१-१९७२ से एक योजना लागू की है । क्या यह सीधे-सीधे तथ्य को छिपाना नहीं है, सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं है। सच्चाई यह है कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिला ।

लोक सभा की एस्टीमेट कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है, अगर उसको मंत्री जी देख लें तो उसका कारण स्वयं आपको पता चल जायगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की ढुलमुल नीति के कारण ही ऐसा हो रहा है। इतना ही नहीं सरकार की उन सारी नीतियों की आलोचना समिति की रिपोर्ट में की गयी है । उस पर अगर कोई आदमी रत्ती भर भी सोचेगा तो उसका कारण पता चल जायगा । लेकिन यह तो दोष को दूसरे के मत्थे मढ़कर अलग हो जाते हैं । उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आक्रमण से ऐसा हुआ। और सब तो पाकिस्तान के आक्रमण के कारण से हो गया । लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण के कारण किसानों द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुओं का मूल्य बढ़ा नहीं लेकिन वह जिन चीजों को प्रयोग में लाता है उनके दाम बढ़ गये । इसी प्रकार से नमक की हालत है । बड़ौनी जी ने कहा कि पहाड़ी जिलों में ४ रुपया किलो बिक रहा है । सवालों के समय बताया गया कि पहाड़ी जिले भुखमरी की हालत में पड़े हुए हैं । हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कहते, न खाली कमलापति जी की बात ही कहते हैं लेकिन यह तो उन सब लोगों का उत्तरदायित्व है जिनकी कैबीनेट में ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है ।

सीमेंट को ही ले लीजिये । किसी भी बाजार में चले जाइये ४–५ रुपया प्रति बोरा ज्यादा पर सीमेंट बिक रहा है । क्या मंत्री जी कह सकते हैं कि सीमेंट निर्धारित मूल्य पर प्रदेश में बिक रहा है ? ४–५ रुपया प्रति बोरा की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और आप कहते हैं सीमेंट की पोजीशन संतोषजनक है । यही हाल कोयले का है । रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कोयले का उत्पादन कम नहीं हुआ और प्रदेशों में भी उसकी कमी नहीं है, लेकिन इस प्रदेश में कोयले की क्या हालत है ? मंत्री जी ने स्वयं कहा कि केन्द्रीय सरकार को उन्होंने लिखा, प्रधान मंत्री जी को भी इस बारे में बीच में डाला, लेकिन इस मर्ज का कोई इलाज नहीं निकला । क्या बात है कि आपके के रेलवे के वैगन नहीं मिलते । कारण यह है कि कोयले के व्यापारी, रेलवे के कर्मचारी और इस सरकार की मिली-भगत है, इसके कारण प्रदेश में कोयले का कोहराम मचा हुआ है ।

ईटों के भाव जो ४०–५० रुपया हजार था वह ८०–९० हो गया है । जिनके मकान बाढ़ में गिर गये हैं उनको बनाना मुश्किल हो रहा है । एक तमाशा और है । सरकार ने अपने लिये तो ईटों का दाम निर्धारित कर दिया । जिलाधीशों से सरकार ने कह दिया है भट्टे वालों से अपने लिये ईटों का दाम निर्धारित कर लो । अगर मान लीजिये कि १,००० ईट हैं और उसमें से ५०० ईंट उन्होंने अपने काम के लिये लीं तो बाकी पर उस कीमत को रख कर उसने उसकी कीमत और बढ़ा दी । केवल व्यापारियों के हित की दृष्टि से और अपने लिये सामान

[श्री कल्पनाथ सिंह]

खरीदने का जो बोझ था वह भी उन्होंने उपभोक्ता के ऊपर ही लाद दिया है ? जो वैसे ही इनकी अन्य नीतियों की वजह से तबाह है उसको यह और तबाह करने पर तुले हैं ।

यह भी सरकार का इशारा है कि मोटे कपड़े पर हम प्रति मीटर कीमत छपवा देंगे । कहां कपड़ा छपी कीमत पर बिक रहा है कभी आपने इसका भी पता लगाने की कोशिश की । इनके खुफिया वाले तो हमारी गतिविधियों को जानने के लिये घूमेंगे, चाहें केन्द्र के हों या प्रदेश के हों वह इसी में लगे रहते हैं कि कहां कौन जाता है, क्या बात करता है, क्या भाषण किया वह सब नोट हो जायगा लेकिन सरकार की नाक के नीचे जो तमाम जगह-जगह दुकान-दुकान ब्लेक मार्केटिंग चल रहा है सरकार और इनके अधिकारी उसको रोकने में अक्षम रहे हैं । यह सरकार स्वयं बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिली है और वह कपड़े का सही नियंत्रण नहीं करना चाहती और न उपभोक्ता को सही मूल्य पर कपड़ा दिलाना चाहती है । (लाल बत्ती जलने पर) केवल एक बात मैं और कहूंगा कि.....

श्री अध्यक्ष—

जब लाल बत्ती होती है तभी आप एक बात और शुरु कर देते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

लाल बत्ती का मतलब श्रीमन्, २ मिनट का रहता है लेकिन मैं केवल १ मिनट में ही समाप्त कर दूंगा । एक इनका ऐक्ट है एकोमोडेशन देने की व्यवस्था के बारे में जो ३० सितम्बर को खत्म हो रहा है, वह है एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, इनका उसको फिर आगे बढ़ाने का इरादा है । लेकिन आप किसके लिये मकान रिक्वीजीशन करते हैं ? आप केवल अफसरों और अपने कृपा पात्रों को ही मकान देने के लिये रिक्वीजीशन करते हैं, जितने उनके कृपा पात्र उनको वह मकान मिलते हैं लेकिन साधारण जनता महज टकटकी लगाये ललचायी आंखों स उनको देखती है और बेचारे ललचाया करते हैं । यही उनका काम रह गया है और इसीलिये वह चाहते हैं कि इस ऐक्ट को और आगे बढ़ा दिया जाय और इसी बात को लेकर हमारे सामने वह अनुदान की स्वीकृति के लिये आये हैं लेकिन क्या इस सरकार का कोई काम ऐसा है कि उसके इस अनुदान को स्वीकार किया जाय और क्या इस सरकार ने कोई ऐसी बात की है कि जो तसल्लीबख्श होती और जिसमे हमें और जनता को विश्वास होता कि सरकार अपनी नीति और कार्यक्रम को बदलने जा रही है । अन्त में मैं केवल एक बात और कहूंगा कि आप कर्मचारियों की बात भी सोचिये और अधिक से अधिक कर्मचारियों को मुस्तकिल कराइये और साथ ही इस सरकार की जो हालत है और जो केन्द्रीय सरकार की हालत है उसके विषय में केवल एक शेर कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं :

"किसी से न सीख जिन्दगी का चलन
जो बने रहबर हैं वही राहेजन"

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं ।

माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में खाद्यान्नों के वितरण के विषय में जो समस्यायें हैं, थोड़ी सी मजबूरी प्रकट की है और कहा है कि हम चाहते हैं, कि वितरण सही हो, सही उपयोगी वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण हो, लेकिन कुछ साधनों की कमी है । इस वजह से मजबूरियां

हैं जल्दी सारी कमियों को दूर नहीं किया जा सकता है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं माननीय मंत्री जी को बाद में धन्यवाद दूंगा, थोड़ा बहुत काम हुआ है लेकिन उस थोड़ा बहुत होने पर भी माननीय सदस्य ने धन्यवाद देना पसन्द नहीं किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अभी जवाब देना शेष है।

श्री रामलाल राही—

उन्होंने अपना भाषण इस बात से आरम्भ किया कि जो खाद्यान्न मूल्य आयोग बना है उसमें कोई किसान का बेटा नहीं है। यह बात सही भी है और गलत भी हो सकती है यदि दोनों दृष्टियों से सोचा जाय। पहले जब जमींदारी समाप्त नहीं हुयी थी तो जो जमींदार थे आज वे भी किसान हो गये हैं। हम तो किसान उसे समझते हैं जो स्वयं खेती करता है और हल चलाते हैं। अगर ये उन बड़े-बड़े जमींदारों को किसान मानते हैं तो यह बात वाजिब नहीं, "कि किसान का बेटा उस आयोग में नहीं है" जो आयोग बना है उसमें बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वे किसी न किसी रूप में किसान के बेटे होते हैं लेकिन जिस किसान की बात मैं कह रहा हूं और जिस किसान के बारे में सोचना-विचारना पड़ेगा, जिनकी समस्या हल नहीं हुयी है, उनका बेटा अवश्य नहीं पहुंच पाता है। हमारे भाई कल्पनाथ सिंह जी जो पहले शासन में रह चुके हैं, उन्होंने पहले सोचा होता और कोई रास्ता निकाला होता कि हम ऐसे बेटे को लेंगे तो हम भी उनकी नकल करते। हमने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गरीबी मिटाने का संकल्प किया है और निर्णय लिया है और बराबर यह सरकार इस कार्य के लिए प्रयत्नशील है।

अभी हमारे भाई साहब ने मूल्य नियंत्रण के बारे में जिक्र किया और कहा कि डालडा सही कीमत पर नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि और भी कई वस्तुयें हैं जिनके मूल्य निश्चित हैं लेकिन निश्चित कीमतों पर नहीं मिलती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें केवल शासन का दोष है। सरकार ने तो कानून बना दिया सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उसका कार्यान्वयन करते हैं। माना कि सरकार का भी कुछ दोष है लेकिन समाज में जो दुर्गुण आ गया है, यह भी उसका कारण है। अगर हमारे भाई इसे समाज का दोष कहते तो मैं मान लेता। सरकार ने शक्कर की दुकानें, कोयले की दुकानें, और डालडा बेचने के लिए कोटा दे दिया है और ये लोग कोटेदार हो गये हैं। सरकार ने उनको ये वस्तुएं दे दी और कहा कि शकर १ रुपया ९२ पैसे में दो। अगर वे ३ या ३ १/२ रुपये में बेचते हैं और कोई लेता है तो यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हम कोटेदार से क्यों ३ १ २ रुपये प्रति किलों क्यों खरीदते हैं। अगर जानकारी हमें हो जाती तो हम सरकार तक उसकी बात को पहुंचा देते। केवल यहां पर बैठ कर समस्या का हल नहीं हो सकता है। हम तो डरते हैं कि अगर हम व्यापारियों की खिलाफत करेंगे तो वे हमें वोट नहीं देंगे। तो हम सब उनकी खिलाफत नहीं करना चाहते हैं। और सरकार के अधिकारियों और सरकार का दोष बता कर लोकप्रियता को लूटना चाहते हैं।

मैं मानता हूं कि सरकारी मशीनरी जिस तरह से समाज चाहता है, उस तरह से नहीं चला पाती, कमियां हैं। लेकिन इन कमियों की ओर जब तक सरकार का ध्यान नहीं दिलवाया जायेगा और साथ ही सक्रिय सहयोग नहीं दिया जायेगा, तब तक दूर नहीं हो सकेंगी। जब हम अपने भाई-भतीजे के लिये यह बात सोचते है कि वह किसी अच्छी जगह पर जाये, जहां ऊपरी आमदनी हो, तो यह बात जब तक दिमाग से नहीं निकलेगी, तब तक अच्छा समाज, अच्छे अधिकारी और अच्छे लोग नहीं हो सकते। जहां इतना सब कुछ है, वहां कमजोरियां तो हैं हीं लेकिन अगर उनकी तरफ ध्यान दिलाया जाय और शासन जागरूक रहे तो इन कमियों को दूर किया जा सकता है और उससे जरूर लाभ हो सकता है।

[श्री रामलाल राही]

मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना विशेषरूप से करना चाहूंगा। आप गल्ले के खरीद की जो व्यवस्था करने जा रहे हैं वह बहुत बाजिब है और पिछले साल की प्रदेश की व्यवस्था से अच्छा मानता हूं। लेकिन जो गल्ला आप खरीदेंगे उसकी क्वालिटी आपका सरकारी कर्मचारी निर्धारित करेगा। सरकारी कर्मचारी जैसा कहा जाता है वह भ्रष्ट है और अगर उस पर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी जायेगी तो वह मनमानी करेगा। इसलिये मैं एक बेहतर सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें कोई पार्टी-पालिटिक्स का सुझाव नहीं है क्योंकि हम स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं जिससे जनता को न्याय मिल सके और जो गल्ला पैदा करते हैं उनको उचित मूल्य मिले। अगर आप उसके लिये एक सर्व-दलीय समिति गठित कर दें जिसमें दूसरी पार्टी के लोग हों, ब्लाक प्रमुख हो, प्रधान हो, तो विरोध पक्ष को यह कहने का यह अवसर नहीं मिलेगा। कि क्वालिटी निर्धारित करने में सरकारी कर्मचारी ने गड़बड़ की है।

दूसरा निवेदन यह है कि मंडलीय विधायकों की बैठक बुलाई गई थी और उसमें जो छपा हुआ पर्चा बांटा गया था, उसमें हैंडिलिंग एजेन्ट की बात लिखी हुई है। उसको काम यह बताया गया है कि वह गल्ले की उतराई, सफाई और भरवाई करायेगा। मान्यवर, हम सब यह जानते है कि यह काम पल्लेदारी का है और आपने हैंडिलिंग एजेन्ट का नाम रख कर भ्रम में डाल दिया। क्योंकि जब पल्लेदार उसको सुनेगा तो यह समझेगा कि कोई अजीब सी चीज है। अगर आप सीधे-सादे यह कह देते कि पल्लेदार का कार्य करेगा तो गरीब आदमी उसको करते। हैंडिलिंग ऐजेन्ट की बात कह कर आपने बीच में दलाल लोगों को अवसर दे दिया चाहें आप उसे बनिया कहें, या दलाल कहें, वह तो लेबर का शोषण करेगा। वह व्यक्ति २०–२५ आदमियों को रखेगा और उन्हें आधे पैसे देगा और आधे आप रखेगा। इसलिये सुझाव यह है कि हैंडिलिंग एजेन्ट न कह कर पल्लेदार कहें तो गरीब आदमी को भी मौका मिलेगा कि वह आगे आकर काम करेगा और उसको भी कुछ लाभ होगा।

शक्कर के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से इतना निवेदन करना है कि आपने शक्कर को देहातों में बांटने के लिये कोटा दिया है। मैं तो अपने जिले की बात को जानता हूं। सप्लाई आफिसर से भी इस बारे में बातचीत हुई थी। सहकारी समितियों को यह काम दिया है और जहां पर यह समितियां नहीं होंगी वहां पर इसको पब्लिक के आदमियों को दिया जायगा लेकिन धीरे-धीरे वह बात अब दो दुकानों तक पहुंच गई है। आप हर पंचायत अदालत में दो दुकानें खोल रहे हैं। उनके लाइसेन्स की व्यवस्था को भी देखिये। जिस अदालत का रहने वाला कोई व्यक्ति है, अगर उसके लिये एप्लाई करता है तो उसको न देकर आप दूसरे को देते हैं या फिर शहर वाले को देते हैं। साथ ही दुकानें उन लोगों को दी जा रही हैं जिनसे पैसा मिलता है। मेरे पास भी दो चार सिफारिश करने के लिये केसेज आये। मैंने कहा कि आप दूसरे क्षेत्र के हैं आप वहां जाइये। उन्होंने कहा कि आप किसी एम० एल० ए० से लिखवाकर ले आये यह उनसे कहा गया है। इसको कर्मचारी कहते हैं कि जिस एप्लीकेशन पर एम० एल० ए० के दस्तखत नहीं है उसको यह नहीं मिलेगी। जिन लोगों को उनको देना था उन लोगों से तो पहले से ही तय हो जाता है। वह कहते हैं कि आप क्षेत्रीय एम० एल० ए० से लिखवा कर लायें अगर वह मिलें तो आप अपने जिले के दो तीन एम० एल० ए० से लिखवा कर दे दें तब हम देंगे। बात यह है कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा निवेदन यह है कि आप गांव में शक्कर बाट रहे हैं। वहां का आदमी गरीब है या अमीर परन्तु वहां पर शक्कर का प्रयोग तो ५ परसेंट लोग भी नहीं करते हैं। वह शक्कर वहां से शहरों में या हलवाइयों के पास चली जाती हैं। शादी व्याह आदि के मौके पर इसकी वहां पर जरूरत पड़ती है और वह लोग उस समय पर एक-एक दाने के लिये मोहताज हो रहे हैं। इसकी आपको कोई व्यवस्था करनी होगी। मैंने निवेदन किया था कि जो शक्कर देहातों में जाती है वह मिसयूज होती है।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में इस समय कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

अब चूंकि आपने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया मैं घंटी बजवा रहा हूं । अगर ध्यान न आकर्षित करते तो आप बोलते रहते, कोई बात नहीं थी ।

(घंटी बजायी गयी । )

श्री अध्यक्ष--

वह सदस्यों को लेने जा रहे हैं, नहीं तो बजट कैसे पास होगा । किसी और दिन बैठना पड़ेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस बजट में मुख्य मंत्री जी को ही दिलचस्पी नहीं है, तो और लोगों को क्या दिलचस्पी हो ?

श्री अध्यक्ष--

लोग डिमान्ड करेंगे कि शनिवार को जैसे छुट्टी होती है वैसे ही शुक्रवार को भी हुआ करे, क्यों कि घर जाने की जल्दी रहती है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

फिर तो बृहस्पतिवार और बुधवार की भी छुट्टी चाहेंगे और आज ऐसा ही मालूम पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष--

लोग आज जल्दी चले गये हैं । जो रह जावेंगे उन सभी को बोलने दूंगा ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)--

विरोध को यह हक होना चाहिये कि जब चाहे वोट मांग ले, जिससे सरकार सतर्क रहे ।

श्री अध्यक्ष--

अभी भी १३ कम हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

४ मिनट हो गये हैं इस लिये आप सदन बन्द कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

यह मेरे ऊपर ही पड़ेगा और कार्य मंत्रणा समिति में फाइन्ड आउट करना पड़ेगा । अभी भी कोरम पूरा नहीं हुआ है ।

श्री राम बिलास पांडेय--

अध्यक्ष जी, दरवाजे बंद करवा दिये जायं, नहीं तो जो रह गये हैं वह भी चले जायेंगे ।

श्री कपल्नाथ सिंह—

श्रीमन्, समय पूरा हो गया है इसलिये आप कार्यवाही बंद क्यों नहीं कर रहे हैं ? कोरम पूरा नहीं हुआ है ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई । )

श्री रामलाल राही—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि देहातों में शकर का कोटा कर दिया गया है लेकिन वह ब्लैक में चला जाता है । आप शादी आदि के लिये शकर नहीं दे पाते हैं जिससे लोगों को बड़ी कठिनाई है । तो मैंने करप्शन की बात बतलाई कि चाहे आप किसी दुकानदार को १० या १५ कितनी ही बोरी शकर दें, एक आध बोरी के अलावा सारी शकर ब्लैक में चली जाती है ।

ब्लैक का हिसाब आप देखें, १०० रु० की आमदनी होती है एक बोरी पर । १० बोरी में १,००० रु०, १५ बोरी में १५०० की आमदनी । सप्लाई आफीसर इसमें हिस्सा बंटा लेता है, उसको इस बात की दिलचस्पी है कि कोटा बटे । उसको दिलचस्पी नहीं कि शकर शादी-ब्याह में जाय । तो व्यवस्था हो कि शकर शादी, व्याह और जनेऊ में मिले । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कोटे को बंद कर दें अगर भ्रष्टाचार कम करना चाहते हैं आप । देहात में कोई शकर की आवश्यकता नहीं है । अगर रखना ही है तो एक कोटा रखिये । चार, पांच बोरा दे दीजिये । जितनी बचती है, वह शादी और ब्याह के लिये स्पेशल व्यवस्था करें । नहीं तो मान्यवर बड़ा असंतोष होगा गरीब जनता को वह चाहे किसान हो चाहे मजदूर । अगर व्याह में अपने मेहमान की खातिर नहीं कर पायेगा, उनको एक ग्लास शरबत भी नहीं दे पायेगा तो वह कोसेगा हमको और इस सारे सदन को ।

मान्यवर, गरीबी और बेरोजागारी को मिटाने की बात हर 'इस्यू' हर प्वाइंट पर उठती रहती है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके कोटा का बटवारा होता है, शकर, मिट्टी का तेल, कोयला और टिन के लाइसेंस दिये जाते हैं । ये सभी बड़े-बड़े लोगों को दिये जाते हैं । नारा हम लगाते हैं, गरीबी हटाने का नारा हम लगाते हैं बेरोजगारी दूर करने का, लेकिन हम उस तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं । अगर एक गरीब आदमी को मिट्टी के तेल का लाइसेंस दे दिया जाय तो उसमें उसको १०, १५ रुपये हर महीने बच जाया करेंगे । तो यह लाइसेंस गरीब आदमियों को दें । अगर शकर की एक बोरी में उसको कुछ मुनाफा होता है, तो क्या उसको कुछ फायदा नहीं होता है और इस प्रकार उसको दूसरे रूप में एक रोजगार नहीं मिलता है ? सड़कों आदि में उन गरीबों को ज्यादा से ज्यादा एक महीने या १५ दिन का काम मिल जाता है । लेकिन उससे बेरोजगारी नहीं दूर हो सकती है । जब तक कोई ठोक कदम नहीं उठायेंगे, तब तक बेरोजगारी मिटने वाली नहीं है । मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज भी आग्रह करता हूं । बड़ी कृपा होगी, अगर हमारे इस सुझाव पर विचार किया जाय । एक तरक जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उनको ब्लैक करने की छूट की जाती है और दूसरी तरफ तो एक-एक पैसे के लिये परेशान है, उसको कोई मौका नहीं दिया जाता । तो सहृदयता से मान्यवर, सोचना पड़ेगा इस बात को । तब जाकर हम कोई सक्रिय कदम जठा पायेंगे इस दिशा में । जब गरीबों की दशा सुधरेगी, तो वे बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे आपको । इन सुझावों के साथ खाद्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो यह बजट अनुदान माननीय खाद्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इस बजट को देखने के बाद और जो माननीय खाद्य मंत्री जी हम लोगों को समय-समय पर पत्र भेजते रहते हैं और कभी-कभी अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विभाग की कार्यवाहियों से अवगत कराते रहते हैं, उन सभी पत्रों को पढ़ने के बाद इस बात का जरूर आभास होता है कि माननीय खाद्य मंत्री जी इस विभाग की स्थिति को ठीक कर सकेंगे। लेकिन मैं मंत्री जी से खाली कहना चाहता हूं कि कागज के पन्नों पर अच्छी-अच्छी बातें लिख करके, फिगर्स ठीक करके किसी समस्या का निदान आप नहीं कर सकते हैं। इस प्रदेश की दो समस्यायें हैं। आजादी के बाद खाद्यान के मूल्य बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। सन् १९४७ और १९५२ में जो भाव थे वे १९६७ और १९६९ में नहीं थे-वे कहीं के कहीं पहुंच गये। यदि आप मूल्यों पर कन्ट्रोल पर सकेंगे तब मैं समझूंगा कि आपने समस्या का निदान किया। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समय-समय पर बाजार में गेहूं की कमी हो जाती है, सीमेंट की कमी हो जाती है और डालडा, मिट्टी का तेल तथा शक्कर गायब हो जाते हैं। इस समस्या के निदान के लिये आपने कहीं कुछ नहीं लिखा है। इस समस्या के निदान के लिये आपको उचित ध्यान देना चाहिये था।

खाद्य विभाग के कार्यक्रम के सिलसिले में आपने ९ काम घोषित किये थे। ये काम वनस्पति, चीनी, नमक, सीमेंट, तिलहन, कोयला, ईंट, मिट्टी का तेल तथा नियन्त्रित कपड़े के सम्बन्ध में थे। गल्ले की खरीदारी के लिए सारा खाद्य विभाग लगा हुआ है ताकि मूल्य निर्धारित दर पर किसान को दिया जा सके। दूसरी बात यह है कि गल्ला सस्ते गल्ले की दूकानों के द्वारा वितरित हो सके। तीसरी बात यह है कि जो नित्य उपयोग में आने वाली चीजें हैं जैसे मिट्टी का तेल, चीनी, वे उचित मूल्य पर मिल सकें। इधर आपका ध्यान जाना चाहिए। कोयले की समस्या हमारे प्रदेश में बड़ा भयंकर रूप धारण किये हुये हैं। अगर इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो निर्माण कार्य बड़ी मात्रा में रुक जायगा। इन बातों की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

गेहूं की खरीदारी के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में बैठे हुये लोग मूल्य निश्चित करते हैं। मई–जून में तो गेहूं का मूल्य सस्ता रहता है। इन महीनों में किसान सारा गल्ला बाजार में उंडेल देता है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत होती है और शादी-ब्याह, मुंडन इत्यादि के लिए खर्च करना पड़ता है। आपने लाल गेहूं के दाम ७४ रु० निर्धारित किये हैं और सफेद के ७६ रू०। जुलाई व अगस्त में जब दाम चढ़ते हैं तब दुकानदार और बनिये ही फायदा उठाते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप खरीदारी की नीति में परिवर्तन लायें। जुलाई व अगस्त के महीनों में, जब गेहूं के दाम बढ़ जाते हैं, किसान के पास गेहूं अधिक रह ही नहीं जाता है और उसको इस तरह से उचित मूल्य नहीं मिलता है।

आप गेहूं का संग्रह कर रहे हैं और उसके लिये पिछले दो सालों में आपने योजना भी बनाई थी कि इतने लाख टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम के द्वारा संग्रह करेंगे। पिछले दो सालों में इतनी बड़ी मशीनरी, भारतीय खाद्य निगम जैसी, को इस काम में लगाया। पिछले दो सालों का जो लेखा-जोखा है, उसमें साफ-साफ लिखा है कि वह इस काम में विफल रही है।

आपने अनाज तो इकट्ठा कर लिया मगर उसके रखने की समस्या को हल नहीं किया। पहली अप्रैल, ७२ की रिपोर्ट में आपने स्वयं लिखा है कि संग्रह तो हम बड़ी मात्रा में कर लेंगे लेकिन संग्रह की समस्या सामने रहेगी। आपने यह माना है कि संग्रह की अच्छी व्यवस्था नहीं की जा सकी। कृषि रिपोर्ट में आपने कई बातों को स्वयं स्वीकार किया है। गोदामों की समस्या के कारण हजारों मन गल्ला नष्ट हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर गोदामों की स्थिति काफी असन्तोषजनक है। आप पहले से बहुत बड़ी योजना गल्ला इकट्ठा करने की तो बना लेते हैं मगर आप यह नहीं देखते कि उसके लिये आपको गोदाम भी मिल जायेंगे या नहीं। उसके लिये फिर प्राइवेट सेक्टर के गोदाम आप लेते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिये आपने स्वयं कहा है कि प्राइवेट व्यक्तियों के गोदामों को किराये पर लिया। आपने ६० लाख टन अनाज के संग्रह की योजना बनाई है जबकि गोदाम उसके

[श्री त्रिवेणी सहाय]

लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं पूछता हूं कि जब गोदामों की व्यवस्था नहीं है तो आपने इतनी बड़ी योजना खरीदने की क्यों बनायी? आप इस माखौल को बन्द करें। आप आंकड़े प्रस्तुत करने में तो बड़े ही माहिर हैं। बजट भी आप अच्छे से अच्छा पेश कर देते हैं, भाषण भी अच्छे से अच्छा दे लेते हैं, मगर जो इस सब का व्यवहारिक पक्ष है उस ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती। आज चीनी के दाम इतने क्यों बढ़ गये? आपने बताया कि उसके दाम पाकिस्तान से लड़ाई के कारण बढ़ गये। मगर वास्तविकता यह नहीं है, आपकी जबान पर समाजवाद के नाम की घोषणा अवश्य नाचती रही, आप उसके नारे अवश्य लगाते रहे, मगर आपकी नीति पूंजीपतियों को मदद करने की ही रही जिसके कारण चीनी के दाम बराबर बढ़ते चले गये।

(व्यवधान)

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं माननीय मन्त्री जी उसे नहीं सुन रहे हैं और वे अपनी पंचायत करने में ही लगे हुये हैं। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। आप अपनी नियमावली में चाहे संशोधन कर लें और ऐसी व्यवस्था करा दें जिससे कि एक बजट विरोध पक्ष की तरफ से भी ओ आल्टरनेटिव बजट हो यहां पर पेश हो और फिर सदन को यह अधिकार रहे कि वह जिस बजट को चाहे उस बजट को स्वीकार करे। यहां हम लोगों की बातों पर यह सरकार गौर ही नहीं करती। आप जरा सरकार को संकेत करें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मुबारकबाद उन्हें देता हूं, जो उन्होंने तस्लीम तो किया कि हम लोग काफी बहुमत में हैं।

श्री बेनीसिंह---

श्रीमन्, उनकी बातें सुन तो रहा था, लेकिन वह वही बातें बार-बार दोहरा रहे थे।

श्री त्रिवेणी सहाय---

आपने कहा कि दो रुपया तक चीनी के दाम हो सकते हैं। लेकिन आज समस्या यह नहीं है कि मूल्य निर्धारण कर दिया जाय। समस्या यह नहीं है कि आज जो चार किलो चीनी मिलती है कल वह ६ या ८ किलो मिलने लगे। इससे क्या उसका पेट भर जायगा। आपकी नीति बदलनी चाहिये। आपने घोषणा कर दी कि २ रुपये किलो चीनी मिलेगी, लेकिन शहरों और देहातों में लोग चीनी को तरस रहे हैं। मई-जून में शादी-व्याह के दिन आयेंगे उन दिनों के लिये आप उदारता बरतिये। हो सकता है कि आपके यहां शादी न हो, लेकिन औरों के यहां तो है। इन मौकों पर सप्लाई अफसर कहता है कि हमारे लिये एक किलो चीनी देने के आदेश नहीं हैं। आज जो २ रु० किलो चीनी बिक रही है, शायद वह शादी के मौसम में १० रुपये तक बिक जाय तो कोई ताज्जुब नहीं है।

इस तरह से आप प्रदेश के गरीबों के गाढ़ी कमाई का पैसा अमीरों की जेबों में डाल रहे हैं। ६० परसेंट मिल मालिकों ने आपको दे दिया और ४० परसेंट उन्होंने अपने पास रोक लिया। आप क्या कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से बाजार में चीनी उंडेल दी जाय। गेहूं का आपने कर दिया है, क्योंकि वह आपके पास सरप्लस है। लेकिन आज गेहूं की समस्या नहीं है। समस्या है सीमेंट की, चीनी और कोयले की। इन तीन वस्तुओं की समस्या के निदान के लिये आप कोई बात रखते तो शायद हम विरोधी दल के लोग आपका स्वागत करते और मैं भी समझता कि आप अच्छे खाद्य मन्त्री रहे हैं और हैं। संकट के समय में मूल्यों को गिराकर जब आप जनता को राहत दे दें, तो आप बधाई के पात्र हो सकते हैं। लेकिन २० साल में जो कलाबाजिया कांग्रेस ने दिखाई हैं, वही आप भी अपना रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि आप कलाबाजियां न खेलिये, बल्कि वास्तविक समस्या पर आपको ध्यान देना चाहिये। अभी तो भाव और ऊंचे होंगे। अभी जो चुनाव हुआ, उससे आपका भूत और ऊंचा हो गया। आपने सोचा मुक्त कण्ठ से जनता ने हमारा समर्थन कर दिया, अब असन्तुष्ट कौन हो सकता है। लेकिन आप याद रखिये जिस जनता ने आपको भस्मासुर बना दिया है, वही जनता पुनः आपके सिर पर हाथ रखेगी और कहेगी---पुनः मूश्को भव? तब आपको मजबूरन सोचना पड़ेगा कि हमारी बातें कितनी ठीक रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार पूंजीपतियों की एजेंट है, उन्हीं के बल पर आपकी सरकार बनती है। इस सम्बन्ध में आंकड़े, लोकसभा के चुनाव से सम्बन्धित आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि पूंजीपतियों ने कितना-कितना पैसा कांग्रेस पार्टी को जनता के मत खरीदने के लिये दिये हैं--- एसोसियेटेड कम्पनी ने ५ लाख रुपये दिये, बिड़ला जी ने १८,६५,००० रुपये दिये, मार्टन बर्न ने ५,७५,०००, साहु-जैन प्रतिष्ठान ने ११,३१,५००, साराभाई ने १८,१५,०००, बाल-चन्द्र ने १४,८८,३५१, श्रीराम ने ३६,३९,२५० रुपये इनको पिछले लोकसभा के चुनाव में चन्दे के रूप में दिये हैं। इस तरह से मेरे पास कम से कम ९० पूंजीपतियों के आंकड़े हैं। छपे हुये हैं। जनता में प्रसारित हुये हैं।

आज पूंजीपतियों के हाथ में आप बिके हुये हैं। इसीलिए चीनी के मसले को तय नहीं कर सकते या राष्ट्रीयकरण का नारा लेकर मिलों को बन्द करवा दिया। मिल मालिकों को छूट मिल मिल गयी। किसान के गन्ने का उत्पादन कम हो गया जिससे उद्योग घाटे में चल रहा है। इस तरह के कोरे नारे बन्द कीजिये। आपने कहा कि कोयले की समस्या इस प्रदेश में कैसी है। कोयला आपको मिला नहीं। आपने लिख दिया कि चूंकि लड़ाई हो रही थी। रेलस नहीं मिले। कोयला नहीं मंगाया जा सका। लड़ाई की बात मैं मानता हूं। लेकिन आपने इसको हल करने के लिये क्या सोचा? सरकार ने ईंट का भाव ६५ रुपये तय कर दिया। लेकिन जब जनता ईंटों के मालिक के पास जायगी तो उसको ८० रुपये १०० रुपये में देगा। आपने-अपने लिये दाम तय कर दिये। जिस दाम पर आपने ईंटे खरीदेंगे उसी दाम पर जनता को ईंटें दिलाते। लेकिन उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है।

तीसरी बात और कहना चाहता हूं। वह यह है कि शायद आप यह समझते हैं रसद विभाग बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहा है। सारे प्रदेश में अमन चैन है। राजा साहबान, नवाब साहबान का यही रवैया था। वह सोचते थे कि सारी जनता हरीभरी है, चाहे सूखा हो, बाढ़ हो, वैसे ही आप सोचते हैं कि रसद विभाग कमाल दिखा रहा है। रसद विभाग ने जनता के दुखों को दूर करने में एक परसेंट भी मदद नहीं की है। जितना बड़ा हुकमता है, जितनी बड़ी योजना है, सारी योजना जनता के हित में होनी चाहिये।

वितरण की समस्या दे दें। आपने सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दीं। आपने कहा कि हर न्याय पंचायत में दो दूकानें खोली जायेंगी, चीनी की दूकानें खोली जायेंगी। मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने आदेश बढ़िया निकाल दिया। लेकिन क्या आपने देखा कि गांवों में चीनी पहुंच गई, क्या न्याय पंचायतों में चीनी की दूकानें खुली हैं। शहर में सप्लाई आफिस के चारों तरफ चीनी की दूकानें खुल गई हैं वहां से हलवाई सारी चीनी उठा लेते हैं। आखिर इस पर सोचना चाहिए।

मिट्टी के तेल के लाइसेन्स के सम्बन्ध में आपने कहा कि हर गांव सभा में एक लाइसेन्स देंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मिट्टी तेल का लाइसेन्स देने के बाद क्या किसानों को सही दाम पर मिट्टी का तेल मिल रहा है? आज गांव में मिट्टी का तेल एक रुपये, दो रुपये बोतल मिल रहा है। जब मिट्टी के तेल की शार्टेज हो गयी थी तो दो ढाई रुपये बोतल मिलता था। इसको ठीक करने के लिये आपने क्या किया? आप लिखते हैं कि हमने पकड़ने के लिये

[श्री त्रिवेणी सहाय]

स्क्वैड तैयार किया है। आपने स्क्वैड तो तैयार किया है लेकिन स्क्वैड कुर्सी पर बैठा नींद ले रहा है। वह जनता की राहत के लिये आगे नहीं आते हैं। कितना भ्रष्टाचार है, इस ओर ध्यान ही नहीं जाता है।

गोंडा जिले में १०३ भट्ठे हैं, बहराइच में ६४ भट्ठे हैं, बस्ती में ११२ भट्ठे हैं, बुलन्दशहर में ८४ भट्ठे हैं। बुलन्दशहर में ईंट है। गोंडा में त्वरित योजना में १२ सड़कें ली गयी हैं। आपने उसके लिये ६० लाख ईंट हमसे मांगा है। उसकी सम्भावना बहुत कम है। भट्ठों के व्यापारी के पास इतनी ईंट हैं नहीं। कर्मचारियों ने कहा है कि वह हड़ताल कर देंगे। एक भट्ठे पर २०० से २५० आदमी काम करते हैं। उनसे काफी गरीब लोग पलते हैं। सब भट्ठों वालों ने तय किया है अगर कोयले की समस्या हल नहीं हुई तो हड़ताल होगी। हड़ताल का नतीजा यह होगा कि गरीब कर्मचारी भूखे मरेंगे। इसमें सरकार सन्तुलन लाये और पूंजीपतियों का मूंह देखकर रेक्स एलाट न किये जायं, कोयला न एलाट किया जाय। उद्योग की जरूरत को देखते हुये हिसाब लगाइये तब उसे एलाट कीजिये। ऐसा करने पर ही कोयले तथा ईंटों का मूल्य घटेगा। आज आवश्यकता है कि ईंटों का मूल्य कम हो। इतना कह कर मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उस पर कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। जब से हमारे देश तथा पाकिस्तान में लड़ाई हुई तब से स्थिति और गम्भीर हो गई है। पहले महायुद्ध के बाद दूसरे महायुद्ध से स्थिति बराबर बिगड़ती चली जा रही है। खाद्यान्न तथा रसद के मामले में, निर्माण के मामले में सरकार किसी जगह स्थिर नहीं रह पाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की कार्य समिति बन गयी है।

श्री उमानाथसिंह (जिला जौनपुर)—

कोरम नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन, यह भवन पुराना हो गया है, गैलरीज में काफी भीड़ होने लगी है, इस सदन को ५०, ६० साल के ऊपर हो गये हैं, पंखे चलते हैं उनकी हवा लगती नहीं और नीचे जो गद्दे बैठने के लिये हैं उनसे गरमी लगती है। इसलिये दूसरा भवन बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था यह की थी कि विरोधी बोलना शुरू कर दें और आप लोग सुनते रहें लेकिन उन्होंने ही एतराज कर दिया कि कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(गणपूर्ति होने के पश्चात्)

श्री सजीवन लाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की कार्य समिति बनी हुई है। हर वर्ष कुछ न कुछ नये किस्म की व्यवस्थायें, कुछ नये ढंग के कानून निकाल देती है। इस वर्ष भी कन्ट्रोल के जरिये से सुविधा देने के बहाने इस सरकार ने गांव के गरीबों पर एक तरह से अन्याय और अत्याचार किया। गांव के गरीबों को इस नियन्त्रण से कोई सुविधा नहीं मिली। जनता की खरीदने की ताकत

आज धीरे-धीरे घट रही है और पूंजीपतियों को बराबर ऐसे कानूनों के जरिये से सुविधायें मिल रही हैं। सरकार आज गेहूं के भावों की घोषणा करती है परन्तु यह नहीं सोचती कि आज से दस साल उपभोगता वस्तुओं के जो दाम थे क्या वही आज भी हैं। सीमेंट के भाव, लोहे के भाव, शकर के भाव जब से आजादी मिली तब से आज तक बढ़ते चले गये, लेकिन किसान के गल्ले के भाव में, गन्ने के भाव में हमेशा चढ़ाव उतार होता रहता है जिससे किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। कभी भी इनके भाव स्थिर नहीं रह पाये कि किसान को पता चल जाये कि इस भाव से उसे अपना गल्ला बेचना है।

पूंजीपतियों को यह सुविधा मिली कि उनके लोहे के भाव, कपड़े के भाव और मिलों में पैदा होने वाली जितनी चीजें हैं उनके भाव बढ़ते चले गये लेकिन खेती से पैदा होने वाली चीजों के भाव में कोई स्थिरता नहीं रही और मिल की चीजों के भाव के मुकाबले में वह हमेशा घाटे पर रहे हैं। किसान के घर पैदा हुई चीजों के भाव गिर जाते हैं और जब वह पूंजीपतियों के यहां बिक कर चली जाती है तो धीरे-धीरे उनके भाव चढ़ जाते हैं। इसलिये सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना होनी चाहिये कि खरीद फरोख्त की पूरी जिम्मेदारी सरकार अपने हाथ में ले ताकि किसान का शोषण न हो सके। बाजारों में खरीदने की सरकार की तरफ से चलती फिरती योजनायें हों ताकि जब किसान बाजार में गल्ला बेचने जाय तो वहां पर इनके एजेंट हों जो उनसे सीधे गल्ला खरीदें।

(इस समय २ बजकर ५९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अब तक जो गेहूं खरीदने की विशेष प्रकार से घोषणा सरकार द्वारा हुई है किन्तु उसके अलावा भी कई प्रकार के अनाज हैं जैसे जौ है, चना है, धान है जिनका उत्पादन हमारे प्रदेश में काफी होता है उनकी खरीद की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिये। आज इस बजट को देखने के बाद यह पता चलता है कि सरकार शहरों की तरफ और उसके विकास और सुविधाओं के लिये ज्यादा ध्यान दे रही है, देहातों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज देहातों में अगर देखा जाय तो शक्कर उचित मूल्य पर कहीं भी मिलनी असम्भव हो गई है। ऐसे व्यक्तियों को शक्कर के कोटे दिये जाते है, जो प्रभावशाली होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं। वे कंट्रोल के रेट पर शक्कर को लेकर उसे ब्लैक करते हैं। और जो छूट यह शक्कर बिकने की आपने दी है उससे पूंजीपतियों और दूकानदारों को ही केवल फायदा हो रहा है। इस तरह से होता है कि जब गांव का खरीदने वाला कंट्रोल वाले के पास शक्कर खरीदने के लिये जाता है तो वह उस दुकानदार के हाथ पूरी शक्कर बेच देता है और गांव वालों के लिये यह कह देता है कि अभी कोटा आया ही नहीं। हम चाहते थे कि इस तरह से कंट्रोल किया जाता कि उसे पूरे प्रदेश में जब कि आज शक्कर का संकट पड़ा हुआ है वह कम से कम व्याह शादियों के दरमियान सभी जरूरतमंद लोगों को शक्कर मिल जाती। इस तरह से शक्कर का वितरण किया जाता। अगर कंट्रोल के हिसाब से शक्कर का वितरण हो जाय तो जो ब्लैक की समस्या खड़ी है वह अधिक न उठती। इस बात की खुली छूट दे दी गई है कि दुकान दार आज जिस भाव चाहे, शक्कर की बोरी बेचे। यह बात सर्व विदित है कि आज शक्कर के मामले में किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसको रोकने के कोई उपाय नहीं किये गये हैं। शहरों में तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से कोटा बंधा हुआ है लेकिन देहात में गरीबों के लिये कौन सा कोटा है। इसके अलावा जो शक्कर की वितरण की व्यवस्था है उसमें भी ऐसा होना चाहिये कि व्याह शादियों के समय में तो कम से कम कंट्रोल की नीति अख्तियार करें जिससे देहात के गरीबों को कुछ राहत मिले।

क्या आप बता सकते है कि आज सीमेंट, लोहा, कपड़ा और शक्कर का भाव क्यों नीचे नहीं गिरा है? किसानों के भाव का कोई ठिकाना नहीं। किसानों की फसल कटी तो

[श्री सजीवन लाल]

पूंजीपतियों या और लोगों ने यह सोच लिया कि फसल कटी है और भाव गिर गया। लेकिन शक्कर फसल, कपड़े की फसल, सीमेन्ट की फसल और लोहे की फसल भी कटी है तो उसका भाव किसी ने गिरते हुये देखा है। इसका जो भाव २० साल पहले था उससे आज दूना और चौगुना होता चला जा रहा है। अगर यह सरकार की गांवों के प्रति हमदर्दी है और यदि गांवों के लोगों की जिन्दगी को सुधारना चाहती है तो इस तरफ उसे ध्यान देना होगा और सख्ती के साथ कंट्रोल लागू करके और गांवों के लोगों की जिन्दगी सुधारने के लिये और उनकी इस व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये ऐसा किया जाना चाहिए।

ईंट का भाव १२५ रुपया हो गया है। सरकार कंट्रोल के भाव से कुछ और हिसाब से खरीदे किन्तु गांवों के अन्दर रहने वाले तो १०० रु० और १२० रुपया तथा कहीं-कहीं तो १४० रुपये तक ईंट का भाव है। इसका असर किसानों और कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है। किसान यदि पक्का कुवां बनाने के लिये ईंट खरीदने के लिये जाता है तो वह १४० के भाव से खरीदता है। इसका असर सिंचाई पर पड़ता है जिससे उत्पादन पर असर पड़ता है और खाद का भाव कम होना चाहिये।

पैदावार बढ़ाने के लिए जो हरी क्रांति का नारा हमने लगाया है वह कुछ अंशों में सफल हो चुका है, फिर भी संभावना यह है कि इस प्रकार किसान पर पूरा असर पड़ सकता है इसलिए कंट्रोल ईट पर भी करना है। अधिक वर्षा के कारण इस वर्ष गांव के गांव बरबाद हो चुके हैं, कच्चे मकान गिर कर खंडहर हो गये। लोगों ने सोचा कि मकान पक्की ईटों से बनाया जाय ताकि गिर भी जाय तो दोबारा उसी ईट से बना सकें। लेकिन भट्ठे वाले कहते हैं कि ईंट इस भाव से नहीं मिलेगी। तो क्या यह पूंजीपतियों और मिल-मालिकों के लिए छूट नहीं है? इस पर रोक लगायी जाय। कंट्रोल भाव से ईंट दिलायी जायं।

एक ओर असर खेती पर पड़ने वाला है, वह खाद का मामला है। खाद का भाव बढ़ कर बहुत ऊंचा हो गया है, इसका असर पैदावार पर पड़ेगा। इसलिए उस पर नियंत्रण किया जाना चाहिये जिससे सस्ती दर पर वह मिल सके। इसी तरह से सिंचाई की मशीनें, पंपिंग सेट या लोहे की मशीनें हैं ट्रैक्टर आदि इनके भाव बराबर बढ़ते गये हैं। वह कौन से रास्ते से हम सोचें कि सरकार किसानों की सुविधा के लिए कोई बात सोच रही है? जिस समय खाद का भाव बढ़ाने के लिये विचार हो रहा ह, अन्य उसकी उपयोगी वस्तुओं के दाम बढ़ें तो मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के पीछे चल रही है जिससे देहात का शोषण होकर शहरों का निर्माण हो रहा है। शहरों की सड़कें, गलियां, आवास-निवास की व्यवस्था, पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम, भवन, स्कूल ये सब चीजें बन रही है लेकिन देहात की तरफ कोई रुजहान नहीं है। न वहां सड़कें है, न शिक्षा की व्यवस्था, न पढ़ाई लिखाई के साधन। प्रधान से पूछो कि अपना स्कूल क्यों नहीं तैयार करते नाले पर पुल क्यों नहीं बनाते तो कहते हैं कि लोहा, ईट, सीमेंट का भाव इतना अधिक है कि हम बना नहीं पा रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए जरूरी ह कि सरकार इस तरफ सख्त कदम उठाये।

मंत्री जी ने कहा था कि सीधा-सीधा बजट है। वह सीधा-साधा इस माने में जरूर है कि पंजीपतियों, सरमायेदारों और दूकानदारों, बनियों को यह सरकार मदद दे रही है, लेकिन दूसरी ओर गरीबों का शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, जनता का शोषण हो रहा है, किसान उजड़ रहा है। इसलिये गांव की तरक्की की तरफ, किसान के लिए सस्ता उपयोगी सामान उपलब्ध कराने की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह गांव-गांव में अपने उद्योग खोले जिससे गांव वालों को सही और उचित मूल्य पर सामान मिल सके। उसकी दुकानें हो और सरकार कंट्रोल करे जिससे वहां के रहने वालों को चीजें ठीक दाम पर मिल सके जब किसान अपनी चीज को बेचना चाहे तो उसके

खरीदने के लिये वहीं एजेंसी भी हो जिससे वह सीधा सम्पर्क स्थापित करके अपनी चीज को बेच सके। बीच का लूटने वाला तबका हट जाना चाहिये। इसके हटने से गांवों का नव-निर्माण होगा और नई जिन्दगी आयेगी।

*श्री शिववक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों की आलोचना सुन रहा था और मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऐसे भाले भाले विभाग की भी अलोचना हुई। मंत्री जी भी भोले-भाले, सीधे सादे हैं, गांव के हैं और किसानी करते हैं। इसलिये उनको समस्याओं का उनको पूरा-पूरा ज्ञान है। लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। दूसरों से मांगे और दूसरों को दें। मांग और पूर्ति में बड़ा अन्तर है। जब वह केन्द्रीय सरकार से मांगते हैं और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते है तो देने वाला भी कहता है कि इतना ही देंगे और लेने वाला कहता है कि इतना ही लेंगे। उनकी बड़ी मजबूरी है। शकर, कोयला, चीनी और नमक, ये सब चीजें मांगते है और देने पर लेने वाले नाराज होते क्योंकि उनकी मांग अधिक की होती है। इसलिये यह कठिनाई है। इसी से लोगों को शिकायत होती है। लेकिन अगर हम देखें कि किस हद तक उन्होंने जनता की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है तो उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते हैं।

आपने देखा कि गेहूं का संग्रह करने का कितना लक्ष्य था उससे दूना हुआ। इसी तरह से शकर ६ लाख टन के बजाय ११ लाख टन ली। कितनी कठिनाइयां आई, कहीं बोरा नहीं है, कहीं रुपया नहीं है और कितनी गड़बड़ियां हुई और लोगों की शिकायतें भी हुई। लक्ष्य से जब दूने का प्रबन्ध करना होगा तो कठिनाइयां तो होगी ही। लेकिन उन्होंने कितनी तत्परता और लगन के साथ इस कार्य को किया है तो वास्तव में वह सराहनीय है। उन्होंने अचानक जाकर छापे मारे ह, दौरा किये है और गड़बड़ियों को पकड़ा है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो कार्य किया गया था उसमें पूरा कंट्रोल इस राज्य का नहीं था। अगर हम कठिनाईयों को भुला कर देखें कि अगर गल्ले का संग्रह न किया जाता तो किसानों को सस्ते दाम पर बेचना पड़ता। इससे किसानों को लाभ हुआ है और सुविधा रही है कि जब चाहे तब अपने गल्ले को उचित दाम पर बेचा है। जिस तत्परता से मंत्री जी ने कार्य किया, उनके अनुभव से लाभ उठा कर इस वर्ष गल्ले की खरीद में त्रुटियां कम होंगी। ज्यादा से ज्यादा राहत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। मेरा सुझाव है कि खरीदारी के केन्द्रों को भी सरकार को गांवों के ज्यादा से ज्यादा पास रखना चाहिये इससे किसानों को सहूलियत होगी और उनको अपना गल्ला लेकर दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार जो किसानों को गल्ले में राहत दे रही है, यह भी बहुत ही बड़ा कार्य हुआ है।

इसके अलावा भी बहुत सी समस्यायें है। कोयला, लोहा, शकर, और तेल लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे है। इसके अलावा जो वितरण, प्रणाली है वह भी बहुत पुरानी है, उसमें भी दोष है, उसमें सुधार की आवश्यकता है, वह होने चाहिये।

शकर के बारे में बहुत बातें और डिसकशन हो चुके हैं। यह न गांव वालों को ठीक मिल पाती है, न दूकानदार को ठीक मिल पाती है और न कोटा परमिट वालों को ही मिल पाती है। सरकार को भी इसमें बड़ी परेशानी हैं। शकर में बहुत मिठास है, इसके बारे में मेरा सुझाव है कि इसमें अधिक मिठास होने के कारण जो इसको पाता है वही इससे चिपक जाता है, चाहे वह मिल वाला हो, चाहे दूकानदार हो, चाहे खरीदार हो। इसलिये केन्द्रीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिववक्ष सिंह राठौर]

सरकार से कहा जाय कि इसकी मिठास कुछ कम की जाय और इसका उत्पादन बढ़ाया जाय तब ही जाकर इसकी समस्या हल हो सकती है। जहां तक वितरण की समस्या की बात है उस पर नियंत्रण होना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि वितरण प्रणाली सदोष है। सरकार को उसमें सुधार करना चाहिये। सरकार को यह देखना चाहिये उपभोक्ताओं को वह वस्तु मिलती है या नहीं। न मिलने पर कर्मचारियों को सख्त से सख्त दंड देना चाहिये। विवाह शादियों आदि के अवसर पर भी लोगो को शकर आदि मिलना चाहिये।

इसी प्रकार से ईंट की बड़ी भारी समस्या है। इसमें संदेह नहीं कि लोग समृद्ध हुये हैं। गांवों में लोग पक्के मकान बनाना चाहते हैं। सरकार तो पुल, इमारतें और स्कूल बनाती ही है लेकिन कोयले की कमी है। समय-समय पर मंत्री जी ने मीटिंगों में और केन्द्रीय सरकार से इसकी शिकायत की है। केन्द्र से कोटा कम मिलता है, जो मिलता है उसके लिये पूरे वैगन नहीं मिलते। लेकिन इसमें सरकार ने प्रयत्न किया है। फिर भी सदस्यों की ओर से बहुत सी बातें कही गयीं। यह दूसरों से मांग कर लाता है और आप कहते है कि बम्बई या दूसरे पूंजीपतियों की यह सहायता करता है। इस विवाद का यहां कोई संबंध भी नहीं है।

उन्होंने रुपया लिया इसलिये चीनी पर उसका असर पड़ गया और गेहूं और तेलों पर असर पड़ गया, इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उससे हमारा सबसे बड़ा सम्बन्ध यह है कि हमारे यहां वस्तुयें कम हैं और उनकी मांग अधिक है। उन वस्तुओं की पूर्ति उचित मात्रा में जनता को कैसे हो उसके लिये हमारी नीति में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, बिना इसके समस्या का और कोई हल नहीं है, इसका प्रबन्ध आप को करना चाहिये। गेहूं के बारे में मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि उसकी व्यवस्था ऐसे हाथों से होनी चाहिये कि किसानों को उसके सही तौर पर दाम मिल सके। आप यह भी देखे कि गेहूं के दाम खाद्य निगम के इंसपेक्टर तय करते है कि यह गेहूं 74, 75 या 76 रुपए के भाव का है या किस भाव का है और उसके बाद भी किसान को सही दाम नहीं मिलते। बीच के बिचौलिये लोग गांव वालों से सस्ती दर पर पहले गेहूं ले लेते है और उसके बाद वह अधिक दाम पर गेहूं देते हैं। इस तरह से किसान को सही दाम नहीं मिलते बल्कि बिचौलिये जो समाज के लिये घातक हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाते हैं। इसकी व्यवस्था होना चाहिये कि किसान का गल्ला किसान से ही क्रय किया जाय और बिचौलियों को अलग रखा जाय। इस तरह की ब्याधा किसानों के रास्ते से दूर होना चाहिये। किसानों का गल्ला खरीदने के लिये उनके घर के पास में ही ऐसे केन्द्र खोले जायं जहां आसानी से वह अपना गल्ला लाकर बेच सकें।

इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जीवन की बहुत सी आवश्यक चीजें हैं जैसे अनाज, नमक शकर तेल आदि जो लोगों को उचित दाम पर मिलनी चाहिये। अगर कीमत ज्यादा होती है तो सबसे अधिक बुरा असर उसका किसान पर पड़ता है। हमको देखना होगा कि उसको अपने गल्ले का निर्धारित मूल्य तो मिले ही साथ ही उसे भी जीवन की अन्य उपयोगी वस्तुयें ठीक दाम पर मिलें। अगर गल्ले के दाम किसान को सही मिलते हैं तो उसके साथ बड़ा उपकार होगा। इन त्रुटियों को दूर करने के लिये जो भी कदम सरकार उठायेगी वे सरकार के हित में जायंगे। हमारे मंत्री जी इसके लिये सक्षम हैं और वह अनुभवी भी ह और किसानों की तमाम बातों को वह समझते भी हैं, मुझे आशा है कि वह अपने ढंग से इन तमाम समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे और किसान का लाभ होगा।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर मुझे कुछ कहने का अवसर दिया। जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है यह विभाग गांव में रहने वाले लोगों की नित्य की समस्याओं से बहुत कुछ सम्बन्धित है और वह वस्तुयें जो हमारे जीवन के लिये आवश्यक है उनसे उसका सीधा सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात तो मैं

माननीय मंत्री महोदय के सामने यह रखना चाहता हूं कि आपने बड़ी उदारता का परिचय दिया है कि किसानों से गेहूं खरीदने की कीमत निर्धारित की है और वह कीमत जो आप के केन्द्रीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित हुई है। यह मानकर कि वह स्वयं किसान है और उनको उन सारी किसानों की तकलीफों का ज्ञान है जिनसे आज किसान गुजर रहा है उनको इस बात का अन्दाजा होगा कि आज गेहूं के उत्पादन की क्या लागत किसान को आती है।

कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है और उसकी एवज में किसानों को क्या मिल रहा है। यदि आपने इस पर विचारा होता तो आपका दिल स्वयं इस बात को कबूल करता कि जो कीमतें तय की गयी ह, उनसे किसानों के लिए बहुत ज्यादती हुयी है। मेरी मांग हैं कि आप इस पर पुनः विचार करें। यदि आपने इस पर विचार न किया और किसानों की जो आर्थिक दशा गिरने वाली है उस पर आपका और आपकी सरकार का ध्यान न गया तो आपका गरीबी मिटाने का नारा थोथा है, समाजवाद की परिकल्पना झूठी होगी और आप इस प्रदेश के किसानों की आर्थिक दशा को बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसलिये पुनः आप विचार करने की कृपा करें और कीमतों को बढ़ाने की बात सोंचे और उसे उसी अनुपात में बढ़ायें जो आपने सारे उद्योगों के बारे में सोची है। आप कहते हैं कि शूगर की कीमत बढ़ेगी क्योंकि उसमें लागत ज्यादा लगती रही है। जिन पूंजीपतियों को शकर के दामों में उनकी लागत से अधिक पैसा देने जा रहे हैं क्या आपकी यह समझ में नहीं आया है कि किसानों को क्या-क्या खर्च करना पड़ला है जिसको सामने रखकर आपको विचार करना है। मुझे आशा है कि वे सोच समझ कर, जो कीमतें तय हुयी है, उनको बढ़ाने की बात करेंगे।

यहां पर खरीदारी के बारे में कहा गया कि आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं, जिसे हम लोगों ने नहीं समझा है। हमारा ऐसा विश्वास है कि जो पैसा आपने तय किया है वह किसानों को पूरा नहीं मिलेगा। आपके क्वालिटी मार्केटिंग इन्सपेक्टर्स उस गल्ले का मूल्य ऐसा निर्धारित करेंगे जिससे किसानों को, जो पैसा आपने निर्धारित किया है, नहीं मिल पायेगा। या तो अप्रत्यक्ष रूप से उन क्वालिटी इन्सपेक्टर्स को प्रसन्न करें तब पूरा पैसा मिल पायेगा अन्यथा नहीं मिल पायेगा। आपने इस बारे में कुछ भी सोचा हो लेकिन मेरा एक सुझाव ह कि आप इस बात को खाली अपने नौकरों पर न छोड़ें। आप उन सेन्टर्स पर एक-एक समिति गठित करें जो सही मायने में किसानों की हमदर्द हो और वे किसानों को उनके गल्ले का उचित दाम दिला सके।

जैसी दशा इस सरकार की है, इन्होंने एक चश्मा लगा रखा है। और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से काम करते हैं। यदि इस काम में आप राजनीतिक आदमियों को रखेंगे तो असंतोष बढ़ेगा। सब दल के किसान इस प्रदेश में रहते हैं। यदि आप पौलिटिकल पार्टीज के सदस्यों की समिति बनायें भी तो उसमें सभी दलों के लोग होने चाहिये और यह ज्यादा अच्छा होगा यदि आप उस समिति में केवल उन व्यक्तियों को ही रखें जो किसानों को उनके गल्ले का पूरा दाम दिलवायें।

इसके अतिरिक्त एक और बात माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं। हमारे मंत्री जी कानपुर के रहने वाले है। वहां पर एक क्षेत्रीय खाद्य निगम का कार्यालय है। इस कार्यालय के मातहत जो लोगों को कठिनाई होती है, उनका ज्ञान माननीय मंत्री जी को रहता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। एक कठिनाई की ओर माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपके विभाग में हलर का लाइसेंस देने का काम होता है। वह सारा काम क्षेत्रीय खाद्य निगम के कार्यालय को दे रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हलर का लाइसेंस देने की क्या कार्यवाही होती है, क्या गड़बड़ी होती है, किन-किन तरीकों को अपनाना पड़ता है ? मैं मानता हूं कि गांव के लोग ह जो आपकी स्वीकृति के बिना, लाइसेंस

[श्री रामकुमार दीक्षित]

प्राप्त किए बिना, चक्की लगाये हुये हैं जिनमें चावल भी कूटा जाता है। लेकिन श्रीमन्, इस परेशानी से वह कर रहे हैं कि आप उनको लाइसेंस नहीं देते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दीजिये और मुक्त रूप से इस काम को होने दीजिये। आप फीस लीजिये कि जो इस काम को करेगा वह १,०००रु० या ५०० रु० फीस दे। इससे भ्रष्टाचार से बचा जा सकेगा, सिफारिशों से, राजनैतिक दबाव से बचा जा सकेगा और आदमी निष्पक्ष रुप से काम कर सकेगा। इससे देहातों में कम्पटीशन होगा और जो बेईमानी आपके मार्केटिंग इन्सपेक्टर करते हैं उन लोगों से बचने का मौका मिलेगा।

एक दिक्कत मान्यवर, और है हमारे जिले में। हमारे जिले में कुछ चूड़े का काम होता है लेकिन इसका जो परमिट दिया जाता है वह अस्थायी रूप से दिया जाता है आर० एफ० सी० कार्यालय से। हर वर्ष उसको अस्थायी परमिट देने की परम्परा बनी हुई। जो आदमी चूड़े का काम करता है उसको स्थायी लाइसेंस देने में क्या कठिनाई है। छोटे-छोटे भुर्जी हैं गरीब आदमी हैं और वे हर साल एप्लाई करते हैं। आपके इन्सपेक्टर, आपके आर० एफ० सी० यहां तक आपके डी० आर० एफ० सी० रुपया लेते हैं भ्रष्टाचार होता है, जिससे उन छोटे लोगों को तकलीफ होती है। हमारी माननीय मंत्री जी से मांग है कि वे इस भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दें और उसका निवारण करें।

मान्यवर, एक बात और है, यह आपके जो मार्केटिंग इन्सपेक्टर हैं, जिनको आपने फुटकर और थोक व्यापारियों को गल्ले का व्यवसाय दे रखा है, बाजारों में जाकर किस प्रकार से लूट करते हैं। अगर माननीय मंत्री जी भेष बदल कर एक अवसर निकाल कर कानपुर जायं किसी बड़ी मंडी में तो देखें कि वे क्या काम करते हैं और किस प्रकार से उन छोटे-छोटे व्यापारियों को लूटते हैं जो 2 बोरे या 4 बोरे धान खरीदते हैं, उनको हैरेस किया जाता है। आप सोचें कि क्या यह दोष हमारी लाइसेंस देने वाली नीति का दोष तो नहीं है। इस पर आप गम्भीरता पूर्वक विचार करें और यदि आपको लगे कि यह दोष लाइसेन्स देने वाली नीति का है तो इसको हटा दें और ऐसा प्रबन्ध करें जिससे पूर्ण स्वच्छन्दता हो जिससे व्यापारी अपना व्यवसाय कर सकें।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। शक्कर वितरण के बारे में बहुत सारी बातें कही गईं। लेकिन मैं एक दो बात कानपुर में शक्कर वितरण के बारे में कह कर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। मैं अपने जिला पूर्ति अधिकारी, मैं उनके विषय में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, बड़े ईमानदार हैं। लेकिन मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने एक-एक दूकानदार से एक-एक हजार रुपया और ५००–५०० रु० लेकर दूकानें दी हैं। अगर माननीय मन्त्री जी चाहेंगे तो ऐसे प्रमाण भी मैं उनके सामने प्रस्तुत कर सकूंगा। क्या उनके कान तक यह बात नहीं पहुंची होगी। मेरा विश्वास है ऐसा अवश्य हुआ होगा। एक श्री सक्सेना हैं जो सीनियर इन्सपेक्टर हैं और कई सालों से वहां हैं। सारा मैन्युपुलेशन बेईमानी के काम का वह करते हैं। हजारों रुपया दूकानदारों से रिश्वत का लेते हैं ऐसी खुलेआम उनकी चर्चा है। जो आदमी एक हजार देकर दूकान लेगा तो क्या वह पब्लिक को शक्कर देगा। वह शक्कर पब्लिक को नहीं मिलेगी बल्कि ब्लैक मार्केट में चली जायेगी।

आपने कहा कि हम कोआपरेटिव को देंगे। मैं नहीं जान पाया कि आपने कोई दूकान कोआपरेटिव में दी होगी। हां, एक अवश्य है, लेकिन उसके बारे में कोआपरेटिव विभाग के अधिकारी कहते हैं कि यह कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं है और वे लोग उसे सेक्शन ३५ में उसके लिक्वीडेशन के लिए नोटिस दे रखी है। आपको इन सब बात बातों पर सोचना चाहिए और उस प्रकार की कार्यवाही करना चाहिये जिससे इस प्रकार की बात बन्द हो। आपके जिला पूर्ति अधिकारी श्री सिन्हा को कहा जाता है कि कांग्रेस के एम०पी० श्री राम किशन सिन्हा के भाई हैं खुलकर लूट कर रहे हैं, उन्होंने इस साल प्रति न्याय पंचायत क्षेत्र में दो दूकानें कर दी हैं। आप क्या यह समझते हैं कि यह जनता की सुविधा के लिये की गई हैं?

ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने एक हजार और दूसरे दूकानदार से लेने की व्यवस्था कर ली है। ऐसा न हो कि आपके सामने यह प्रोपोजल रख दें कि तीसरी दूकान और खुलनी चाहिये न्याय क्षेत्र में जिससे उनकी आमदनी और बढ़े। इस पर आप गौर करें ।

मैं एक बात मन्त्री जी की नोटिस में लाना चाहता हूं। कोयले की कमी के बारे में चर्चा हुई। आपने भी कहा कि केन्द्रीय सरकार से वैगन्स नहीं मिलते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा है लेकिन यह कह कर आप अपने को बचा नहीं सकते हैं। केन्द्र और प्रदेश की सरकारें एक ही हैं और आप केन्द्र पर इसके लिये दबाव डाल सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके वितरण की प्रणाली ही दोषपूर्ण है। रेलवे विभाग के कर्मचारी हजारों रुपया घूस लेकर वैगन्स एलाट करते हैं। यही कारण है कि कोयला समय पर हमारे पास नहीं आ पाता है। मान्यवर, मैं दो घटनायें आपके सम्मुख बतलाना चाहता हूं। १२ फरवरी, १९७२ को एक रैक डी०एम०, बांदा के लिये चलता है लेकिन वह कानपुर में अनलोड कर लिया जाता है। किसकी आज्ञा से उसको अनलोड किया गया। साथ ही वह किसको दे दिया गया। जिला अधिकारी बांदा से कोई इत्तिला नहीं थी कि ऐसा किया जाय। इसी प्रकार से १३ फरवरी, १९७२ को सफदरगंज, इलाहाबाद के लिये एक वैगन चला। लेकिन उसमें भी इसी प्रकार की बंगलिंग कर दी गई ।

(इस अवसर पर सदन की लाइट चली गई ।)

इस प्रकार की घटनायें हुई हैं। मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी किस पर है । इन दोनों ही घटनाओं पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । कहा जाता है कि यह मुहकमा बड़ा भोला भाला है और वैसे ही हमारे मन्त्री जी भी बड़े भोले भाले हैं। आपको जब इस प्रकार की चीजें मालूम हो जाती हैं तो आपको दृढ़ता के साथ कदम उठाना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि आपकी निगाह के नीचे या सारी बेईमानी और भ्रष्टाचार इस महकमें में हो रहा है और उसको दूर करने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि इसके लिये सारी सरकार दोषी है।

ईंट के भट्टे के बारे में काफी बातें कही गई। आप इस गरीब प्रदेश के गरीब लोगों को ईंट उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं तो आपको यह क्या हक है कि आप गेहूं की कीमत नियत करें। ईंटों के दाम भी आपको नियत करने चाहिये और यह आपका सबसे बड़ा कर्त्तव्य है। किसान अपने खेतों में गेहूं पैदा करता है और आप उसके दामों को नियत करते हैं परन्तु बड़े लोगों से भट्टे से जो ईंटें निकलती हैं उनके दाम आप फिक्स नहीं कर सकते, उसका कारण यह है कि वह भट्टेवाला मालदार आदमी है। आप उसके सेल्स टैक्स, इंकम टैक्स को देखिये। आप कहते हैं कि चूंकि उसको कोयला नहीं दे सकते हैं इसलिये दाम को नियन्त्रित नहीं कर सकते हैं लेकिन आप हमारे गेहूं के दाम तय कर देंगे, यह कहां का न्याय है।

यह निश्चित रूप से इस प्रदेश के गरीब लोगों के साथ अहित है। और इस प्रदेश के उन लोगों के साथ पक्षपात है, जो धन पैदा कर रहे हैं, पूंजी कमा रहे हैं और मालोमाल होते जा रहे हैं। मेरा अनुमान है कि जब सरकार ने भट्टे से ६५ रुपये हजार ईंट खरीदी है तो उनका जो खर्चा आता है उसका हिसाब लगा लिया होगा। तो जब भट्टे वालों को ६५ रुपया हजार ईन्ट बेचने पर मुनाफा हो सकता है तो ४०, ४५ रुपया हजार और देना इस प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय है। जो लोग मेहनत मजदूरी करके मकान बनाना चाहते हैं, वह अब नहीं बना सकते हैं।

श्रीमन, चीजों के भाव उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं। आप यह कहते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं और आप उनको रोक नहीं पाते हैं, तो आपकी उपयोगिता किस बात में है ? आपकी

[श्री रामकुमार दीक्षित]

उपयोगिता इस बात में है कि भ्रष्टाचार और बेईमानी कम हो, परन्तु आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि कीमतें कैसे रोकी जा सकें। यदि आवश्यकता हो तो इसके लिये आप आयोग या एक कमेटी बना सकते हैं जिसमें विरोधी पक्ष के लोग भी रहें और अपनी राय दें। तो जो हमारी बुद्धि में होगा वह हम लोग भी बतलायेंगे। आपने पचीसों निगम बनाये हैं लेकिन कीमतें रोकने के लिये कोई निगम नहीं बनाया है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो एक आयोग को गठित करें। मेरा ख्याल है कि आपको इसमें कोई रुचि नहीं है कि प्रदेश में जो कीमतें बढ़ रही हैं वह कम हों। श्रीमन, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका यह जो कानून है, किरायेदार वाला। माननीय मन्त्री जी को कानपुर में इस बारे में बहुत से रिप्रेजेंटेशन मिले हैं।

श्रीमन्, कहीं ऐसा कानून आप न बनावें कि किरायेदारों को जो सुविधायें आज उपलब्ध हैं वह न मिल सकें और मकान में रहने वाले किरायेदारों को मकान मालिक निकाल न दें। तो आप इस बारे में संरक्षण कानून में दें। दूसरी बात यह है कि यह जो प्रोसेस है मकान एलाट करने का, रिलीज करने का और उसके बाद अपील करने का, इस सारी प्रक्रिया में साधारण आदमी को बड़ी कठिनाई होती है। ५ रुपया किराया देने वाला छोटा अदमी कमिश्नर के यहां और फिर आपके यहां दरवाजे नहीं खटखटा सकता है। सरकारी घर कोई शाहजहां का घर नहीं है जहां घंटा हिलाने से न्याय मिल जावेगा। यहां तो लेजिस्लेचर के लोग रोज चिल्लाते हैं लेकिन सरकार पर जूं नहीं रेंगती है। तो मैं चाहूंगा कि किरायेदारी कानून में आप संशोधन करने जा रहे हैं उसको ऐसा बनवायें कि किरायेदारों की उलझनें दूर हों और किरायेदारों को उसके द्वारा सहूलियतें मिल सकें। मैं नहीं कहता कि मकान मालिकों के साथ कोई ज्यादती करें। लेकिन किरायेदारों के साथ जो ज्यादती होती है, तो जो उनको सुविधायें मिल सकती हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान रहना चाहिये, वह मेरी मांग है।

एक बात मैं और कह दूं। जो आपने पुस्तिका निकाली है उसमें आपने जिक्र किया है कि जब अपात कालीन स्थिति थी, जब कीमतें बढ़ गई थीं, तो इस प्रदेश में गांवों में सस्ते गल्ले की दूकानों की व्यवस्था कर दी गयी थी। लेकिन श्रीमन, ऐसी कोई दूकानें नहीं थीं। यदि कहीं रही हों तो मैं मन्त्री जी से इस बात को सुन लूंगा और अपनी जानकारी में ले लूंगा। श्रीमन्, कोई इस प्रकार की दूकान कानपुर जनपद में नहीं थी। सरकार केवल झूठ में ही इसका श्रेय लेना चाहती है। यह इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि शक्कर के वितरण में शहरों में १ यूनिट पर एक किलो शकर देंगे। लेकिन गांवों के लिये ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे राही जी तो अभी कह रहे थे कि गांव का आदमी शकर खाता ही नहीं है। लेकिन श्रीमन, गांव से ही शहरों का निर्माण हुआ। उन पर आप आधारित हैं और उनके लिये कहा जाय कि उनको शकर की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बड़े दुख की बात है।

गांव के आदमियों को एक किलो शकर प्रति परिवार सरकार ने दिया है और वह भी एक दूकान के क्षेत्र में जितने परिवार लगते हैं, उतनी मात्रा में शकर नहीं देते हैं। तो उससे दूकानदारों को बेईमानी का अवसर मिलता है गांव वालों को पूरी मात्रा में शकर नहीं मिल पाती है। तो यदि आप गांव वालों की हमदर्दी चाहते हैं तो इस कथनी और करनी का भेद समाप्त करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो उसको साफ-साफ कह दें। लेकिन गलत प्रचार किसी बात का न करें। आपने कह दिया कि शकर की दूकानें खोल देंगे। एक किलो प्रति परिवार शकर देंगे। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। इतना ही नहीं। मैं बताऊं कि बेईमानी किस तरह से होती है। कानपुर में बिल्हौर तहसील में ९०० बोरे का

स्पेशल कोटा एलाट किया गया। लेकिन उसमें से कितनी शकर दूकानदार को दी गयी? केवल ७५० बोरी शकर उस दूकान को दी गयी। बाकी शकर का क्या हुआ। मान्यवर, वह ब्लैक में बिकेगी या उसको होलसेल पर बेंच देंगे। तो जब तक आपके विभाग में भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं, तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। तो जब आप उनको पूरी मात्रा में शकर नहीं दे पाते तो उसको बचा लें और शादी ब्याह के लिये उसको दे दें। आपको इन बातों पर कुछ निर्णय लेना होगा।

श्रीमन्, मैं एक और सुझाव देकर अपनी बात खत्म करता हूं। माननीय मन्त्री जी ने जो खरीददारी की बात की है और जिस ढंग पर खरीददारी कर रहे हैं, उससे ऐसी आशा भी है कि शायद किसानों को पूरा पैसा मिल जायेगा। अगर भाव रिवाइज करके कुछ भाव बढ़ा देंगे तो उससे किसानों को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इस सम्बन्ध में एक बात यह कह देना चाहता हूं कि गत वर्षों का अनुभव है कि दो-दो, तीन-तीन दिन उन्हें खड़ा रहना पड़ता था सेन्टर पर गल्ले की खरीद के लिये। इसके बाद महीनों दौड़-धूप के बाद पैसे के लिये पर्ची मिलती थी। तो मेरा निवेदन है कि जब किसान गल्ला लेकर आये तो उसी वक्त उसको खरीद लिया जाय और नकद भुगतान हो। उसमें कहा गया है कि बैंक की व्यवस्था होगी। ट्रेजरी का सिस्टम होगा। लेकिन दूध का जला मट्ठा भी फूंक-फूंक कर पीता है। तो मेरा निवेदन है कि इस बात की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सजीवन लाल––

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो यन्त्र लगा है, इससे अक्सर माननीय सदस्य टकरा जाते हैं। इसको हटाने का प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष––

हम देख लेंगे।

श्री रियासत हुसैन––

मैं भी उसको हटाने के लिये ४ बार कह चुका हूं परन्तु किसी ने हटाने की तकलीफ गवारा नहीं की।

*श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)––

मान्यवर, खाद्य मन्त्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अभी-अभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये विशेष रूप से शक्कर में भ्रष्टाचार के सिलसिले में। खाद्य एवं पूर्ति विभाग एक स्थाई विभाग है, ऐसी मेरी जानकारी है। शक्कर के न मिलने का एक भयंकर प्रकोप आज देहात में है। गांवों की जनता कराह रही है क्योंकि उनके लिये शक्कर के मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। शक्कर के कोटे की दुकानें हर न्याय पंचायत क्षेत्र में खुली हुई हैं, परन्तु प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र के रहने वाले को शक्कर नहीं मिलती है। केवल वहीं पर मिलती है जहां पर कि राशन-कार्डों की व्यवस्था है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि गांवों में भी राशन कार्ड ईश्यू करने की प्रणाली अपनाई जाय। यदि प्रत्येक राशन कार्ड पर १ किलोग्राम चीनी देंगे तो उससे कम से कम प्रत्येक परिवार को कुछ चीनी तो मिल ही जायेगी। गांव पंचायतों में शक्कर के फुटकर विक्रेता हैं और उन्हें शक्कर दी जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रजीत]

वे प्रधान की पर्ची पर शक्कर देते हैं। प्रधानों को राजी करके सारे गांव वालों की पर्ची बनवा लेते हैं और फिर लाभ उठाते हैं। गरीबों को कोई शक्कर नहीं मिल पाती है। आप ऐसी व्यवस्था चलायें ताकि किसानों तथा गरीबों को शक्कर मिल जाय।

शादी-ब्याह के मौके पर चीनी देने की बात सभी माननीय सदस्यों ने कही। शक्कर का कन्ट्रोल रेट २ रु० प्रति किलोग्राम है जबकि मार्केट में ३.५० रु० प्रति किलोग्रोम है। बजाए फुटकर विक्रेताओं को शक्कर का कोटा देने के आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि लोगों को शादी व्याह के मौके पर चीनी मिल जाये। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोगों को अपने लड़के-लड़कियों की शादी के मौकों पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा ।

शक्कर के फुटकर वितरण के लिए आपने दुकानें नियत की हैं। जो पहले दुकानदार थे उन्हीं को फिर कोटा होल्डर नियुक्त कर दिया गया है। यह इसलिये किया गया क्योंकि नये दुकानदार सुचारू रूप से इस कार्य को नहीं कर पायेंगे। ठीक है, आपने ऐसा किया। परामर्शदात्री समिति की मीटिंगों में भी यह प्रश्न आता रहा है कि बहुत सी अनियमिततायेंहैं। यह भी कहा गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है। आपके सप्लाई अधिकारी तथा कर्मचारी १००, २००, ५००, १,००० रु० लेकर सौदा कर लेते हैं। अगर रुपया दे देते हैं तो दुकान बरकरार रहती है और नहीं तो कैन्सिल हो जाती है। फिर क्या होता है? जो नया दुकानदार नियुक्त किया जाता है, उससे सौदा हो जाता है और १,०००—१,५००रु० ले लिये जाते हैं। जिसने रुपया दे दिया उसको तो दुकान मिल गई और जिसने नहीं दिया उसको नहीं मिली। सरकार की यह नीति है कि दुकानों का आवंटन भूतपूर्व सैनिकों तथा राजनीतिक पीड़ितों को किया जायगा, मगर वह नीति पूरी नहीं होती है और अधूरी रह जाती है। वे लोग प्रार्थना-पत्र देते रहते हैं परन्तु उधर सौदा तय हो जाता है। सौदा तय हो जाता है और किसी को उसकी जानकारी भी नहीं हो पाती है।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जिलों में जो खाद्य एवं पूर्ति विभाग की परामर्शदात्री समिति बनी हुई है उनकी सिफारिशों के आधार पर ही दुकानों का वितरण किया जाना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी यह सम्भव हो सकेगा कि सैनिकों को भी यह दूकाने दिलवायी जा सकें। जो पुराने दूकानदार थे उनके खिलाफ पहले से ही शिकायतें चली आ रही थीं और आपने फिर उन्हीं को दुबारा वे दुकान दे दीं। इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

आज शक्कर के दाम काफी बढ़ रहे हैं। किसान की जरूरत की अन्य चीजें जैसे सीमेंट है, लोहा है, इंटा है, इन सब के दाम बहुत बढ़ गये हैं जबकि उसकी उपज की चीजों के दाम कम हुये हैं। एक गरीब किसान जो अपने यहां मकान बनवाना चाहता है, जिसका मकान पिछली बाढ़ आदि में गिर गया है, वह इन चीजों के दाम इतने बढ़े हुये होने के कारण बनवा ही नहीं सकता। सरकार अपने काम के लिये जो इंटा आदि लेती है उसके दाम तो उसने निर्धारित कर रखे हैं पर किसान को आज भी इंटा १०० रुपये के भाव से मिलता है। जिस प्रकार सरकार ने अपने लिये चीजों के भाव निर्धारित कर रखे हैं उसी प्रकार किसान के लिये भी वही भाव निर्धारित करने चाहिये और उसी निर्धारित भाव से किसान को इंटा, लोहा और सीमेंट आदि मिलनी चाहिये। आखिर सब के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और फिर किसान के साथ तो और भी, क्योंकि किसान ही आपकी जरूरत की इतनी चीजें पैदा करके देता है।

मैं एक बात मकानों के एलाटमेंट के बारे में और कहना चाहता हूं। मकान उन्हीं लोगों को एलाट किये जाते हैं जो अधिकारी हैं या जिनकी पहुंच है। जिनके पास अपने मकान हैं वे लोग भी २०—२० साल से एलाटमेंट के मकानों पर कब्जा किये बैठे हैं। यह कितनी गलत बात है। सरकार को यह पता लगाकर ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनानी चाहिए

कि जिनके पास न देहात में कोई मकान है और न ही शहर में कोई मकान है। ऐसे लोगों को ही एलाटमेंट में प्राथमिकता मिलना चाहिये। जो लोग अपंग हैं उनको भी उसमें प्राथमिकता मिलना चाहिये। जो हरिजन हैं उनके लिए विशेष सुविधायें होना चाहिए। एक जिले में उनको मुश्किल से ७--८ मकान ही मिल पाते हैं।

अन्त में मैं एक निवेदन यह भी करूंगा कि जहां गल्ले के दाम आपने तय किये हैं वहां अन्य चीजों के दाम भी आपको तय करने चाहिए। आज सरिया १६८ रुपया में मिल रही है। इन सब चीजों का कोटा देहात में जाय और किसान को वह उपलब्ध हो सके उचित मूल्य पर, इसकी सरकार व्यवस्था करे।

इस विभाग के मन्त्री जी निश्चित ही ईमानदार हैं। वह चाहते हैं कि हमारे विभाग में ईमानदारी की लहर आ जाए, लेकिन विभाग के कर्मचारी दकियानूसी हैं। उनमें ऐसी भावना बन गई है कि वे बिना पैसे के काम नहीं करते हैं। इसलिए मन्त्री जी का यदि इस सदन के सदस्यों पर विश्वास हो तो कमिश्नरीवाइज उनकी एक कमेटी बना दी जाय, जो हर जिले में जा-जा कर उन कर्मचारियों के कारनामे को देखे और यह भी देखे कि क्या-क्या दिक्कतें हैं और फिर वह रिपोर्ट दे, ताकि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके। यह भी बात ठीक है कि स्वार्थ का जमाना है--शुगर में बड़ा ब्लैक है। ब्लैक में गरीबों पर ही बोझ पड़ता है। वह कमेटी डिवीजन वाइस मीटिंग बुलाये और मेम्बरों की राय ले, और इस प्रकार दोषी व्यक्तियों पर नियन्त्रण कायम करने की व्यवस्था करे। आज मन्त्री जी कोशिश करते हैं, लेकिन वह नीचे तक पहुंच नहीं पाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब हाउस बन्द हो जाय, तो विधायकों तथा कुछ अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कमिश्नरी वाइस कमेटी बनाई जाय, ताकि उनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाया जा सके। इससे जनता में भी विश्वास होगा कि हमारी सरकार ने जो घोषणा की है, उसका जो कार्यक्रम है, उसके लिए वह प्रयत्न भी करती है।

मैं अपने माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वे कभी भ्रष्ट दुकानदारों की मदद न करें। मुझे शिकायत है कि हम ही लोग बेईमानी में पकड़े गये लोगों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इससे अधिकारी और मन्त्री लोग भ्रमित हो जाते हैं। सदस्य गण जो यहां भाषण देते हैं उन्हें अपनी आत्मा में इतना बल रखना चाहिए कि हम गलत काम के लिए प्रोत्साहन न दें और सही काम में हर मदद दें। इससे अधिकारियों में एक प्रकार की चेतना आयेगी कि हमारे जो प्रदेश के प्रतिनिधि हैं वह गलत काम करने पर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और सही काम के लिए पुरुष्कृत करेंगे।

आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ईमानदार आदमी को सम्मान दिया जायगा, औरभ्रष्ट व्यक्ति को सजा दी जायेगी। लेकिन आज उसका उल्टा है, ईमानदार को परेशान किया जाता है औरभ्रष्ट आदमी मजा करते हैं, आज जो भ्रष्ट आदमी मुअत्तल हो जाता है वह यहां आता है और अधिकारियों से निवेदन करता है अपने बचाव के लिये। तो यहां बैठा अधिकारी उससे कहता है कि आप हमारे पास क्या लेकर आये हैं, आपका काम हो जायगा, घबड़ाने की क्या बात है। ये भ्रष्ट लोग जानते हैं कि शिकायत होने पर, कोई गड़बड़ होने पर आधे विधायक इधर हो जायेंगे और आधे उधर हो जायेंगे। इस तरह से यह लोग अधिकारियों को कन्फ्यूजन में डालकर ऐसी बात करते है कि प्रशासन ढीला पड़ जाये। मेरा मंत्री जी से निवेदन है, कि हमें ऐसा कायक्रम बनाना चाहिये जिससे हमारी प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का गरीबों की मदद करने का और स्वच्छ प्रशासन देने का नारा सार्थक हो सके। आपका स्वच्छ प्रशासन हो और जनता महसूस करे कि हम सच्चे प्रजातंत्र में रह रहे हैं।

[श्री इन्द्रजीत]

अब इस भ्रष्टाचार से जनता ऊबी जा रही है। वह सोचने लगी है कि इस भ्रष्टाचार से हमारी जमींदारी अच्छी थी । जिस युग में न्याय बिकने लगे वहां पर न्याय कहां मिलेग। उस न्याय को दिलाने के लिये हम सब लोग जिम्मेदारी से ले कर आये हैं । उसको निभाने का उपाय करें । जो माननीय मंत्री जी ने अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और अपने विचार समाप्त करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खाद्य की समस्या देश की नीति से जुड़ी हुई है । जब तक सरकार की कोई नीति न हो तब तक इस समस्या का हल करना बड़ा मुश्किल है। उधर से हमारे साथियों के विचार आये । लगता है कि इंदिरा गांधी ने कह दिया कि हम आत्मनिर्भर हो गये और दिमाग में घूम रहा है, वितरण, वितरण, वितरण। जब तक अभाव रहेगा तब तक निश्चित है वितरण में त्रुटि रहेगी । अभाव अब भी है । देश को धोखे में न डालें । मेरे पास एक तालिका है । उस तालिका को देख लेंगे । अप्रैल, १९७१ तक भारत में ४७८.७ करोड़ डालर खाद्य पदार्थ अमेरिका से खरीदा गया और पी०एल० ४८० के अन्तर्गत दान स्वरूप ६४.९४ करोड़ की वस्तुएं आयीं । अप्रैल, १९७१ तक । आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट १९७०-७१ के अनुसार फी व्यक्ति, प्रति दिन अनाज की खपत है ३९४.३ ग्राम । अब हिसाब लगाओ पड़ा क्या ? ६.४ छटांक एक आदमी पर । लज्जा नहीं आती । समाजवादी बनते हो, आत्मनिर्भर हो रहे हैं इधर रिपोर्ट है कि एक आदमी पर ६.४ छटांक खपत हो रही है। मतलब एक वक्त तीन छटांक और दाल है प्रति दिन प्रति व्यक्ति ५०.९ ग्राम, मतलब एक दिन में ३/४ छटांक । जेल में ६ छटांक और १ छटांक देते हो, जेल के बाहर दे रहे हो ३ छटांक और ३/४ छटांक और समाजवाद ला रहे हैं । और कपड़े की खपत है प्रति व्यक्ति १३.५ मीटर । धोती कैसे पहनते है? जब कि हिन्दुस्तान में १९६५ में कपड़े की खपत थी १४.६ मीटर यानी १९६४–६५ से कपड़े की खपत में नीचे चले गये है । तो आप सोचें कि कहां खड़े है । जानते हो मंत्री जी, एक आदमी को जीवित रहने के लिये कितने कैलोरी भोजन की जरूरत है? ढाई हजार केलोरीज की जरूरत है।

हमारे देश में अभी १,६८० केलोरीज मिल रही है जब कि अमेरिका में ३,११७, इंग्लैन्ड में ३,०४० तथा डेनमार्क में ३,२२३ केलोरीज मिल रही है । खाद्य उत्पादन की यह स्थिति हमारे देश में है? उत्पादन के आंकड़े देख लीजिये । गत वर्ष चीनी का उत्पादन महंगा हो गया । उसका उत्पादन १४ परसेंट घटा ।

इसी प्रकार नमक का उत्पादन ८ परसेंट, सूत का उत्पादन ११ परसेंट, कपड़ें का उत्पादन ७ परसेंट घटा । जब उत्पादन इन चीजों का घट गया तो लाजमी है कि महंगाई बढ़ेगी । केंद्रीय सरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अब सवा वर्ष से समाजवाद का राग अलाप रहीं हैं और साढे ५ अरब के टैक्सेज लगाने के बावजूद हर वर्ष जीवनोपयोगी वस्तुओं में ११ परसेंट की वृद्धि होती जा रही है। किस प्रकार काम चलेगा । आप चाहते हैं कि देश में इस महंगाई को रोका जाय, खाद्य समस्या को हल किया जाय तो आपको एक रास्ता अपनाना होगा (व्यवधान) । आप नियंत्रण करते हैं ।

किसान के खलियान से जब गल्ला निकलता है तो दाम उसे कम मिलते है लेकिन जब उसको जरूरत होती है तो बहुत मंहगे दाम उसे देने होते हैं । जब आप लूट करेंगे तो व्यापारी तो करेगा ही । सरकार ने मक्का ५५ रुपये कुंटल खरीदी और गल्ले की दूकान पर उसे ७२ रुपये कुंटल बेंचा । ७६ रुपये कुंटल पर गेहूं खरीद कर उसे ८६ रुपये कुंटल बेचा । बावल किसान से ९० रुपये कुंटल पर खरीदा और १०८ रुपये कुंटल पर बेंचा । इस प्रकार १०,१५ रुपये कुंटल की आप लूट कर रहे है तो व्यापारी क्या राज्य व्यापार के नाम पर लूट

बन्द कर देगा? (व्यवधान) नहीं करेगा । लूट बन्द करनी है तो मूल्यों पर नियंत्रण होना चाहिये । चीजों पर कंट्रोल करने से काला बाजार को प्रश्रय मिलता है और हो सकता है उससे आपको चुनाव के लिये पैसा मिल जाता हो और तभी हमारे मुकाबले आप ५५ हजार तथा डेढ़ लाख फी इलेक्शन में खर्च कर देते हैं । नीति यह होनी चाहिये आपकी कि जो गल्ला किसान के यहां पैदा होता है उसके मूल्य में तथा उसके द्वारा पुनः खरीदे जाने के मूल्य में कितना अन्तर होगा ?

एक नीति बनाओ । और डाक्टर लोहिया की नीति थी, आप न मानें, आप तो गांधी को भी नहीं मानते हैं, हम तो गांधी को भी मानते हैं और डाक्टर लोहिया को भी मानते हैं । उन्होंने कहा था कि दो फसलों के बीच में १६ रु० सैकड़ा से अधिक का अन्तर दामों में नहीं होना चाहिये । इसी के साथ उन्होंने कहा कि मिल से निकले माल का दाम लागत के ड्योढ़े से न बढ़े । चीनी पर लागत क्या आती है? पहले ७ आने किलो आती थी अब ९ आने किलो आ रही है। और बाजार में क्या भाव बिक रही है। ३ रुपये ४ रुपये । चुनाव के पहले आपका टैरिफ रेट चीनी का १३५ रु० प्रति कुंटल था और जब आप जीत गये तो १९० रुपये कुंटल कर दिया । सोचो तो । इसी प्रकार की लूट तुम्हारी रहेगी ? यह कहा कि हम तो एक निश्चित मात्रा में चीनी लेते हैं और बाकी को छूट दे देते है। यह कोई व्यवस्था है ?

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा कि आज वह जिस पार्टी में है उसी के नेता चौधरी चरण सिंह की एस०वी०डी० के जमाने में ४९० और ४७५ रुपये तक चीनी बिकी है जब ११ और १६ रुपये तक उन्होंने गन्ने का भाव दिलाया था और उसी के बल पर ९८ आदमी जीत कर आये थे ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

चौधरी साहब ने गन्ने का सही दाम दिलाया था । और उस समय चीनी का भाव २ रुपया था बाजार में । तुम नहीं दिला पाओगे, न इंदिरा जी दिला पायेंगी । आज भी लज्जा नहीं आती है तुम्हें यह कहते हुए ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

आन ए प्वाइंट आफ आर्डर । वह 'तुम' शब्द किस के लिये प्रयोग कर रहे है ? मंत्री जी के लिये या शासन के लिये ? संसदीय शब्दावली का अगर वह प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य को याद होगा कि मैंने उनको टोका था लेकिन किसी की आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है । आप हमेशा "तुम" कहते हैं यह अच्छा नहीं है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

हमारा मतलब किसी के अपमान का नहीं है। मैं तो सब से छोटा हूं, सब का आदर करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जिससे प्रेम होता है उसको 'तुम' ज्यादा कहा जाता है ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मेरी समझ में इतना प्रेम जब आप करते है तो "तू" "तू" कहना शुरू कीजिये ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

हमारा अगाध प्रेम है इसीलिये मैं कह रहा हूं । मैं यह कह रहा था कि सरकार के पास कोई नीति नहीं है । जब तक नीति का निर्धारण नहीं होगा तब तक खाद्य समस्या हल होने वाली नहीं है । इसी सिलसिले में एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि कुछ मोटे कपड़े नियंत्रित भाव पर बेंचने के लिये हैं । लेकिन मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी देखा है कि किसी गरीब को यह कपड़ा मिलता है । आपने और केंद्रीय सरकार ने यह कबूल किया है कि किसी को नहीं मिल रहा है । आपने कह दिया कि हर मीटर पर नम्बर रहेगा और उसका मूल्य भी छपा रहेगा । मैं यह सोचता हूं कि जो यह लूट हो रही है कंट्रोल का कपड़ा ब्लैक में बिकता है उसके संबंध में क्या आपने कभी किसी ऐसे आदमी को पकड़ा भी है और उसका चालान किया है। चोर बाजारी में वह कपड़े को ब्लेक में बेंच देता है। हो सकता है कि आप एक दो नाम गिनवा दें।

कोयले के बारे में कह देना चाहता हूं कि इस देश में कोयले की कमी नहीं है। यह कहा जाता है कि डिब्बे नहीं मिल रहे है, केंद्रीय सरकार नहीं दे रही है। यदि इसी प्रकार से केंद्रीय सरकार उपेक्षा करती रहेगी तो डी० एम० के० में जिस तरह लोग उसकी बोली बोल रहे हैं और स्वायत्त शासन की मांग करते हैं उसी तरह इस प्रदेश की हालत भी हो जायेगी। इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्रीय सरकार बेजा कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इंदिरा जी से कह दें कि यदि इसी प्रकार उपेक्षा करते रहेंगे तो इस प्रदेश की जनता न चैन से रहेगी और न उनको चैन से रहने देगी । उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान की हालत आप जानते ही हैं कि पूर्वी पाकिस्तान की हमेशा उपेक्षा की जाती रही और उसका नतीजा यह निकला कि वहां एक ऐसी आग भभकी की आप वह आजाद हो गया । इसलिये मैं आपक माध्यम से इस सरकार से और इंदिरा की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश की क्यों ऐसी हालत हो रही है । क्यों आज केंद्रीय सरकार हमारी आवश्यक चीजों में कमी करवा रही है।

हमारे प्रदेश में आवास की समस्या बड़ी विकट की समस्या हो रही है। मैं कल परिवहन विभाग के बारे में बोल रहा था यहां पर एक सचिव परिवहन विभाग के हैं शायद उनका नाम गिरीश चन्द्र है, उन्होंने अपना मकान किराये पर उठाया हुआ है और खुद सरकारी मकान में रह रहे हैं । आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपना मकान बना रखा हो और वह सरकारी एलाटमेंट के मकान में रह रहा हो । ये एलाटमेंट के मकान में क्यों रह रहे हैं । अपना मकान किराये पर दें और खुद एलाटमेंट के मकान में रहें। यह कहां की बात हुई । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी हिदायत दें कि जिन अधिकारियों के अपने मकान हैं और यदि वे एलाटमेंट के मकान में रहते है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें । अभी सदन ने एक कानून पास किया था और शायद किसी जिले में एक मकान भी एलाट नये कानून के अन्तर्गत नहीं किया गया ।

हमने तो पास कर दिया कि अपने कंट्रोल में लिया जाय लेकिन कानून पास करने के बाद कितने मकान आपने अलाटमेंट में लिये है बलिया का मालूम है कि एक भी मकान नहीं लिया । तो कानून पास करने से समस्या हल होने वाली नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि हम गरीबों के हित में उनको दें । एक नमक का सवाल है, दिक्कत जरूर है कि इसका लगाव केंद्र से भी ज्यादा है। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने का आन्दोलन किया । मंत्री जी को लज्जा नहीं आती कि वह ४ आने सेर बिक रहा है। गांधी जी कहते थे कि नमक पर कर लगाते हो तो उससे बुरी सरकार है ही नहीं । आज जबसे समाजवाद आया नमक और महंगा हो गया । क्षार-तत्व भी मालूम नहीं कि रूस चला जायगा क्या एक व्यापारी ने कहा कि चौधरी साहब नमक का भाव तो जरूर महंगा होगा, क्योंकि मैं जब भी जाता हूं मुझे १०० रुपया सुरक्षा फोष का टैक्स देना पड़ता है। नमक के कोटा परमिट पर सुरक्षा कोष का दबाव देकर काफी रुपया ऐंठा गया तो नमक का भाव तो बढ़ेगा ही ।

चीनी देहात में मिल नहीं रही है। शादी ब्याह के लिये केंद्रीय सरकार अलग से कोटा नहीं देती है। ग्रामीणों के लिये जो आज वितरण व्यवस्था है उसमें सब चीनी ब्लैक में चली जाती है। आप विकास प्रमुख, विकास अधिकारी के माध्यम से परमिट बंटवायें। हर गरीब गुड़ खा लेगा लेकिन ब्याह-शादी और मेहमान के लिये वह चीनी का उपयोग करने के लिये मजबूर होगा। इसलिये ब्याह-शादी के लिये चीनी बहुत जरूरी है, उसकी व्यवस्था करें। मिठाई के मंत्री जी तो शौकीन ही होंगे। हलवाई के लिये चीनी मिलती थी। ब्याह-शादी में भी मिठाइयां बनानी पड़ती हैं, चीनी इतनी दे पायेंगे कि उसके अलावा रस पानी भी खिला दें और मिठाई भी बना सकें। तो हलवाई को जितना निश्चित कोटा देते थे वह देना पड़ेगा। तीसरी चीज यह है कि सस्ते गल्ले की दूकानों पर बहुत भ्रष्टाचार है। रंचमात्र भी कोई घटाव नहीं आ रहा है, कोई तब्दीली लावें। मैं नहीं कहता कि आपका ही दोष है। आप ऐसा सक्रिय कदम उठावें कि भ्रष्टाचार समाप्त हो।

एक गोरखपुर की बात है। गोरखपुर में खाद्य नियंत्रण कार्यालय है, उसकी यह सूचना आ रही है कि खाद्य राज्य मंत्री इसे खरीदना चाहते हैं इसलिये वह आफिस हटाया जा रहा है। अगर ऐसा आरोप है तो वह भ्रम दूर किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेंद्र सिंह)—

मान्यवर, मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है वह सत्य नहीं है। राज्य मंत्री खाद्य सम्पत्ति से इतने त्रस्त हो गये हैं कि अगर कोई खरीदार हो तो वे २-४ मकान बेंच दें। जहां तक इन्होंने कहा कि उसके खाली कराने का सवाल है तो यदि प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक हुआ तो जरूर ऐसा किया जायेगा।

*श्री रामपति (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, विरोधी दलों की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हूं। मान्यवर, जो गल्ला लेने की व्यवस्था की गई उसमें यह किया जाय कि जिनके पास १२ एकड़ की खेती है उनसे ही गल्ला लिया जाय। इससे नीचे के लोगों से न लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे खाद्य विभाग की और रसद विभाग की जो दुकानें हैं, उनकी अपरम्पार लीला है। वह बड़े आदमियों की आसाइश और आराम के लिये खोली गई हैं। जो गल्ले के परमिट दिये जाते हैं वे कांग्रेस के चट्टे-बट्टों को ही दिये जाते हैं, दूसरों को नहीं दिये जाते हैं। वे लोग लाइसेंस लेकर चीनी वहीं बेच लेते हैं और जो गल्ला ले जाते हैं वह भी बेच देते हैं। जब महंगाई होती है तो उसके साथ भ्रष्टाचार करते हैं।

जो लोग इस विभाग में नौकरी करते हैं वे वही रखे जाते हैं जो इसी ग्रुप के आदमी होते हैं। बाजारों में इंस्पेक्टर्स होते हैं उनका तो कहना ही क्या है? जो गरीब से गरीब हलवाई होता है उससे भी दस रुपये महीने लेते हैं। अगर नहीं देता है तो उसके साथ बुरी तरह से पेश आते हैं। तेली लोग जो मामूली पूंजी लगा कर किसी तरह से अपनी गुजर बसर करते हैं, अगर वे नहीं देते हैं तो उनके तेल में पानी तथा अन्य चीज मिलाकर सील करके सैम्पिल भेज देते हैं। उनके ऊपर मुकदमा चलता है। जितने दुकानदार होते है उनसे पैसा लेते हैं।

कुछ लोग पिछली सरकार द्वारा सस्पेंड किये गये थे। वे लोग यहां विधान सभा के चारों तरफ भिनभिनाते हैं बहाल होने के लिये। मैंने देखा है कि यहां पर यानी लखनऊ में जो लोग अच्छी-अच्छी पोस्ट पर हैं वे तो किसी न किसी तरह से मकान एलाट करा लेते हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामपति]

लेकिन जो लोग गरीब हैं उनको मकान नहीं मिलते हैं । सीनियर आफिसर्स फायदा उठा रहे हैं और गरीब कर्मचारियों को क्वार्टर्स नहीं मिलते हैं उनसे कह दिया जाता है कि उनका नम्बर नहीं है । यह सब व्यवस्था इस विभाग द्वारा चलती है । चाहे मकान का एलाटमेंट हो, गल्ले तथा चीनी का वितरण हो गरीबों का ध्यान रखना चाहिये। गांवों में गल्ले की उगाही का टाइम टोबिल रखा गया है। उसका हमारा जैसा टाइमटेबिल नहीं होता। अगर वह ८–१० मील गल्ला ले जायेगा तो खेती का काम देखेगा या गल्ला ले जायेगा।

मान्यवर, मेरा सुझाव है प्रत्येक ५ मील के एरिया में एक गल्ला उगाही केंद्र खोला जाय और कर्मचारी अपने टाइम टेबिल बना दें और एक हफ्ते में, ३–४ दिन में या १५ दिन में वहां आकर वसूली कर लिया करें ।

सरकार मूल्य निर्धारण करती है। इसको शर्म नहीं आती । कार्तिक के महीने में १५ रुपया किलो गेहूं बिक गया । पता नहीं वह प्रशांत महासागर का मूंगा या मोती हो गया । इसका सरकार को ख्याल करना चाहिये । मेरा विचार है कि चीनी वाले मामले में आप विधायक महानुभावों को अवसर दें । किसी शादी विवाह आदि के अवसर पर उनको १० किलो तक शकर तहसीलदार से दिलवा सकें । अगर ज्यादा न हो तो २–४ क्विंटल उनको अलाट कर दिया जाय।

यह आपका समाजवाद केवल कागज पर है । गरीब जनता से उसका कोई संबंध नहीं है । जैसे शराब की अंगड़ाई में शब्द आते है उनका कोई मूल्य नहीं होता । सारी व्यवस्था गरीबों को धोखा देने के लिये है । चाहे उद्योग का महकमा हो, चाहे बीज भंडार हो, सब गरीबों के लिये साइनबोर्ड है कि आओ और इनमें फंस जाओ । अन्त में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे विरोधी दल के सुझावों पर विचार करें और उन पर अमल करें।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका मैं अनुमोदन करता हूं । खाद्य विभाग का बड़ा दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य है कि इस विभाग और उसके मंत्री की शिकायत सदा होती है। वह इसलिये कि यह विभाग जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और चीजों की कमी के कारण उनको पूरा कर सकना असंभव हो गया है । आज भी कोयला चीनी और खाद्यान्न के बारे में शिकायतें की गयीं। यह ठीक है चीनी की कमी है और उसके संबंध में खाद्य मंत्री जी ने प्रत्येक सदस्य को लिखा था कि हमारी खपत इतनी है और केंद्र से हमको इतनी मिलती है। केंद्र का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन वहां से कम मिलने के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकना असंभव है।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने २ मिनट का समय दिया । आदमी की वास्तविक आवश्यकता खाना, कपड़ा और मकान है । आज जो कुछ कहा गया है वह इन्हीं के बारे में कहा गया है और यही इस आज के बजट का उद्देश्य है इस पर मैं ज्यादा न कहकर केवल २–३ मिनट में टेहरी के बारे में कहूंगा।

हमारा मंत्री जी से निवेदन है कि मंत्री जी सुन लें। सब से पहली बात यह है कि टेहरी-गढ़वाल में जितने भी थोक व्यापारी हैं वे सब ऋषिकेश के रहने वाले हैं या सब दूसरे जिलों के व्यापारी है वह सब ब्लैक कर लेते हैं । किसी भी जिले में टेहरी गढ़वाल के थोक व्यापारी हैं उनके स्टाक टेहरी गढ़वाल में ही होने चाहिये। वह नीचे से ही ब्लैक कर देते हैं टेहरी में माल पहुंचता तक नहीं। इसके अलावा टेहरी में जितनी मोटर जाती है । उनका किराया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार देती है लेकिन जो गांवों के अन्दर के भाग हैं जो २०-२० मील अन्दर हैं और मोटर माग से दूर हैं जहां खच्चर सामान लेकर जाते हैं उन का भाड़ा भी मंत्री जी सब्सिडाइज कर दें ।

तीसरा निवेदन यह है कि मिट्टी का तेल ३-४ रुपया लिटर बिक रहा है वहां कमी नहीं थी लेकिन वहां पर बड़े-बड़े ड्रम भेजे जाते है, छोटे-छोटे टीन वहां नहीं मिलते और अगर मिलते है तो उसमें टीन की कीमत नहीं जोड़ी जाती और रिटेलर को टीन की कीमत भी देनी होती है। मैं चाहता कि गांवों में जो टीन की कीमत दी जाय उसमें टीन की कीमत भी सब्सिडाइज की जाय या उसकी कास्ट उस में जोड़ दी जाय । इस से वहां बड़ी परेशानी है । इसके अतिरिक्त मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह समाजवाद का नारा देते हैं । लेकिन मनुष्य को जीवित रखने के लिये जो आवश्यक चीजें हैं वह आप जनता तक अवश्यमेव पहुंचाइये तभी आपका प्रयास सार्थक होगा ।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल २-३ सुझाव देना चाहता हूं । मैं बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे यह अवसर दिया । पहली बात यह है कि आज ही जो प्रश्न सुबह उठा था उस की ओर आप विशेष ध्यान दें । यह वास्तविकता है कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में भुखमरी की हालत है और इस को बड़े सरल ढंग से लिया गया है और कहा गया कि ऐसी बात नहीं है । मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि वहां पर लोग जेवर बेचकर, या ५-१० रुपये में १-२ तोला सोना गिरवी रख कर भोजन कर रहे हैं । इसके अलावा राशन की दुकानों पर जितने यूनिट्स आपने दिये हैं वह कहीं पर ४,०००, कहीं पर १,५०० हैं और उनमें हजारों यूनिट्स बोगस हैं और मेरा सुझाव है कि आप एक बार पुनः इन यूनिट्स का निरीक्षण करा लें ताकि यह बोगस यूनिट्स समाप्त हो जायं । दूसरे जो विशेष लेवी लगाई जाती हैं जैसे देहरादून में बासमती पर लगाई जाती है उसको मुक्त कर दें । यह उद्योग इतना बड़ा है और फारेन एक्सचेंज अर्नर है आप कृपा करके बासमती की लेवी को आप मुक्त कर दें । इसके अलावा आपका जो रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट जो अभी बना है वह मालिकों के पक्ष में है । और जो नियम उसके बनाये गये हैं उसमें तो और भी आगे आप बढ़ गये हैं । मैं चाहता हूं कि नियमों के आब्जेक्शन के लिये और अधिक समय दिया जाय ताकि आपको और सुझाव दिये जा सकें । उसमें किरायेदारों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती और अत्याचार हो रहा है ।

चीनी के जो भाव इधर बढ़े हैं उसकी पूरी नीति पर पुनर्विचार होना चाहिये कि किन कारणों से दाम बढ़ रहे हैं । जब तक नीति में परिवर्तन नहीं होगा प्रदेश में चीनी का भाव बढ़ता ही रहेगा ।

श्री रामबिलास पाण्डे--

श्रीमन्, मेरा एक सुझाव है कि खाद्य निगम ने गेहूं की खरीद के भाव ७२ रु० से ७६ रुपया तक निश्चित किये हैं और ८० और ८२ रुपया इसलिये नहीं किया गया है कि उससे १२० हजार रुपये का घाटा होगा । लेकिन वही ९९ करोड़ रुपया विदेशों से आयात न करने से बचा है । बाकी जो हानि है वह वितरण और व्यवस्था की वजह से है । ७ रुपया व्यापारी खर्च करता है और हमारा निगम ३० रुपया खुद करता है । अखबारों में आपने देखा होगा हमारा जो रीजनल निगम है, उसने कहा है कि दूसरे रीजन के कर्मचारी यहां पर नहीं आ पाये हैं क्योंकि इससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम बिलास पाण्डये]

बहुत खर्चा बढ़ जायगा। तो मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने निगम के सामने लड़ाई ली है। निगम में उन लोगों को रखा गया है जो जानकारी नहीं रखते हैं कि किसानों के गल्ले का भाव क्या निर्धारित होना चाहिये। निगम के १२० करोड़ का घाटा समझ कर भाव नीचे कर रहे हैं। वहां पर ९९ करोड़ रुपये की जो बचत हुयी है उसके कारण मैं समझता हूं कि व्यापारियों को ७ रुपये में ३ प्रतिशत की कमी करायें।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है। प्रायः सभी सदस्यों ने मूलभूत तरीके से बातों को स्वीकार किया और जो कठिनाई रही है, उन को भी सदन के सामने रखा है। श्रीमन्, मैं तो फिर से केवल उन्हीं बातों को, खाद्यान्नों के मूल्य के बारे में जो किसानों से उगाही के सिलसिले में ८६ रुपया गेहूं का दाम रखा है और दूसरी आवश्यक वस्तुएं जो जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं, उनका जो मूल्य निश्चय किया गया, रखना चाहता हूं। मेरी यह भी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो जीवन उपयोगी वस्तुएं हैं, उनको जनता को उपलब्ध करने की व्यवस्था की जाय और इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मुझे पता लगा है कि उन्होंने अभी पहाड़ में एक आटे की मिल खोलने, मुनी की रेती में, इरादा किया है जिस पर २२ लाख रुपया लगना है। मुझे यह भी पता चला है कि २० लाख रुपया सरकार खर्च करने वाली है और २ लाख रुपया कोई प्राइवेट आदमी खर्च करेगा। मेरा सुझाव यह है कि अगर इस आटे की मिल को अगर सरकारी क्षेत्र में लगायें तो ज्यादा अच्छा होगा। प्राइवेट हाथों में जो मिलें रही हैं, उनका जो अनुभव रहा है, उनको देखते हुए यह और उत्तम होगा कि आगे से जो मिल आटे की लगायी जायं, वे सहकारी आधार पर लगायी जायं।

इन शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का जिसको वाणी से कबूल किया है, उस पर हां में स्वीकार करके, इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें और सरकार द्वारा रखी हुयी मांग की राशि को निरस्त कर दें?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस बहस के दौरान जितने भी भाषण हुए, उनको काफी गौर से सुना और काफी नजदीक से देखने की कोशिश की। प्रति पक्ष हमारे प्रति कितनी सहानुभूति रखता है और हृदय से कितना समर्थन करता है, इसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप उनकी संख्या को देख कर अन्दाज लगा सकते हैं कि उन्होंने समझा नहीं कि उनको इसके लिये समय जाया करना या यहां पर बैठना चाहिये। अगर सरकार मुनासिब बात करती है तो उसे अपनी वाणी से, वाचा से और कार्य से समर्थन देना चाहिये। उन्होंने अपने कार्य से इस बात का सबूत दिया है कि वे सरकार के साथ हैं। जहां तक वाणी का सम्बन्ध ह, जिस समय माननीय कल्पनाथ सिंह जी कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे, उस पर बोल रहे थे, मैं यही देख रहा था कि समय-समय पर क्यों अवरोध पैदा हो रहा है।

मुझे ऐसा लगता था कि उनके दिल और दिमाग में सामञ्जस्य नहीं हो पा रहा था। वह दिल से स्वीकार करते थे। जन प्रतिनिधि होने के नाते वह हृदय से इसको भी स्वीकार करते थे कि जो खाद्य मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत किया है, जो पैसे की मांग की गई है, वह जनता के हित में है, लेकिन नेता विरोधी दल की कुर्सी पर बैठने के नाते उस रस्म को भी पूरा करना चाहते थे। इसी कारण उनके दिल और दिमाग में बराबर तनाव रहा और तभी बराबर उनके भाषण म अवरोध उत्पन्न होता था तथा विचारों में सामञ्जस्य नहीं रहा। श्रीमन् मैं उन सभी उभय पक्ष के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं जिन्होंने हमें अपने सुझाव दिये। मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने अनुदान प्रस्तुत करते समय यह निवेदन किया था कि हमारी स्थिति उस चेले के समान है जिससे कहा जाय कि पानी भर लाओ, लेकिन किसी कुंआ, बाबड़ी के पास मत जाना और पानी झोली में भर कर ले आना। यह स्थिति उन्होंने महसूस की और हम उसके सुधार की दिशा में अग्रसरित हो रहे हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा—माननीय मंत्री जी ने खुद किताब ही में स्वीकार किया कि पिछले साल गल्ला खरीदते समय बिचौइयों ने गड़बड़ी की है, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय बांके लाल ने ऐसी बात कही जो मैं स्वयं ही कहता। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्होंने किताब की पूरी इबारत नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी होती, तो यह प्रश्न न करते।

श्री बांकेलाल—

आप यह बताइये कि कार्यवाही क्या की?

श्री यादवेन्द्रसिंह—

आप बैठें मैं वही बताने जा रहा हूं। जब हमने इस बात को जाना कि एफ० सी० आई० से जो खरीदारी हुई उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो इसी के फलस्वरूप इस वर्ष राज्य सरकार को इसमें उतरना पड़ा ताकि किसानों के सामने एक दूसरा विकल्प भी हो अपना गल्ला बेचने का और . . . .

श्री बांकेलाल—

आप साफ बताइये कि क्या कार्यवाही हुई ?

श्री यादवेन्द्रसिंह—

मान्यवर, बांके लाल जी पूरा सेंन्टेंस नहीं सुनते, यह मेरा दुर्भाग्य है। मैं माननीय सदस्य से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह कम से कम पूरा सेन्टेंस तो सुन लें हो सकता है बात उन्हीं के हक में हो, तब उसके बाद विरोध उत्पन करें।

श्री बांकेलाल—

लगन वगैरह आ रही है, आप चीनी के मामले में क्या कर रहे हैं ?

श्री यादवेन्द्रसिंह—

मैं बांके लाल जी की बात से सहमत हूं कि शादी-ब्याह का मौका आ गया है और उसमें उनके सामने परेशानी आयेगी। हम तो शादी-ब्याह के मामले में हमेशा सहायक हैं, सहायक रहेंगे। तो मान्यवर, जब माननीय कल्पनाथ सिंह जी बोल रहे थे तो जन्होंने कुछ बातों की तरफ इशारा किया।

माननीय कल्पनाथ सिंह ने गेहूं की खरीदारी के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। वे बातें बड़ी ही मुनासिब थीं। सरकार ने बहुत से काम उस दिशा में किये हैं जिसको हमने समय समय पर परिपत्र जारी कर के अपने सभी माननीय विधायकों को अवगत किया है। मोह में आशंका

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

होती है परन्तु वे फिर भी हम पर कृपालु हैं। उन्होंने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं उन पर हम विचार करेंगे और यथासम्भव उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। जहां तक कि चावल के बारे में उन्होंने कहा कि गोरखपुर की महराजगंज तहसील में परताल मंडी है। वहां का चावल कप्तानगंज में नहीं जा सकता है। ब्लाकों का जिक्र किया गया। चावल वितरण के बारे में ब्लाक बने हैं। हम गेहूं के उत्पादन में सेल्फ सफीशियेन्सी की स्टेज में पहुंच चुके हैं परन्तु चावल के बारे में ऐसा नहीं है। कुछ एरिया में चावल ज्यादा होता है और कुछ एरिया में कम होता है। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पर चावल कम होता है लेकिन वहां पर खाने वाले ज्यादा हैं। हमको ऐसे स्थानों में चावल को पहुंचाना पड़ता है। कल्पनाथ सिंह जी इस बात को जानते हैं। जहां पर हमारा बार्डर बिहार से....

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कह दें कि वह बारबार मेरा नाम न लें, इस सदन के लिहाज से भी और वैसे भी।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं तो नाम ले ही सकता हूं, मैं उनका नाम लेता रहूं और वे मेरा नाम न लें जिसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

चावल वितरण के लिये पूरे प्रदेश को ८ ब्लाकों में बांटा गया है। कुछ ब्लाक ऐसे हैं जो सेल्फ सफीशियेन्ट हैं और कुछ ऐसे है जो सेल्फ सफीशियेन्ट नहीं हैं। ६ ब्लाक ऐसे भी हैं जो एक एक जिले के ब्लाक हैं और इन जिलों का बार्डर बिहार से मिलता है। हमको इस बात के लिये सतर्कता बरतनी पड़ती है कि हमारा चावल बिहार को न चला जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके बाद मंत्री जी को भी कुछ कहना है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, हमको कोयले के सम्बन्ध में भी कुछ कहना है। इसके बारे में हमने प्रायः सभी सदस्यों को अवगत करवा दिया है कि इसमें हमारी क्या मजबूरी है। हमारी नियत आपके सामने है। श्री त्रिवेणी सहाय जी ने बुलन्दशहर का नाम लिया। मैंने तुरन्त उसकी जानकारी प्राप्त की। मैं यही कह सकता हूं कि माननीय सदस्य ने जो जानकारी बुलन्दशहर के बारे में दी वह बहुत पहले हासिल की थी, वह सत्य से बहुत नजदीक नहीं थी।

जहां तक कि चीनी का प्रश्न है, चीनी जितनी हमको चाहिये सब को देने के लिये उतनी चीनी हमारे पास नहीं है। फिर भी हम यथासम्भव चीनी की कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। शादी तथा काम-काज तथा खुशी और गम के मौके पर चीनी का वितरण होना चाहिये यह हम महसूस करते हैं। हम इस दिशा में अवश्य कोई उचित व्यवस्था अभी नहीं कर पाये हैं परन्तु इस दिशा में हम सोच रहे हैं लेकिन वह व्यवस्था अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई इसलिये उसके बारे में अभी नहीं बताया जा सकता है। गेहूं का काम भी सरकार ने इसलिये लिया है कि किसानों को प्राइस सपोर्ट मिल जायेगी।

हमारी मन्शा आपकी हर जरूरत को पूरा करने की है। आप कभी-कभी नाराज हो जाते हैं, तो माननीय सदस्य नाराज हो सकते हैं। आप तो परिवार के सदस्य हैं। हमको आपको हर चीज मुहय्या करना चाहिये लेकिन नहीं कर पाते हैं तो आपको रोष हमारे ऊपर होता है। लेकिन जब मजबूरियां रखते हैं तो आप हमारे साथ सहयोग करते हैं। इन शब्दों के साथ जिन मित्रों

के लिये जवाब बना कर लाया था वह मैं न दे सकूंगा और एक शेर कह कर समाप्त करत।

हूं:

गुलशन परस्त हूं मगर,
कांटो से भी निबाह किये जा रहा हूं मैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

थोड़ा समय बढ़ाये देते हैं ।

श्री बेनी सिंह---

जैसा कि राज्य मंत्री जी ने कहा कि मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने सुझाव दिये। मैंने आरम्भ में ही इस बात का जिक्र कर दिया था कि यह विभाग ऐसा नहीं है कि आसानी से इसको प्रशंसा मिल सके। इसमें दिक्कतें हैं, खामियां हैं। हममें भी है और कर्मचारियों में भी हैं और सहयोगियों में भी हैं और इससे हमारी मदद करने की क्षमता नहीं रह जाती है कि मदद मिल सके। जहां तक शकर का ताल्लुक है, मैं कुछ करने जा रहा हूं और कल परसों तक बतला सकूंगा। जहां तक गल्ले की कीमत की बात है, यह कम से कम रक्खी गई है।

एक सदस्य---

कीमत बढ़ा दी जाय ।

श्री बेनी सिंह---

हम भी ऐसा चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १६--खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन-राशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,५७,३९,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२--राज्य व्यापार की योजनायें, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७८,५९,९४,६०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५१ की सभी सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं ।

अब हम उठते हैं और २४ अप्रैल को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर सोमवार, २४ अप्रैल, १९७२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया । )

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२१ अप्रैल, १९७२ ।

अविकल प्रति

# नत्थी 'क'

[देखिये नियमावली ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर]

अलीगढ़ जिले में स्वीकृत छात्रवृत्तियों के बिलों के प्रतिहस्ताक्षरण का ब्योरा—

| | | दशमोत्तर | दशम पूर्व |
|---|---|---|---|
| १—अनुसूचित जातियां .. | फरवरी, ७२ | ४,९०,६९८.२९ | ७८,४९२.०० |
| | मार्च, ७२ | ४,६९,२०१.७१ | १,१३,७२६.०० |
| योग .. | | ९,५९,९००.०० | १,९२,२१८.०० |
| २—विमुक्त जातियां .. | फरवरी, ७२ | .. | .. |
| | मार्च, ७२ .. | १,९१२.०० | .. |
| योग .. | | १,९१२.०० | .. |
| ३—अन्य पिछड़ी जातियां .. | फरवरी, ७२ | .. | ३७,९९३ |
| | मार्च, ७२ | ११,९१०.०० | ७,६२३ |
| योग .. | | ११,९१० ०० | ४५,६१६ |
| ४—न्यून आय के आधार पर पिछड़े वर्ग | फरवरी, ७२ | .. | .. |
| | मार्च, ७२ | २१,६६५.५० | .. |
| योग .. | | २१,६६५.५० | .. |

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

खाना बदोश प्रकार का जीवन वाली विमुक्त जातियों की सूची—

| जाति | | | जिलों के नाम जहां पाई जाती हैं |
|---|---|---|---|
| १—खुरपलटा | .. | .. | आगरा, मथुरा |
| २—मौगिया (मांग) | .. | .. | आगरा, झांसी |
| ३—मदारी | .. | .. | आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, सहारनपुर, सुल्तानपुर |
| ४—सिंधीवाला | .. | .. | अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मथुरा, नैनीताल, सहारनपुर |
| ५—आंघड़ | .. | .. | इलाहाबाद |
| ६—बन्द | .. | .. | इलाहाबाद |
| ७—माट | .. | .. | इलाहाबाद, वाराणसी, एटा, हरदोई, इटावा, फतेहपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर, मथुरा । |
| ८—चमरमंगता | | .. | इलाहाबाद, फतेहपुर, हरदोई सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव । |
| ९—जोगी | .. | .. | इलाहाबाद, शाहजहांपुर । |
| १०—जोगा | .. | .. | बदायूं |
| ११—किंगिरिया | | .. | इलाहाबाद |
| १२—महावत (लुंगी पठान) | | .. | इलाहाबाद, बहराइच, हरदोई, पीलीभीत, रायबरेली, उन्नाव । |
| १३—कलन्दर फकीर | | .. | इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, बरेली तथा प्रतापगढ़ |
| १४—भातरी | | .. | इलाहाबाद |
| १५—सपेरा (सपरिया) | | .. | इलाहाबाद, मथुरा, सहारनपुर । |
| १६—कुरमंगिया (हिन्दू महावत) | | | कानपुर, हरदोई । |
| १७—वेलदार | | .. | इटावा, सहारनपुर । |
| १८—कनमैलिया | | .. | इटावा । |
| १९—गोसाईं | .. | .. | फर्रुखाबाद, झांसी । |
| २०—गोदुआहर | | .. | गोंडा, सुल्तानपुर । |
| २१—लोना चमार | | .. | जालौन |
| २२—बरगी | | .. | मथुरा |
| २३—सिकलीगर | | .. | मथुरा |
| २४—कनकाली | .. | .. | सुल्तानपुर |
| २५—बृजवासी | | .. | उन्नाव |

# नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३ पर)

संलग्नक संख्या १

## भारत पाक युद्ध में उत्तर प्रदेश के वीरगति प्राप्त व खोये हुये सैनिकों की जिलेवार सूची

| क्रम-सं० | जिले का नाम | वीरगति प्राप्त | खोये हुए |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | पिथौरागढ़ .. .. .. | ६९ | ४ |
| २ | लखनऊ .. .. .. | ३ | .. |
| ३ | उन्नाव .. .. .. | २ | .. |
| ४ | बलिया .. .. .. | ६ | ४ |
| ५ | रायबरेली .. .. .. | ८ | ३ |
| ६ | गाजीपुर .. .. .. | २४ | ४ |
| ७ | फर्रुखाबाद .. .. .. | २८ | ६ |
| ८ | जालौन .. .. .. | ३ | २ |
| ९ | हरदोई .. .. .. | ७ | २ |
| १० | जौनपुर .. .. .. | १ | .. |
| ११ | बुलन्दशहर .. .. .. | ४० | ६ |
| १२ | शाहजहांपुर .. .. .. | ५ | १ |
| १३ | मैनपुरी .. .. .. | २२ | ३ |
| १४ | मिर्जापुर .. .. .. | २ | ३ |
| १५ | बरेली .. .. .. | ६ | १ |
| १६ | ऐटा .. .. .. | १० | १ |
| १७ | देवरिया .. .. .. | २ | .. |
| १८ | गोरखपुर .. .. .. | ३ | १ |
| १९ | आजमगढ़ .. .. .. | ६६ | २ |
| २० | बांदा .. .. .. | १ | .. |
| २१ | बस्ती .. .. .. | २ | .. |
| २२ | सहारनपुर .. .. .. | ३ | २ |
| २३ | टेहरीगढ़वाल .. .. .. | १० | १ |
| २४ | बाराबंकी .. .. .. | २ | १ |
| २५ | बदायूं .. .. .. | २ | १ |
| २६ | झांसी .. .. .. | १ | .. |
| २७ | प्रतापगढ़ .. .. .. | ११ | २ |
| २८ | फतेहपुर .. .. .. | ६ | .. |
| २९ | कानपुर .. .. .. | ८ | १ |
| ३० | हमीरपुर .. .. .. | १ | .. |
| ३१ | गोंडा .. .. .. | ३ | .. |
| ३२ | फजाबाद .. .. .. | ७ | .. |
| ३३ | बहराइच .. .. .. | १ | .. |
| ३४ | मेरठ। .. .. .. | ७० | ४ |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ३५ | सीतापुर .. .. .. | .. | .. |
| ३६ | इलाहाबाद .. .. .. | ८ | १ |
| ३७ | सुल्तानपुर .. .. .. | ८ | ८ |
| ३८ | आगरा .. .. .. | १९ | ४ |
| ३९ | मुजफ्फरनगर .. .. .. | ११ | ४ |
| ४० | अल्मोड़ा .. .. .. | ६३ | १ |
| ४१ | वाराणसी .. .. .. | १० | २ |
| ४२ | खीरी .. .. .. | २ | .. |
| ४३ | मुरादाबाद .. .. .. | १ | .. |
| ४४ | इटावा .. .. .. | २४ | १ |
| ४५ | देहरादून .. .. .. | ४१ | ५ |
| ४६ | मथुरा .. .. .. | १५ | २ |
| ४७ | चमोली .. .. .. | ४३ | ३ |
| ४८ | गढ़वाल— | | |
| | (१) पौड़ी .. .. .. | १७ | १ |
| | (२) लैन्स डाउन .. .. | ३१ | १ |
| ४९ | नैनीताल .. .. .. | ८ | .. |
| ५० | अलीगढ़ .. .. .. | १७ | १ |
| ५१ | उत्तरकाशी .. .. .. | १ | .. |
| | | ६९४ | ८६ |

## सूची—२

## भारतपाक युद्ध में शहीदों के परिवारों, अपंग हुये सैनिकों व उनके परिवारों को दी जाने वाली सुविधाएं

क—नकद अनुदान—

उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान के माध्यम से उन सैनिकों के परिवारों को नकद अनुदान दिया जाता है जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये हों, स्थायी रूप से अपंग हो गये हों या खो गये हैं। गत भारत–पाक युद्ध में उपरोक्त प्रकार के सैनानिओं के लिये नकद अनुदान की दरें बढ़ा कर निम्नांकित दरें निर्धारित की गई हैं—

| | वीरगति होने पर या खोये जाने पर | अपंग होने पर |
|---|---|---|
| अफसर .. .. | ५,००० | २,००० |
| जे०सी०ओ० .. .. | ३,००० | १,५०० |
| अन्य अधिकारी .. .. | २,००० | १,००० |

खोये जाने वाले फौजियों के आश्रितों को प्रदान की जाने वाली धनराशि दो बराबर किस्तों में दी जायगी और अन्य फौजियों को देय धनराशि एकमुश्त दी जायगी।

सहायता संस्थान ने अब तक १३,३३,५०० रुपये की धनराशि का वितरण ६२२ सैनिकों या उनके निकट सम्बन्धियों में किया है।

ख--मकानों की व्यवस्था--

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों (जे०सी०ओ० व अन्य रैंक) की विधवाओं के लिये १०० मकान शहरी क्षेत्रों में व १०० मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनवाने का निर्णय लिया गया है। इनके निर्माण पर कुल २२ लाख रुपये की लागत का अनुमान है। इसकी व्यवस्था सैनिक कल्याण से सम्बन्धित प्रदेश में उपलब्ध निधियों द्वारा की जा रही है और प्रधान मन्त्री सुरक्षा कोष से भी ५ लाख रुपये की व्यवस्था करने हेतु प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया जा रहा है। नगरों में मकान बनाने का कार्य सेंट्रल कमान्ड के संरक्षण में होगा। शहीद जवानों की विधवाओं को नाम मात्र किराये पर मकान दिये जायेंगे।

स्थानीय निकायों द्वारा विकसित आबादी स्थलों में १५ प्रतिशत आरक्षण सेनानियों के लिए निम्न वरीयता के अधीन किया गया है:--

(क) ऐसे अपंग सैनिक जिनके पास कोई रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है।

(ख) वीर गति को प्राप्त सैनिक की विधवा तथा आश्रित।

(ग) सेवारत सैनिक के परिवार जिनके पास कोई अपना निजी निवास स्थान न हो।

(घ) अन्य सैनिक।

हाल में यह निर्णय लिया गया है कि गाजियाबाद में सुधार मण्डल वीर गति प्राप्त सैनिक अधिकारियों के परिवारों तथा विकलांग सैनिक अधिकारियों के लिये लगभग ३०० वर्ग गज के ३५ प्लाट उपलब्ध करेंगे और उन्हें आधे से अनधिक मूल्य पर आवंटित करेंगे। इस मामले में सुधार मण्डल को जो आर्थिक हानि होगी उस हानि की धनराशि कालोनियों के अन्य प्लाटों के मूल्य में अनुपातिक रूप में सम्मिलित की जा सकती है।

ग--शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें--

वीर गति को प्राप्त, खोये गये सैनिकों तथा अपंग सैनिकों के परिवारों के सदस्यों को शिक्षा सम्बन्धी निम्न सुविधायें दी जाती हैं:--

(१) जो सेनानी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये हों या खो गये हों उनके बच्चों एवं पत्नियों को प्रारम्भिक कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक पूरी ट्यूशन फीस और महंगाई फीस की छूट दी जाती है।

(२) वीरगति को प्राप्त, अपंग और खोये हुये सैनिकों के उन बच्चों को भी फीस की छूट दी जाती है जो बाद में किसी समय शिक्षा संस्थाओं में दाखिल हुए हों।

(३) सरकारी तथा गैर सरकारी नरसरी स्कूलों, गृह विज्ञान, एच०टी०सी०, जे०टी०सी० व एल०टी० प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु वीरगति को प्राप्त अपंग तथा खाये हुये सैनिकों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाती है।

(४) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति और पुस्तक अनुदान के रूप में प्रारम्भिक स्तर से स्नातक स्तर तक सहायता दी जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा भी १०रुपये से ६०रुपये मासिक दर से आर्थिक सहायता और २५ रुपये से १२५ रुपये तक पुस्तक सहायता दी जाती है।

घ--चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें--

उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान की ओर से ५ लाख रुपये की धनराशि सेन्ट्रल कमान्ड के फौजी अस्पताल में गत भारत-पाक युद्ध में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के आश्रितों तथा घायल व अपंग हुये सैनिकों के लाभार्थ प्रदान की गई है।

उक्त सहायता संस्थान ने एक लाख रुपया की धनराशि निदेशक, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, लखनऊ को राजकीय अस्पतालों में उक्त लाभ भोगियों के लाभार्थ प्रदान की है ।

ङ--भूमि आवंटन--

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ (१) के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जो लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुये हों, की भूमिहीन विधवा, नाबालिग लड़कों, अविवाहित लड़कियों तथा माता-पिता को गांव सभा की भूमि के आवंटन में उच्चतम प्राथमिकता दी गई है।

जहां पट्टे पर उठाने योग्य खाली भूमि उपलब्ध नहीं है वहां शहीद सैनिकों के आश्रितों को शासन की अनुमति से सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु आरक्षित भूमि में से भी भूमि उठाई जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि के आवंटन में भी उन्हें उच्चतम प्राथमिकता दी गई है।

अतिरिक्त रेलवे विभाग की भूमि जो 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के अन्तर्गत काश्तकारों को उठाई जाती है उसके बन्दोबस्त में भी शहीद फौजियों के आश्रितों व भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता की श्रेणी में रखा गया है।

च---व्यवसायिक प्रशिक्षण--

सरकारी औद्योगिक और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश हेतु अपंग सैनिकों के लिये ५ प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। प्रत्येक पालीटेकनिक में ६० सीटों में एक सीट सैनिकों के बच्चों या आश्रितों के लिये आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश पुलिस तथा आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान द्वारा शहीद जवानों की विधवाओं को सिलाई के प्रशिक्षण में सहायता दी जाती है। उक्त सहायता संस्थान तथा राज्य सैनिक परिषद् के फण्ड से उन्हें सिलाई की मशीनें भी दी जाती हैं।

स्पेशल वेलफेयर बोर्ड द्वारा प्रदेश में से चलाई जाने वाली दो प्रशिक्षण वर्कशाप में से ५०-५० की टुकड़ियों में २ या ३ मास के लिये प्रशिक्षार्थियों को कटाई तथा सिलाई के प्रशिक्षण की योजना पर विचार किया जा रहा है।

छ---रोजगार सम्बन्धी सुविधायें--

(१) प्रदेश की तकनीकी सेवाओं में अवकाश प्राप्त फौजी अफसरों के लिए ५० प्रतिशत और गैर तकनीकी श्रेणी २ की सेवाओं में २० प्रतिशत का आरक्षण है। श्रेणी ३ व ४ में भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण पर विचार किया जा रहा है। जिसमें अपंग सैनिकों का भी ध्यान रखा जायगा ।

(२) सैनानियों की विधवाओं और अपंग जवानों को इण्डेन गैस और मिट्टी के तेल की एजेंसियों को दिलाये जाने की व्यवस्था करना ।

# नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४ पर)

| क्रमांक | नाम तहसील | अहेतुक सहायता | गृह निर्माण सहायता | आपदा, तकाबी, गृह निर्माण एवं बीज तथा चारा तकाबी |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| | | रु० | रु० | रु० |
| १ | तहसील अकबरपुर .. | २,९३० | २१,९३० | १,००,००० |
| २ | तहसील बिल्हौर .. | .. | २५,००० | १,५३,००० |
| ३ | तहसील भोगनीपुर .. | १६,६०० | ४०,००० | १,६५,००० |
| ४ | तहसील डेरापुर .. | ५,००० | २५,००० | १,०८,००० |
| ५ | तहसील घाटमपुर .. | ७,००० | ३२,५१० | १,४६,५५० |
| ६ | तहसील कानपुर .. | १३,००० | २२,००० | १,१८,००० |
| | योग .. | ४४,530 | १,६६,४४० | ७,९०,५५० |

पी० एस यू० पी०—ए० पी० ५४ एल०ए०—१९७३—८४५ ।